दशम माला, खंड 37, अंक 13

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1994
2 पौष, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

...MENT LIBRARY
No. ...53...
Date ...31.5.96...

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

विदाई

(खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 37, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 13, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1994/2 पौष, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	241-260	4—24
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2527-2759	24—233
सभा पटल पर रखे गए पत्र		233—262
सदस्य द्वारा त्यागपत्र		262
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति		
कार्यवाही साराशं—सभा पटल पर रखा गया		262—263
लोक लेखा समिति		
(एक) अस्सीवां और इक्यासीवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		263
(दो) विवरण—सभा पटल पर रखे गए		263
याचिका समिति		
सत्रहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		264
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति		
छठा प्रतिवेदन—प्रस्तुत		264
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी स्थायी समिति		
आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सांराश—प्रस्तुत		264
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		
ग्यारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		264
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
मलेरिया महामारी के बारे में दिनांक 19.12.1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में		
डा. सी. सिलवेरा		265—268
विदाई सम्बन्धी उल्लेख		
श्री मुकुल वासनिक		270
श्री लाल कृष्ण आडवाणी		270
श्री चन्द्रजीत यादव		270
श्री शरद यादव		270—271
श्री बूटा सिंह		271
श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे		272
श्री चित्त बसु		272—273

विषय	कालम
श्रीमती गीता मुखर्जी	273
श्री रामसागर	273
श्री एम.आर. जनार्दनन कादम्बूर	274
श्रीमती सुशीला गोपालन	274
राष्ट्रीय गीत-धुन बजाई गई	276

लोक सभा

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1994 / 2, पौष, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन साल के इस कार्यकाल में ऐसा गम्भीर संकट पहले कभी पैदा नहीं हुआ जो भ्रष्टाचार के मामले में अब पैदा हुआ है। मैं मानता हूं कि आज केवल मात्र दो-तीन मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आधार पर हटाने से देश का, संसद का समाधान नहीं होगा। आवश्यकता है कि सरकार, प्रधान मंत्री जनता का नया जानादेश लें और पूरी सरकार त्यागपत्र दे और जनादेश ले। मैं इसे आवश्यक समझता हूं और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि दूसरा पक्ष वक्तव्य देना चाहता है, तो आपको उन्हें भी अनुमति देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : जरूर **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, स्थिति बहुत विषम है, बहुत गम्भीर है क्योंकि घोटालों के बाद घोटाले सामने आते जा रहे हैं और यह सदन पिछले सत्र से आज तक इन सवालों पर चर्चा करता आया है इससे समूचे देश में बहुत भ्रम पैदा हुआ है। यानी जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह कदम बहुत देर से उठाया गया है। जब यह सरकार खुद ही डगमगाने लगी और संकट में पड़ी, तब यह कदम उठाया, लेकिन यक कदम उठने के साथ... **(व्यवधान)**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिये हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और सी. बी.आई. से इन्क्वायरी करवाई जानी चाहिए। केवल इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह कदम तब उठाया गया है, जब आदमी पूरी तरह से देश, दुनिया के सामने बेपर्दा हो जाता है, तब कहीं सरकार द्वारा अंत में यह कदम उठाया गया है।

फिर ये मंत्री हैं चाहे ए.के. एंटोनी हों, चाहे कल्प नाथ राय हों और चाहे दो मंत्री और हों, जिन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वे अपने आपको निर्दोष साबित करते रहे हैं, परन्तु कल्प नाथ राय का आज जो टी.वी. पर इंटरव्यू आया है और जो अलग-अलग अखबारों में जो उन्होंने बोला है, आज वे सदन में नहीं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि उनको इस सदन में लाया जाए क्योंकि वे बहुत सी चीजों का भंडाफोड़ कर सकते हैं। उनके मन में बहुत कुछ भरा हुआ है जिसे वे इधर-उधर बोलते रहे हैं। उनके यहां पर आकर बोलने से जो शुगर-स्कैम चल रहा है, जो ताजा है, उस पर नई रोशनी पड़ सकती है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा संक्षेप में बोलिये।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, उसमें सी बहुत सी नयी बातें और नयी चीजें बाहर निकल सकती हैं तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है, खासकर देश का जो वातावरण है, उससे जनता व संसद का समूचा विपक्ष एक चीज पक्की तरह से मानता है कि सरकार ने अभी पत्तियों को तोड़ा है, असली जड़ जो है, वह तो सरकार है, श्री नरसिम्हा राव हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि यह तो शुरूआत है। जो शुगर स्कैंडल है, जो ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट है, उसे मैं अधूरी मानता हूं और उस कमेटी से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि शुगर स्कैंडल पर जे.पी.सी. की एक नयी कमेटी बनाई जाये।...**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सरकार से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती।...**(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, इससे उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। यूरिया के इम्पोर्ट में भी घपला है।...**(व्यवधान)** केवल तीन लोगों को बलि का बकरा बना देने से काम चलने वाला नहीं है। इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब है कि जो ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से किसी भी कीमत पर कोई चीज साफ नहीं होती। साफ बात तो यह है कि जो हजारों करोड़ों रुपये का घोटाला है, वह बगैर सरकार के या जो सरकार के कर्ता-धर्ता हैं, मुखिया हैं, वह सब उन्हीं के साये में हुआ है। मैं यह सोचता हूं कि जे.पी.सी. की रिपोर्ट में देर लग सकती है लेकिन भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आकार है इसलिये यह नैतिकता का तकाजा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, नरसिम्हा राव को इस्तीफा देना चाहिए... **(व्यवधान)**

श्री कालकादास (करोलबाग) : नैतिकता है ही कहां? **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : यह देश की सुरक्षा का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द्र वर्मा : ** **(व्यवधान)**

श्री कालकादास : आप लोग रिजाइन देकर जनता में आइये और फिर जनता से पूछिये...**(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री दाऊ दयाल जोशी : प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये। **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आई.एस.आर.ओ. में तो** भी लिप्त है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, यह उचित नहीं है . ..**(व्यवधान)** यह एक तरफा मामला है...**(व्यवधान)** यह सभा सभी व्यक्तियों के लिए बराबर है और वे इस प्रकार से सरकार के विरूद्ध आरोप नहीं लगा सकते हैं। **(व्यवधान)** यह सभा सभी व्यक्तियों के लिए है और वे केवल सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा गत एक सप्ताह से हो रहा है। महोदय, इस सभा में हमें सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। ये लोग सभा की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं। **(व्यवधान)** प्रश्न काल के दौरान व्यवधान उत्पन्न किया गया है। यह बात बहुत ही गलत है। **(व्यवधान)** प्रतिदिन वे एक ही मुद्दा उठा रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उन तीनों मंत्रियों को बुलवाइए।...**(व्यवधान)** मंत्री जी का स्टेटमैंट दिलवाइए।

[अनुवाद]

हम श्री कल्प नाथ राय जी से यह सुनना चाहते हैं। कौन जिम्मेवार है? प्रधान मंत्री जी या प्रधान मंत्री कार्यालय? यह जिम्मेवार हैं।

[हिन्दी]

सात मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। श्री चिदम्बरम ने इस्तीफा दिया, सोलंकी, एंटोनी, शंकरानन्द, रामेश्वर ठाकुर, कल्प नाथ राय ने भी इस्तीफा दिया। ...**(व्यवधान)** ** **(व्यवधान)**

श्री शरद यादव : यदि ऐसा करेंगे तो फिर नरसिंह राव भी नहीं बोल पाएंगे। **(व्यवधान)**

11.12 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने स्थान पर वापस चले जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

11.14 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

11.13 म.पू.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

हवाला व्यापार में संलग्न गिरोह

***241. डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेजी से पनप रहे हवाला व्यापार से निपटने में कोई सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान पकड़े गए हवाला व्यापार में संलग्न गिरोहों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये और उनसे कितनी धनराशि बरामद की गई;

(घ) क्या सरकार ने हवाला गिरोहों के आतंकवादियों और विदेशी पर्यटकों के साथ सम्पर्कों का भी पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में हवाला व्यापार को रोकने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप हवाला लेन-देन को रोकने में पर्याप्त सफलता मिली है। पिछले मामले की अपेक्षा विदेशी मुद्रा अब सरकारी वैध चैनलों से काफी बड़ी मात्रा में प्रवाहित हो रही है।

(ख) और (ग). चालू वर्ष (नवम्बर, 1994 तक) के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने 1427 तलाशियां ली और हवाला प्रचालिकों से 6.99 करोड़ रु. (लगभग) की राशि जब्त की। इन रैकेटों में लिप्त पाए गए 194 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई सम्पर्क प्रकाश में नहीं आया है।

(च) हवाला लेन-देनों को रोकने के लिए सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। गहन जांच-पड़ताल की जाती है और कानून के अंतर्गत किए गए उपबन्धों के अनुसार हवाला प्रचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

राज्यों की आर्थिक स्थिति

*242. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अपने आर्थिक संकट की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ कदम उठाये हैं?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). राज्य सरकारें वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं और उनके पास राजस्व के अपने स्रोत हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भारत सरकार से विभिन्न रूपों में अनुदान अथवा ऋण प्राप्त करती हैं।

भारत सरकार वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को कुछ केन्द्रीय करों में हिस्सा और अनुदान देती है।

9 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आपदा राहत कोष (सी आर एफ) की एक योजना अपनाई गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत कोष बनाया गया है जिसमें 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार की ओर से तथा 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकारों की ओर से होता है। राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी भारी आपदा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर निपटने की आवश्यकता हो, को छोड़कर प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत की लागत को आपदा राहत कोष से वहन करें।

योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित एक फार्मूले के तहत वार्षिक योजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता का आबंटन करता है। प्रत्येक राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। राज्य, केन्द्रीय योजनागत स्कीमों अथवा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान/ऋण भी प्राप्त कर रहे हैं। योजना आयोग द्वारा भी राज्यों को मुक्त बाजार ऋण और बातचीत द्वारा तय ऋण आबंटित किए जाते हैं।

राज्य, लघु बचतों के प्रति भी भारत सरकार से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण की राशि राज्यों में लघु बचतों पर एकत्रित निवल धनराशि पर निर्भर करती है।

तथापि, राज्यों के वित्त संबंधी मामलों की समस्त व्यवस्था स्वयं राज्य सरकारों के हाथों में है। कुछ राज्यों के समक्ष आ रही वित्तीय कठिनाइयां अलग-अलग कारणों से हो सकती हैं लेकिन सामान्य तौर पर, कठिनाई तभी होने की संभावना होती है जब उनकी योजना भिन्न राजस्व व्यय उनकी राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले अधिक हो जाती है तथा यह कठिनाई व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण भी हो सकती है।

भारत सरकार वित्त आयोग की सिफारिश पर लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों को संसाधन तथा योजना आयोग द्वारा आबंटित धनराशियां भी उपलब्ध कराने की अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है।

कुछ राज्यों के समक्ष आ रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनकी ओर से वित्तीय सहायता के संबंध में किए गए अनुरोध इस मंत्रालय में प्राप्त किए जाते हैं। वित्तीय सहायता के लिए किए गए ये अनुरोध अलग-अलग स्वरूप के हो सकते हैं, जिनमें नई स्कीमों के लिए सहायता, अतिरिक्त बाजार ऋण, मध्यमकालिक ऋण, केन्द्र को ऋणों की वापसी के लिए दुबारा कार्यक्रम बनाना अथवा उन्हें बट्टे खाते डालना अथवा प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता आदि शामिल हैं।

जहां कही संभव है, भारत सरकार अपने संसाधनों की सीमा के भीतर राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है।

विदेशी पर्यटक

*243. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान भारत में कितने विदेशी पर्यटक आने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या आने वाले पर्यटकों की संख्या और उससे अर्जित होने वाली आय के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन कारणों की समीक्षा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान क्रमशः 2.20 मिलियन तथा 2.4 मिलियन विदेशी पर्यटकों के भारत आने का अनुमान लगाया गया है। हाल की प्लेग की घटना तथा इसका जो अत्यधिक प्रचार किया गया, उससे अनुमानित लक्ष्य पर प्रभाव पड़ सकने की सम्भावना है। संशोधित अनुमान, 1994-95 के लिए 2 मिलियन तथा 1995-96 के लिए 2.2 मिलियन हैं।

(ख) से (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से पर्यटक आगमन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में लक्ष्य तथा उपलब्धियां, निम्नलिखित हैं :—

	पर्यटक आगमन		प्राक्कलित विदेशी मुद्रा अर्जन (रु. करोड़ों में)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1992-93	1,955,000	1,820,239	4,000	3,990
1993-94	2,000,000	1,871,262	4,800	4,573
1994-95	2,200,000	2,000,000(ए)	5,200	5,150(ए)

(ए) -पूर्वानुमानित

अयोध्या की घटना तथा दिसम्बर, 1992 से इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ भागों में कानून और व्यवस्था की समस्याओं तथा एअरलाइन हड़तालों के कारण 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। सितम्बर, 1994 के तीसरे सप्ताह से कुछ स्थानों में प्लेग की घटना तथा विदेशी बाजारों में इसके प्रतिकूल प्रचार के कारण 1994-95 के दौरान लक्ष्यों की उपलब्धि की सम्भावना नहीं है।

(ङ) तथा (च). पर्यटक आगमन तथा उनसे विदेशी मुद्रा अर्जन को निरंतर मानिटर किया जा रहा है, कमियों के कारणों का मूल्यांकन किया जाता है तथा जब भी आवश्यकता होती है, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(छ) विदेशी बाजारों में प्लेग के प्रतिकूल प्रचार के अनुवर्तन में पर्यटक उत्पादक देशों में यात्रा व्यवसाय, मीडिया तथा उपभोक्ताओं को सभी अतिशयोक्तिपूर्ण संदेशों से बचाने के लिए भारत में प्लेग के बारे में सही तथ्यों से अवगत कराने के लिए कदम उठाए गए थे, पुनः आश्वस्त करने हेतु अभियान शुरू किए गए थे तथा मीडिया और व्यवसाय के प्रतिनिधियों को वास्तविक स्थिति का अवलोकन स्वयं करने हेतु आमंत्रित किया गया था, ताकि वे अपने देशों में लौटकर उसे बताएं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, पर्यटक यातायात में कमी को रोका गया है। 1 से 19 दिसम्बर, 1994 की अवधि में विदेशी पर्यटक आगमन, 1993 (उसी अवधि) की तुलना में 2.7 प्रतिशत उच्चतर रहा है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम

***244. श्री विजय कुमार यादव :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी है कि वे सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) तभी जारी करें जब न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करने हेतु ऐसा करना आवश्यक हो;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान किन-किन बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गम जारी किए गए अथवा जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस समय उनके पूंजी अनुपात का स्तर क्या है और निर्गम जारी किए जाने के बाद यह अनुमानतः कितना हो जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करने के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निम्नलिखित कारणों से भी अपनी पूंजी के स्तर को बढ़ाना होता है :—

1. जमाराशियों में वृद्धि होने से निधिबद्ध जोखिम परिसंपत्तियों और तुलन पत्र बाह्य मदों में तदनुरूप वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप पूंजी पर्याप्तता मानदंड का पालन करने के लिए निवल परिसंपत्ति में वृद्धि आवश्यक होगी।
2. कंसार्शियम व्यवस्था के अंतर्गत उधार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, कंसार्शियम के एक सदस्य के रूप में बैंक का शेयर निधि पर आधारित ऋण सीमाओं का कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए ताकि सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
3. बैंकों को व्यक्तिगत उधारकर्ता के मामले में निवल परिसंपत्ति के 25 प्रतिशत और उधारकर्ताओं के समूह के मामले में 50 प्रतिशत के ऋण एक्सपोजर मानदंड का भी पालन करना होता है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1993-94 और 1994-95 (अब तक) के दौरान जनता के पास जाने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम निर्गम से पहले तथा निर्गम के बाद जोखिम परिसंपत्ति अनुपात की तुलना में उनकी पूंजी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बैंक का नाम	जोखिम परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी	
	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
1993-94		
भारतीय स्टेट बैंक	4.5%	12.9%
1994-95 (अब तक)		
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	10.2%	एकत्र किए गए, धारित आदि अंशदानों के ब्यौरे को बैंक द्वारा अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

वर्ष 1994-95 या उसके बाद जनता से पूंजी जुटाने के लिए अब तक निम्नलिखित बैंकों ने अपनी इच्छा की सूचना दी है :—

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. केनरा बैंक
3. कार्पोरेशन बैंक
4. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
5. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर
6. स्टेट बैंक आफ इन्दौर

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

***245. श्री विनय कटियार :**
श्री हाराधन राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने भारत को हाल ही में और अधिक ऋण देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक ये ऋण किन शर्तों पर देने को राजी हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) देश में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश (2), बिहार (1), गुजरात (2), हरियाणा (1), कर्नाटक (2), केरल (1), महाराष्ट्र (8), उड़ीसा (1), पंजाब (1), राजस्थान (1), तमिलनाडु (7), उत्तर प्रदेश (4), पश्चिम बंगाल (1) बहुराज्यीय (15) और केन्द्रीय क्षेत्र (33) तथा गैर-सरकारी परियोजनाएं (12)।

(ख) और (ग). विश्व बैंक के साथ औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए 193 मिलियन अमरीकी डालर, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के लिए 260 मिलियन अमरीकी डालर और आन्ध्र प्रदेश प्रथम रेफरल स्वास्थ्य पद्धतियों के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की बातचीत की गयी है। तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ और परियोजनाएं तैयारी की स्थिति में हैं और बातचीत के विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(घ) सहायता के प्रस्तावों पर परस्पर स्वीकार्य शर्तों, जो अलग-अलग परियोजना प्रस्तावों के लिए विनिर्दिष्ट होते हैं, के आधार पर बातचीत की जाती है। तथापि, आई.बी.आर.डी. ऋणों की वापसी आदयगी 5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 20 वर्षों में की जाती है। ब्याज की दर भिन्न-भिन्न है और इस समय असंवितरित ऋण पर 0.75 प्रतिशत के वचनबद्धता प्रभार के साथ लगभग 7.1 प्रतिशत है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण ब्याज रहित हैं, हालांकि 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों की वापसी आदयगी 10 वर्ष की छूट अवधि के साथ 35 वर्षों में की जाती है।

[अनुवाद]

ऋणों को बट्टे खाते डालना

***246. श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये 10 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के संबंध में धनराशि को बट्टे-खाते डालने अथवा कोई समझौता करने से पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा विशेष वसूली न्यायाधिकरणों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो बड़ी रकम वाले खातों में मिलीभगत से धनराशि बट्टे खाते डालने अथवा समझौते किए जाने को रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक, ऋणों को बट्टे खाते डालने अथवा समझौते करने के लिए अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जिनको उन्हें ऋणों को बट्टे-खाते डालने के अनुमोदन और समझौता प्रस्ताव करते समय ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा, 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निरीक्षण के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षक, बैंकों द्वारा किए गए दस बड़े समझौता प्रस्तावों के विशेष संदर्भ में ऋणों को बट्टे खाते डालने/समझौता करने के बारे में बैंकों द्वारा अनुसरण की गई नीति की जांच करते हैं।

[हिन्दी]

हीरे, जवाहरात और आभूषण

***247. श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष में (नवंबर, 1994 तक) हीरे, जवाहरात और आभूषणों का पृथक-पृथक कुल कितनी मात्रा में आयात और निर्यात किया गया तथा इसके फलस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई/खर्च की गयी;

(ख) इस उद्योग का विकास करने के लिये सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार इन मदों के निर्यातकों को कोई प्रोत्साहन अथवा मुआवजा देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्योग का गठन वैज्ञानिक आधार पर करने और इन मदों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के माह नवंबर, 1994 तक की अवधि के दौरान रत्न तथा आभूषण के निर्यात और आयात से हुई विदेशी मुद्रा आय/हुआ विदेशी मुद्रा व्यय इस प्रकार रहा :—

निर्यात

(मूल्य करोड़ रु.)

मदें	1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल नवं., 1994
हीरे	6039.61 (87)	7785.24 (110)	11206.49 (140)	7754.26 (100)
स्वर्ण आभूषण	657.27	764.61	962.75	958.33
अन्य	53.17	346.74	356.84	276.20
योग	6750.05	8896.49	12526.08	8988.79

स्रोत : पिछले तीन वर्षों के लिए : डीजीसीआईएण्डएस अप्रैल-नवंबर, 94 के लिए जीजेईपीसी

आयात

(मूल्य करोड़ रु.)

मदें	1991-92	1992-93	1993-94	अप्रैल-नवं. 1994
अपरिष्कृत हीरे	4677.54 (546)	6329.68 (723)	8033.61 (690)	5217.49 (415)
सोने की छड़ें	576.84	471.71	522.93	365.18
अन्य	143.38	174.86	170.52	150.50
योग	5394.76	6976.25	8757.06	5733.17

स्रोत : जीजेईपीसी

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े हीरों की लाख केरट में मात्रा दर्शाते हैं। हीरों से भिन्न मदों के आयात/निर्यात के मामले में केवल उनके मूल्य ही दिए गए हैं क्योंकि मदों की अत्यधिक किस्मों के कारण उनकी मात्राएं संकलित नहीं की जाती हैं।)

रत्न तथा आभूषण हमारे निर्यात का एक थ्रस्ट क्षेत्र है। सरकार ने इस उद्योग के विकास और इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें शामिल है :— नीतियों में अच्छा सामंजस्य लाने के उद्देश्य से आयात-निर्यात नीति पर निरन्तर निगरानी रखना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी कीमतों पर कच्चे माल की सुलभता सुनिश्चित करना और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना। इस उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस उद्योग द्वारा अपेक्षित अनेक प्रकार की मशीनरी, उपस्करों और औजारों पर सीमाशुल्क कम कर दिया गया है।

सहकारी बैंक

*248. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी बैंकों के पूंजीगत आधार को वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकों के समान सुदृढ़ करने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी योजना पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत, जहां केन्द्रीय सरकार शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करती है, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की शेयरधारिता में उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है। कुछ सीमा तक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारी प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार कर रहा है और इन योजनाओं के आधार पर उसका राज्य सरकारों और राज्य तथा जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें। इसमें अन्य बातों के साथ सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान हेतु सहायता के लिए प्रावधान किया जाएगा।

[अनुवाद]

तम्बाकू विरोधी कानून

*249. **श्री प्रकाश वी. पाटील :**
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के प्रस्तावित तम्बाकू विरोधी कानून के विरोध में कई राज्यों के तम्बाकू उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रस्तावित कानून के तम्बाकू उत्पादकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने के लिए तम्बाकू बोर्ड से कोई अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस समिति का गठन कब तक कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकार को आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें देश में तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए कानून बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है।

(ग) तथा (घ). अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड द्वारा विनिर्माताओं, निर्यातको, किसानों, कुछ बोर्ड-सदस्यों और अन्य प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में प्रस्तावित कानून पर विचार-विमर्श किया गया था और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार से प्रस्तावित कानून के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में तथा इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने तक इस विधेयक को स्थगित रखने की सिफारिश की जाए।

(ङ) तथा (च). इस बैठक में की गई सिफारिशें और इस संबंध में प्राप्त अन्य अभिवेदन स्वास्थ्य मंत्रालय को उनके विचारार्थ भेज दिए गये हैं।

गेहूं और चावल का निर्यात

***250. डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल की विभिन्न किस्मों के निर्यात हेतु किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात हेतु कोई नीति तय की है अथवा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन वस्तुओं के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में तुलनात्मक मूल्य क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन वस्तुओं की कितनी मात्रा निर्यात की गई तथा इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(छ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने तथा इनके उत्पादकों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने चालू वर्ष में गेहूं और चावल के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। वर्ष 1994-95 में बिना किसी न्यूनतम निर्यात कीमत के दुरूम गेहूं की 3 लाख टन तथा गैर-दुरूम गेहूं की 5 लाख टन की अधिकतम सीमा के लिए स्वीकृति दे दी गई है। एफ सी आई को भी 5 लाख टन की अधिकतम सीमा के अंतर्गत केन्द्रीय पूल से गैर-दुरूम गेहूं निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, एफ सी आई को इस बात की भी अनुमति दी गई है कि वह निर्यात के लिए स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन (एस टी सी) को खुले बाजार में बिक्री के लिए निर्धारित कीमतों पर गेहूं की प्रारम्भिक रूप से 50,000 मी.टन तक की मात्रा बेच सकता है। चावल बिना मात्रात्मक प्रतिबन्ध के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

(ङ) अक्तूबर, 1994 में देश में तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और चावल की तुलना योग्य किस्मों की कीमत निम्नलिखित थी :—

घरेलू थोक कीमतें

अक्तूबर, 1994

		रु./प्रति मी.टन में	डालर/प्रति मी.टन में
गेहूं	उत्तर	3905	124
	पश्चिम	4850	153
	पूर्व	5233	166
	दक्षिण	6862	218
चावल	उत्तर	6994	222
	पश्चिम	6849	217
	पूर्व	6720	192
	दक्षिण	7296	232

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें

अक्तूबर, 1994

	रु./प्रति मी. टन में	डालर/प्रति मी.टन में
गेहूं (एच आर डब्ल्यू 11% प्रोटीन यू एस ए)	5135-5324	163-169
चावल (थाई ब्रोकन 10%)		
(स्रोत : खाद्य मंत्रालय)	7277-7655	231-243

(अमरीकी डालर = 31.50 रुपए)

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित चावल और गेहूं की मात्रा तथा उसका मूल्य निम्नलिखित है :—

मात्रा : मी. टन में
मूल्य : लाख रुपए में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
चावल		
1991–92	761380	75519
1992–93	562905	89799
1993–94	805540	128009
गेहूं		
1991–92	658250	15808
1992–93	36750	1021
1993–94	591	27

(स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता तथा एपीडा)

(छ) सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात के संबंध में न्यूनतम निर्यात कीमत का प्रतिबन्ध हटाकर तथा मात्रात्मक अधिकतम सीमा बढ़ाकर/समाप्त करके नीतिगत उदारीकरण किया है। नए गेट करार के फलस्वरूप भी निर्यात उपादानों तथा आंतरिक समर्थन उपायों में कमी आने की संभावना है और भारतीय कृषिजन्य वस्तुओं की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ने की आशा है। तत्पश्चात बाजार-विस्तार से उपजकर्त्ताओं को अपने उत्पाद के लिए अधिक वसूली की संभावनाओं के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

व्यापार घाटा

***251. श्री राजेश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में विश्व के कुल निर्यात में भारत का हिस्सा कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश की ताजा व्यापार संतुलन स्थिति, विशेष रूप से अप्रैल से सितम्बर, 1994 के दौरान गत तीन वर्षों में इसी अवधि की तुलना में क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन मदों के आयात और निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई और इस वृद्धि का प्रतिशत कितना-कितना था; और

(घ) सरकार द्वारा व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अक्तूबर, 1994 के दौरान व्यापार संतुलन (–) 1394.90 अमरीकी डालर (या) (–) 4375.97 करोड़ रुपए है। अप्रैल-सितम्बर, 1994 अवधि के लिए व्यापार-संतुलन के अपेक्षित आंकड़े और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

अप्रैल–सितम्बर	मिलियन डालर	करोड़ रुपए
1994–95	–1230.44	–3860.02
1993–94	–440.48	–1381.35
1992–93	–2622.03	–7484.91
1991–92	–1021.43	–2355.66

(ग) अप्रैल–अगस्त, 1994 वह नवीनतम अवधि है जिसके लिए वियुक्त आंकडे (2-अंक स्तर पर) उपलब्ध हैं। इस अवधि के दौरान जिन प्रमुख मदों का निर्यात औसत वृद्धि दर से अधिक हुआ, वे मदें थीं :— कॉफी, परियोजना माल, खेलकूद का सामान, समुद्री उत्पाद, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, कोयला, इलैक्ट्रोनिक माल और वस्त्र। अप्रैल–अगस्त, 1994 के दौरान जिल प्रमुख मदों के आयात में औसत दर से अधिक वृद्धि हुई, वे मदें थीं- खाद्य तेल, काजू गिरियां, अपरिष्कृत खाल और चमड़े, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, धात्विक लौह अयस्क, धातु की छीलन, अलौह धातुएं और अखबारी कागज।

(घ) व्यापार घाटे सहित भुगतान-संतुलन समस्या का समाधान है निर्यात बढ़ाना। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने व्यापार-उदारीकरण के लिए उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं- निर्यात से जुड़े आयात में लोचशीलता लाना, आयात लाइसेंसिंग में कमी करना, नीति एवं क्रियाविधियों को सरल बनाकर प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची में काट-छांट करना। निर्यात संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है और सरकार तथा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के बीच एक सहयोगी प्रयास है। व्यापारियों और उद्योगपतियों से परामर्श करके निर्यात बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। राज्य भी ईपीआईपी जैसी योजनाओं के जरिए निर्यात संवर्धन प्रक्रिया में शामिल होते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

***252. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों की कोई बैठक हुई

थी और इसमें विश्व में आर्थिक सुधारों के प्रभाव पर भी चर्चा की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे को किस सीमा तक आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया;

(घ) क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना बनायी गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक 26-28 सितम्बर, 1994 को माल्टा में हुई। बैठक की कार्यसूची में वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ब्रेटन वुड्स इंस्टीच्यूशन और कॉमनवेल्थ एक्सपीरिएंस एंड कॉमनवेल्थ फंक्शनल को-ऑपरेशन शामिल थे। विश्व अर्थव्यवस्था की परिस्थिति एवं सम्भावनाओं पर परिचर्चा के दौरान मंत्रियों ने विश्व अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष, वसूली से उत्पन्न होने वाले अवसरों और अभी तक उनकी अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। यह देखा गया है कि विकासशील देश विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विशेषतया विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सुधार जारी रहना चाहिए। मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय वृहद आर्थिक नीतिगत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत थे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक कार्यक्रमों की रूपरेखा गरीबी उन्मूलन उपायों को प्राथमिकता देते हुए विकासोन्मुख होनी चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि ऋण समस्या को सुलझाना अत्यन्त गरीब देशों के लिए सहायता एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बैठक में बहुत से राष्ट्र मंडल देशों के आर्थिक सुधार प्रयासों पर अवैध मुद्रा अन्तरण के गम्भीर प्रभावों के बारे में भी चर्चा की गयी।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों ने एक दूसरे को आर्थिक सहायता देने के संबंध में विचार-विमर्श नहीं किया। तथापि सदस्य देशों ने तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि में अनेक अंशदान देने का वचन दिया। तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि, जिसकी स्थापना 1971 में की गयी थी, अपने सदस्य देशों की तकनीकी सहायता की व्यवस्था के लिए और स्थायी विकास के लिए हुनर संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रमंडल का एक हथियार है। निधि का प्रमुख प्रयोजन राष्ट्र मंडल देशों में सहयोग, पारस्परिक सहायता तथा विकास संवर्धन करने के लिए तथा उनके बीच बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सम्मिलित अनुभागों, अनुभवों और समानताओं का लाभ उठाना है। राष्ट्रमंडल के सभी 51 सदस्य इस निधि के सदस्य हैं और इसका स्वैच्छिक अंशदानों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है जैसा कि सदस्य राज्य समय-समय पर दे सकते हैं। बैठक में भारत ने तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रमंडल निधि में अपने विश्वास और वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की तथा 1994-95 के लिए 400,000 पाउण्ड का वचन दिया।

निर्यात

+

***253. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा देशों और गैर-कोटा देशों को परिधान के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश की निर्यात संवर्धन नीतियों की और कोटा देशों की आयात नीतियों की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जनवरी-अक्तूबर, 1994 के दौरान कोटा और गैर-कोटा देशों को परिधानों के निर्यात निम्नानुसार हुए हैं :—

	मात्रा (लाख अदद में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
कोटा देश	5649	8496.20
गैर—कोटा देश	2364	2744.21

(ख) और (ग). कोटा देशों को वस्त्रों और परिधानों के निर्यात बहु-फाईबर व्यवस्था (एम एफ ए) के तत्वावधान में भारत और इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा शासित होते हैं।

[हिन्दी]

शहरी सहकारी बैंक

***254. श्री रतिलाल वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं;

(ख) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा तथा महिलाओं द्वारा राज्यवार कितने सहकारी बैंक खोले गये हैं;

(ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा संचालित सहकारी बैंक खोलने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) सरकार ने अपेक्षाकृत कमजोर शहरी बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक उन शहरी सहकारी बैंकों को स्थापित करने

की अनुमति देता है जो प्रवेश से संबंधित नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं :–

केन्द्र	जनसंख्या	आरम्भिक शेयर पूंजी (लाख रु.)	सदस्यता (आरम्भिक)	दो वर्ष पश्चात् सदस्यता
क.	50 लाख से अधिक	60	3000	6000
ख.	10 लाख से अधिक लेकिन 50 लाख से कम	30	2000	4000
ग.	एक लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम	15	1500	3000
घ.	10,000 से अधिक लेकिन एक लाख से कम	6	1000	2000

इन बैंकों को तीन वर्ष की अवधि के अन्दर निम्नलिखित अर्थक्षमता मानदंड भी पूरे करने अपेक्षित हैं :–

(लाख रुपये)

केन्द्र	शेयर पूंजी	प्रारक्षित निधियां	जमा राशियां	अग्रिम	कार्यशील पूंजी
क.	75	30	645	525	750
ख.	40	16	344	280	400
ग.	25	10	215	175	250
घ.	10	4	86	70	100

(ख) दिनांक 14 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों और महिलाओं द्वारा देश में स्थापित शहरी सहकारी बैंकों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है :–

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जातियों/ अनसूचित जनजातियों द्वारा गठित और भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त बैंकों की संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त महिला बैंकों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1
2.	गुजरात	–	5
3.	कर्नाटक	–	4
4.	महाराष्ट्र	2	28
5.	मध्य प्रदेश	–	2
6.	मणिपुर	–	1
7.	नई दिल्ली	1	–
	जोड़	4	41

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विशेष दर्जे को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए शेयर पूंजी से संबंधित प्रवेश मानदंडों में उन्हें अर्थक्षमता मानदंडों के 50 प्रतिशत तक की ढील दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समीक्षा समितियां/बैंक स्तरीय समीक्षा समितियां गठित करें, और उनकी प्रगति की आवधिक समीक्षा भी करें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

*255. डा. मुमताज अंसारी :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1994 में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिए कोई नियम/मार्ग-निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन नियमों/मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) कौन-कौन सी संस्थाएं इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रही हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट वित्तीय कंपनियों को 13 जून, 1994 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनके पास 50 लाख रुपए और इससे अधिक की निवल स्वामित्व की निधियां हैं और जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत है। इन मार्गनिर्देशों में आय की पहचान, लेखा मानक, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने, पूंजी पर्याप्तता ऋण/निवेश आदि पर ध्यान देने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए हुए हैं।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकृत वित्तीय कंपनियों द्वारा विवेकसम्मत मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सूचना फार्मेट निर्धारित किया है और उनसे कहा है कि वे लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करें। विवरणी को उस तारीख से दो महीने की अवधि के अंदर-अंदर प्रस्तुत किया जाना है जिस अवधि से वह संबंधित है। पहली विवरणी 31 मार्च, 1995 से संबंधित है।

पूंजीगत-माल का आयात

*256. श्री नीतीश कुमार :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए कोई विशेष आयात-लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूंजीगत माल के आयात पर कर में छूट देने के कारण स्वदेशी वस्त्र मशीन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ;

(घ) यदि हां, तो अब तक मद-वार कुल कितनी मात्रा में पूंजीगत माल का आयात किया गया;

(ङ) सरकार ने ऐसे आयात की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं; और

(च) वस्त्र मशीन उद्योग के हितों की रक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के तहत 15 प्रतिशत रियायती सीमाशुल्क पर आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसे लाइसेंसों की सी आई एफ मूल्य का 4 गुणा निर्यात दायित्व की शर्त होती है। अब तक कुल 7446.92 करोड़ रुपए की आई एफ मूल्य के 4773 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। वास्तविक आयात से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे हैं।

(च) ई पी सी जी लाइसेंस भी शुल्क-योग्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, वस्त्र मशीनरी के विनिर्माताओं सहित स्वदेशी-विनिर्माता भी उपर्युक्त रियायती सीमा शुल्क दर पर आवश्यक संघटक आयात करके मशीनरी सप्लाई करने के लिए पात्र हैं।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पर्यटन विकास

*257. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में, विशेष रूप से हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों से गैर-सरकारी क्षेत्र और टूर-आपरेटरों को सहयोजित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना बनायी गयी है और स्वीकृत की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक लागू किया जायगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). पर्यटन के लिए आधारभूत सुविधाओं के सर्जन एवं सुधार करने में भारी निवेश होता है और चूंकि सरकार के संसाधन सीमित हैं इसलिए ऐसे निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को उत्साहित करने हेतु सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

तदनुसार राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे पर्यटन निवेश योजना तैयार करें जो उनके पर्यटन मास्टर योजनाओं को एक अनिवार्य हिस्से के रूप में काम करेगी। इन निवेश योजनाओं में स्थापित की जाने वाली सुविधाओं की ऐसी प्रकार से संकेत दिए जाने चाहिए जो विशिष्ट पर्यटक गंतव्यों से संबंधित हों। कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में नीतिगत घोषणाएं कर दी हैं और होटल तथा पर्यटन क्षेत्र परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशों के लिए विशिष्ट स्थलों की शिनाख्त कर ली है।

कॉफी का निर्यात

*258. श्री श्रीकांत जेना :
श्री मोहन रावले :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू बाजार में जून, 1994 में विद्यमान कॉफी की कीमत की तुलना में इसकी वर्तमान कीमत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में कॉफी की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इससे कॉफी की कीमत में कितनी गिरावट आई है तथा इसके निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध से कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है;

(घ) क्या सरकार को कॉफी उत्पादक संघ की तरह से कॉफी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के विरूद्ध कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च). माह जून, 1994 से दिसंबर, 1994 तक की अवधि के दौरान स्वदेशी बाजार में कॉफी की औसत खुदरा बाजार कीमत निम्नानुसार रही है :—

जून 1994	अगस्त 1994	दिसंबर 1994	(रु. प्रति 50 किग्रा.)
	(जब निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया)	(अद्यतन कीमत)	
4560	8063	5950	

सरकार ने स्वदेशी बाजार में कॉफी की अभूतपूर्व कीमत वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि अगस्त, 1994 में कॉफी के निर्यात पर मात्रा का प्रतिबंध लगाया जाए ताकि स्वदेशी उपलब्धता में सुधार हो सके। इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, घरेलू कीमत में स्पष्ट गिरावट आ गई थी। दूसरी ओर, चालू कैलेण्डर वर्ष के दौरान कॉफी का निर्यात 131,842 मी. टन के अभूतपूर्व स्तर पर हुआ। इसलिए, उक्त प्रतिबंधों के कारण विदेशी मुद्रा को आय की दृष्टि से कोई हानि नहीं हुई।

सरकार को विभिन्न उत्पादक संघों से ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिनमें कॉफी के निर्यात पर नियंत्रण समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया था। इन ज्ञापनों पर गुणावगुण आधार पर विचार किया गया और सरकार ने हाल ही में कॉफी के निर्यात पर अधिकतम सीमा में छूट देते हुए उसमें चालू कैलेण्डर वर्ष के लिए 10,000 मी. टन की वृद्धि कर दी है। सभी वास्तविक निर्यात ऑर्डरों को पूरा करने के लिए एक उदार दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। यहां तक कि, कॉफी के जिन कुछ निश्चित ग्रेडों के निर्यात पर पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, अभिपुष्ट निर्यात ऑर्डरों के लिए उन ग्रेडों की अनुमति दे दी गई। इन ग्रेडों के निर्यात के लिए विभिन्न मूल्यवर्धित रूपों की भी अनुमति दे दी गई है।

पटसन उद्योग

***259. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन की वस्तुओं पर आन्तरिक बाजार सहायता देनी बन्द कर दी है तथा क्या उसका विचार विदेशी बाजार सहायता संबंधी मानदंडों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पटसन उद्योग पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ). आन्तरिक बाजार सहायता तथा बाह्य बाजार सहायता (ई एम ए) योजनाएं क्रमशः घरेलू तथा निर्यात बाजारों में विविधीकृत पटसन उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए आरम्भ की गई थी। योजनाओं को अनिश्चित काल तक जारी रखने का विचार नहीं था। आन्तरिक बाजार सहायता को मई, 1994 में इस मूल्यांकन के बाद वापिस ले लिया गया था कि विविधीकृत पटसन उत्पाद घरेलू बाजार में अपनी स्थिति बनाने में सफल रहे तथा योजना का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया था। निर्यात बाजार में विविधीकृत पटसन उत्पादों के विपणन संबंधी विविध पहलुओं का ई एस ए योजना के मानदण्डों में अपेक्षित परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात

***260. श्री रमेश चेन्नितला : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत गत एक वर्ष के दौरान कुल कितना आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार को फर्जी आयात के कुछ मामलों की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें कुल कितनी राशि के शुल्क की चोरी अंतर्ग्रस्त है; और

(ङ) ऐसे फर्जी आयात को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत गत एक वर्ष के दौरान लगभग 2700 करोड़ रुपये का कुल आयात किया गया।

(ग) से (ङ). धोखे से आयात के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। ये मामले निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए अनपेक्षित माल के आयात, माल आदि के विवरण की गलत घोषणा से संबंधित हैं। ऐसे मामलों पर सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है और जहां पर उल्लंघन प्रमाणित हो जाता है वहां पर जुर्माने और अर्थदण्ड सहित शुल्क वसूल किया जाता है। चूंकि बहुत से मामले अभी भी जांच/न्याय-निर्णयन के अंतर्गत पड़े हैं इसलिए शुल्क अपवंचन की राशि के बारे में नहीं बताया जा सकता।

गुजरात में उद्योगों को ऋण

2527. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक गुजरात के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए वित्तीय और निवेश संस्थानों आदि द्वारा वर्ष-वार कितनी सहायता राशि मंजूर की गई और कितनी सहायता राशि जारी की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों को अखिल भारतीय वित्तीय और निवेश संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित सहायता निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए)

	मंजूरी	संवितरण
1992-93@	1122.3	745.6
1993-94@	1266.5	488.3
1994-95* (अप्रैल-सितम्बर)	524.6	190.2

@ शामिल की गई संस्थायें ये हैं—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई), भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, एससीआईसीआई लि. जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लि. (आरसीटीसी), भारतीय प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी लि. (टीडीआईसीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)।

* शामिल की गई संस्थाएं हैं—आईडीबीआई, आईएफआई, आईसीआईसीआई, सिडबी और आईआरबीआई।

मंत्री द्वारा किए गए दौरे

2528. **श्री सुब्रत मुखर्जी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय ने कितने देश में तथा कितने दिन विदेशों का दौरा किया;

(ख) इन यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या यह व्यय केन्द्र सरकार के बजट में से किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो खर्च का स्रोत क्या रहा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

मंत्रियों के दौरे

2529. **श्री अमल दत्त :**
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री ने देश में और विदेश में कितने-कितने दिन यात्रा की;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक यात्रा पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या ये खर्चे केन्द्र सरकार के बजट से किए गए; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन खर्चों का स्रोत क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नवम्बर, 1994 तक वाणिज्य मंत्री जी 114 दिन (45 शनिवार एवं रविवार सहित) दौरे पर रहे, जिनमें से वे 54 दिन देश के बाहर और 60 दिन देश के भीतर दौरे पर थे।

(ख) से (ङ). एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	तारीख	स्थान	भारत सरकार द्वारा किया गया खर्च (रुपए)
1	2	3	4
01.	10.04.1994 से 17.04.1994	पेरिस-जेनेवा-माराकेस कासाब्लांका-अम्सटर्डम	86,737/-
02.	22.04.1994 से 24.04.1994	कलकत्ता	6,330/-
03.	29.04.1994 से 31.05.1994	बंबई-हैदराबाद	5,493
04.	07.05.1994	अहमदाबाद	गैर-सरकारी दौरा खर्च मंत्री जी द्वारा उठाया गया
05.	13.05.1994 से 16.05.1994	कलकत्ता बेरहामपुर	
06.	19.05.1994 से 22.05.1994	गुवाहाटी-कलकत्ता	3,396/-
07.	28.05.1994 से 02.06.1994	ज्यूरिख-रोम मिलान-लन्दन	61,191/-
08.	16.06.1994 से 19.06.1994	कलकत्ता	6,265/-
09.	29.06.1994 से 02.07.1994	मास्को	एयर इंडिया की विशेष उड़ान से
10.	06.07.1994 से 10.07.1994	कलकत्ता-सिल्चर	9,112/-
11.	22.07.1994 से 23.07.1994	कलकत्ता	6,270/-

1	2	3	4
12.	05.08.1994 से 07.08.1994	मद्रास-त्रिची	
13.	08.08.1994 से 09.08.1994	कलकत्ता	6,920/-
14.	12.08.1994 से 15.08.1994	कलकत्ता	6,970/-
15.	20.08.1994 से 28.08.1994	जोहानसबर्ग-फ्रैंकफुर्ट-तेहरान	1,31,695/-
16.	01.09.1994 से 05.09.1994	मास्को-अल्मबटोर-मास्को	1,27,204/-
17.	10.09.1994 से 11.09.1994	हैदराबाद	गैर-सरकारी दौरा। खर्च मंत्री जी द्वारा उठाया गया।
18.	13.09.1994 से 18.09.1994	मास्को-फ्रैंकफुर्ट-जेरोब-ज्यूरिख दुबई	92,393/-
19.	22.09.1994	उदयपुर	विशेष हवाई जहाज से
20.	24.09.1994 से 26.09.1994	बंगलौर-कलकत्ता	7,977/-
21.	28.09.1994 से 06.10.1994	न्यूयार्क-कलकत्ता	1,01,017/-
22.	10.10.1994 से 15.10.1994	कलकत्ता-किरनाबार	3,445/-
23.	18.10.1994 से 22.10.1994	लंदन-न्यूयार्क कोलम्बस-न्यूयार्क	1,24,308/-
24.	31.10.1994 से 02.11.1994	कलकत्ता	6,946/-
25.	10.11.1994 से 11.11.1994	जम्मू	4,930/-
26.	16.11.1994 से 17.11.1994	बंगलौर	बिल अभी प्रस्तुत नहीं किया गया।
27.	18.11.1994 से 20.11.1994	रांची-कलकत्ता	7,946/-
28.	23.11.1994	बंगलौर	गैर-सरकारी दौरा। खर्च मंत्री जी द्वारा उठाया गया।
29.	25.11.1994 से 27.11.1994	बम्बई-दमन	3,043/-
30.	30.11.1994	कलकत्ता	बिल अभी प्रस्तुत नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रमिक विद्यालय

2530. श्री एन.जे. राठवा :
श्री धर्मभिक्षम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात और आंध्र प्रदेश में श्रमिक विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). शिक्षा विभाग द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के अनुसार, गुजरात राज्य आठवीं योजना अवधि के दौरान चार श्रमिक विद्यापीठों के लिए पात्र है। राज्य में फिलहाल तीन श्रमिक विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं। वे अहमदाबाद, बडोदरा और सूरत में स्थित हैं। गुजरात राज्य एक और श्रमिक विद्यापीठ के लिए पात्र है जिसके लिए दो प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश राज्य आठवीं योजना अवधि के दौरान पांच श्रमिक विद्यापीठों के लिए पात्र है। राज्य में पांच विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं और वे हैदराबाद, रंगारेड्डी, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में स्थित हैं।

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ

2531. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन वरिष्ठ अधिकारियों ने, जो भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ की प्रबंधक समिति के सदस्य हैं, समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रती के रूप में भाग लिया, जबकि संघ के अनुच्छेद-एस में का, उपबंध ऐसे विशेष आमंत्रितयों के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैठकों में जिन अधिकारियों ने भाग लिया, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और निर्यात संवर्धन के कार्य में इस शीर्षस्थ संगठन को प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वाणिज्य मंत्रालय के दो अधिकारी फियो की प्रबंधक समिति के नामित सदस्य हैं। ये अधिकारी नामित सदस्यों के रूप में बैठकों में भाग लेते हैं जो कि फियो के नियमों और विनियमनों के अनुरूप हैं। तथापि फियो के

कुछेक अन्य सदस्यों ने प्रबंधक समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में भाग लिया है।

(ख) और (ग). पिछले 3 वर्षों के दौरान फियो की प्रबंधक समिति की बैठकों में भाग लेने वाले ऐसे विशेष आमंत्रितों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। फियो सोसाईटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है और यह अपने सब कार्यों को प्रबंधक समिति के अनुमोदन से संचालित करता है। विशेष आमंत्रित लोग अध्यक्ष के निमंत्रण पर ही बैठकों में भाग लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय फियो के साथ, निर्यात संवर्धन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, इसकी स्वायत्तता संबंधी एक्जिम नीति के पैरा 149 तथा सरकार द्वारा सहायता कीमतों से संबंधित एक्जिम नीति के पैरा 150 को ध्यान में रखते हुए, नजदीकी संपर्क रखता है। फियो को यह सलाह दी गई है कि वह यह सुनिश्चित करें कि नियम प्रावधानों का कोई उल्लंघन न हो।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फियो) की प्रबंधक समिति की बैठकों में भाग लेने वाले विशेष आमंत्रितों की सूची

क्र.सं.	बैठक की तारीख	विशेष आमंत्रित
1	2	3
1991-92		
1.	10.07.1991	श्री वी.पी. पुंज
2.	31.07.1991	श्री बिनय कुमार
3.	08.10.1991	श्री वी.पी. पुंज
		भाई मोहन सिंह
4.	12.11.1991	श्री वी.पी. पुंज
5.	30.12.1991	श्री वी.पी. पुंज
		श्री रामू एस देवड़ा
6.	05.03.1992	श्री वी.पी. पुंज
		श्री बिनय कुमार
		श्री रामू एस. देवड़ा
1992-93		
1.	01.06.1992	श्री वी.पी. पुंज
		श्री रामू एस देवड़ा
		भाई मोहन सिंह
2.	18.08.1992	श्री वी.पी. पुंज
		श्री बिनय कुमार
3.	18.09.1992	श्री वी.पी. पुंज
		श्री रामू एस देवड़ा
4.	04.01.1993	श्री रामू एस देवड़ा
5.	06.03.1993	श्री रामू एस देवड़ा
	1993-94	
1.	20.05.1993	श्री वी.पी. पुंज
2.	22.07.1993	श्री बिनय कुमार
		श्री मोहन सिंह
		श्री वी.पी. पुंज
3.	17.09.1993	श्री पी.जी. पिल्लाई
		भाई मोहन सिंह
		श्री वी.पी. पुंज
		श्री रामू एस देवड़ा
		श्री किशोर के. शाह
4.	01.12.1994	श्री पी.जी. पिल्लाई
		श्री वी.पी. पुंज
		श्री रामू एस देवड़ा
		श्री किशोर के. शाह
5.	04.03.1994	श्री रामू एस देवड़ा
		श्री किशोर के. शाह

भारतीय सलाहकार सेवाओं की विकास दर

2532. श्री सूरज मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सलाहकार सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु कोई नए मार्ग निदेश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय सलाहकार सेवा क्षेत्र की विकास दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंप्यूटर सोफ्टवेयर के निर्यात सहित परामर्शी सेवाओं के निर्यात से हुई विदेशी मुद्रा आय तथा वृद्धि दर निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय	वृद्धि
1990-91	312	
1991-92	720	130 प्रतिशत
1992-93	831	15 प्रतिशत
1993-94	1369	64 प्रतिशत

(स्रोत : फियो)

(घ) परामर्शी सेवाओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अनेक संबंधित क्रियाकलापों जैसे—विदेश में बाजार अध्ययन, विदेश स्थित कार्यालय, प्रचार तथा बोलियों को तैयार करके प्रस्तुत करना तथा आयकर में राहत के लिए बाजार विकास सहायता की उपलब्धता शामिल है। इसके अतिरिक्त, परामर्शी सेवाओं के निर्यात सहित परियोजना निर्यातों का संवर्धन करने के उद्देश्य से संबंधित अनेक अन्य सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

जमाराशि में वृद्धि

2533. श्री शिव शरण वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाएं हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार जमाराशि में कितनी वृद्धि हुई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार संख्या और मार्च, 1993 और मार्च, 1994 को समाप्त वर्षों के दौरान इन बैंकों में जमाराशियों की वृद्धि का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.06.1994 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की राज्यवार संख्या और मार्च, 1993 तथा मार्च 1994 को समाप्त वर्षों के दौरान इन बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शाखाओं की संख्या (30.6.94 की स्थिति के अनुसार)	जमाराशियों में प्रतिशत वृद्धि	
		मार्च, 1993	मार्च, 1994
1	2	3	4
हरियाणा	1011	16.2	17.2
हिमाचल प्रदेश	621	16.4	17.7
जम्मू एवं कश्मीर	256	20.6	13.6
पंजाब	1986	14.4	17.8
राजस्थान	1842	16.3	18.6
चंडीगढ़	112	25.1	13.3
दिल्ली	1064	13.1	32.3
अरुणाचल प्रदेश	49	15.4	12.4
असम	813	10.3	13.6
मणिपुर	56	-3.8	19.6
मेघालय	127	18.1	15.4
मिजोरम	26	3.3	2.0
नागालैंड	62	6.1	-2.8
त्रिपुरा	91	9.0	-0.6
बिहार	3011	11.3	12.3
उड़ीसा	1317	17.9	9.2
सिक्किम	40	16.6	4.4
पश्चिम बंगाल	3307	15.7	14.4
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	30	-21.8	19.9
मध्य प्रदेश	2790	10.9	15.5
उत्तर प्रदेश	5318	12.4	15.8
गोवा	253	19.5	17.3
गुजरात	2983	17.5	18.1
महाराष्ट्र	4576	20.6	6.2
दादर और नगर हवेली	7	50.2	33.6
दमन एवं दीव	10	20.3	25.9
आंध्र प्रदेश	3384	13.4	16.7
कर्नाटक	2823	18.9	10.0
केरल	1709	24.1	22.6
तमिलनाडु	3289	23.5	10.8
लक्षद्वीप	8	18.1	12.4
पांडिचेरी	60	17.4	17.4
अखिल भारत	43031	16.6	14.9

महाराष्ट्र में दर्ज बेरोजगार व्यक्ति

2534. श्री अंकुशराव टोपे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में नवम्बर, 1994 तक दर्ज विकलांग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विकलांग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या विकलांग तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटा भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आरक्षित रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ). आरक्षित कोटे की भरी गई इन रिक्तियों के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, 3 प्रतिशत रिक्तयां केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में ग्रुप "ग" एवं "घ" पदों के विकलांग व्यक्तियों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में इससे तुलनात्मक पदों हेतु आरक्षित कर दी गई है। मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त दृष्टिहीन एवं श्रव्य विकलांगों हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग भरने हेतु 1988, 1989 तथा 1990 में विशेष अभियान चलाया गया था तथा ग्रुप "ग" एवं "घ" पदों पर दृष्टिहीन विकलांगों हेतु बैकलाग रिक्तियां शीघ्र भरी जायेंगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम निम्न प्रकार हैं :-

(I) सरकार ने ग्रुप "क", "ख", "ग" एवं "घ" की रिक्तियां भरने हेतु सीधी भर्ती के सभी मामलों के अनारक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तदनुसार यदि अनु. जाति/अनु. जनजाति हेतु आरक्षित रिक्तियों के लिए अनु. जाति/अनु. जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, तो यह रिक्तियां अन्य किसी अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरी जायेंगी तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती हेतु पुनः प्रयास करें लिए रिक्त रखी जायेंगी।

(II) केवल अनु. जाति/अनु. जनजाति हेतु आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान (1989, 1990 एव 1991) चलाए गए।

(III) सीधे भर्ती कोटा में प्रोन्नति द्वारा पद भरे जाने के ग्रेड में अनु. जाति/अनु. जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, अनु. जाति/अनु. जनजाति के अभ्यथियों की भर्ती में हुई कमी को पूरा करने हेतु रिक्तियों को अस्थायी रूप से अनु. जाति/अनु. जनजाति हेतु सीधे भर्ती कोटा में सम्मिलित कर दिया है जब तक कि फीडर कैडर से अनु. जाति/अनु. जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हैं।

(IV) अनु. जाति/अनु. जनजाति के अभ्यर्थियों की कमी पूर्ण करने हेतु विभिम्न रियायतें/सुविधाएं जैसे अधिकतम आयु में छूट, परीक्षा/आवेदन पत्र शुल्क में छूट, परीक्षा में बैठने के अधिक अवसर, उपयुक्तता स्तर में छूट आदि उपलब्ध करा दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में रोजगार कार्यालयों द्वारा नियुक्त हुए विकलांगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की संख्या तथा चालू रजिस्टर पर उनकी संख्या।

(आंकड़े सैकड़े में)

श्रेणी	31.12.1993 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या (नवीनतम उपलब्ध)	वर्ष के दौरान हुई नियुक्तियां		
		1991	1992	1993
1. विकलांग आवेदक	239	6	5	4
2. अनुसूचित जाति आवेदक	5364	55	63	47
3. अनुसूचित जनजाति आवेदक	1189	22	21	14

नोट : यह अनिवार्य नहीं कि रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर सभी रोजगार चाहने वाले बेरोजगार हों।

निवेश में ठगी

2535. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक अधिनियम की कमियों और बैंक कारी विनियमों के कतिपय प्रावधानों का लाभ उठाकर निवेश में धन की ठगी की कई घटनाएं उनके ध्यान में लाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ समय पहले वापसी आदेशों, लाभांश वारंटों और भुगतान संबंधी अन्य लिखित-प्रपत्रों को धोखाधड़ी से भुनाए जाने की घटनाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रमुख महाडाकपाल, बम्बई और धोखाधड़ी के इन लेन-देनों से प्रभावित सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) को इस मामले की सूचना दी थी। हाल ही में, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक सब-ब्रोकर श्री चिमन कुमार आइख और बैंक आफ इंडिया,

भुवनेश्वर के एक अधिकारी श्री रणजीत कुमार दास के विरुद्ध अन्य बातों के अलावा भुवनेश्वर में पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और विजया बैंक, में खोले गए फर्जी खातों के माध्यम से वापसी आदेशों को भुनाने से संबंधित मामला दर्ज किया है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमान टैक्सी आपरेटर

2536. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विमान टैक्सी आपरेटर के सरकार को देय विमान-अवतरण शुल्क तथा अन्य शुल्कों का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी देय राशियों की वसूली में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवाएं

2537. डा. जयन्त रंगपी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सेवाओं से जिन-जिन कस्बों को जोड़ने का प्रस्ताव है, उसके नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त हेलीकाप्टर सेवा नेटवर्क से असम के दो पहाड़ी जिलों को जोड़ने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड के आंतरिक क्षेत्रों के सेवार्थ, यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के कम सुगम नगरों को, जिनमें असम भी शामिल है, पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रचालित हेलिकाप्टर सेवा के जरिये प्रारंभ में सीमित पैमाने पर, दो हेलीकाप्टरों से जोड़ा जाये।

इस क्षेत्र में प्रचालित किए जाने वाले प्रस्तावित मार्ग, जिन्हें पूर्वोत्तर परिषद और संबंधित राज्यों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जायेगा, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

आधार संरचनात्मक प्रबंधों की व्यवस्था के बारे में, नागालैण्ड सरकार से पक्के वायदे के अभाव में, प्रारंभ में यह सेवा अरुणाचल प्रदेश में जून, 1995 से शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकाप्टर सेवा द्वारा जोड़े जाने वाले प्रस्तावित स्थान (अन्तिम रूप नहीं)

कोहिमा बेस

कोहिमा-मोकोचुंग-तुनसंग-मोकोचुंग-वोखा-कोहिमा

कोहिमा-मोकोचुंग-मोन-मोकोचुंग-कोहिमा-जोरहाट

कोहिमा-पेक-जुनोबुटो-कोहिमा

कोहिमा-उखरूल-इम्फाल-तामेन्गलोन्ग-जिरिबन-सिलचर-जिरिबन-तामेन्गलोन्ग-इम्फाल-उखरूल-कोहिमा

डिब्रूगढ़ बेस

डिब्रूगढ़-पासीघाट-तुतिंग-पासीघाट-डिब्रूगढ़

डिब्रूगढ़-अलांग-डिब्रूगढ़

डिब्रूगढ़-रोइंग-एमिनि-रोइंग-डिब्रूगढ़

डिब्रूगढ़-डापारिजो-लिमकिंग-डापारिजो-डिब्रूगढ़

डिब्रूगढ़-हनाजार-तेजपुर-इटानगर-डिब्रूगढ़

अभ्रक की मांग और आपूर्ति

2538. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अभ्रक उत्पादों और अपरिष्कृत अभ्रक का पृथक-पृथक कुल कितना उत्पादन हुआ और इनका कितना निर्यात किया गया तथा इसकी घरेलू खपत कितनी रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत ने कुल कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में अभ्रक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया और यह कुल विश्व व्यापार का कितना प्रतिशत था;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विश्व में अभ्रक के उत्पादन और खपत में कमी आयी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार अभ्रक के उत्पादन और उसके निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अभ्रक का उत्पादन और निर्यात निम्नलिखित है :—

उत्पादन

वर्ष	(मात्रा : मी. टन में)
1991-92	5957
1992-93	3997 (अनन्तिम)
1993-94	3113 (अनन्तिम)

स्रोत : आईबीएम, नागपुर

निर्यात

(मात्रा : मी. टन में)

संसाधित अभ्रक		अभ्रक उत्पाद (गढ़ा हुआ, पावडर तथा अन्य)	योग
वर्ष	मात्रा	मात्रा	कुल मात्रा
1991-92	6159	28721	34880
1992-93	5722	22019	27741
1993-94	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	28156

खपत

पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक की खपत के बारे में सही-सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, आईबीएम, नागपुर के अनुसार वर्ष 1987 से 1989-90 तक सभी उद्योगों के लिए हर प्रकार के अभ्रक की खपत निम्नलिखित रही :-

1987	—	—9150 (मी. टन)
1988	—	—8750 (मी. टन)
1989-90	—	—9300 (मी. टन)

(ख) अभ्रक के विश्व व्यापार की मात्रा के सही-सही ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ग) विश्व में अभ्रक की खपत पर अप्रचलित प्रौद्योगिकी, सोवियत संघ के विघटन तथा विश्व में आम आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा है।

(घ) अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात नीति की पुनरीक्षा और अभ्रक के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात पर बल दिए जाने का प्रस्ताव है।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण

2539. **श्री चित्त बसु :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सभी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किए हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1994 तक सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के बड़े, मझौले और लघु क्षेत्रों, कृषि तथा व्यापार पर कितने राशि के ऋण अशोध्य तथा संदिग्ध रूप से बकाया थे तथा बैंकों ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान किए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों (पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर, जिसने अभी तक 31.3.94 को समाप्त वर्ष के लिए अपने तुलन-पत्र को अंतिम रूप नहीं दिया है) ने 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कथित फर्जी कारोबार

2540. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर मध्य जोन ने कथित फर्जी कारोबार के कारण कुछ बीमा एजेंटो की विभिन्न क्लबों की सदस्यता समाप्त कर दी है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण हैं;

(घ) क्या इन एजेंटों को इस प्रकार से अपना कारोबार बढ़ाने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के प्राधिकारियों ने प्रेरित किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा एजेंटों का समर्थन करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जाली कारोबार का कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठते।

यूरो बांड बाजार

2541. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में क्रेडिट रेटिंग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई;

(ग) इसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) किन-किन कंपनियों को यूरो बांड बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारतीय निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए) द्वारा प्रमुख बैंकों, निवेश संस्थाओं और वित्तीय सेवा कंपनियों के साथ मिलकर 30-31 अगस्त, 1994 को क्रेडिट रेटिंग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) चर्चा के मुख्य विषय भिन्न-भिन्न तरह के समिष्ट ऋणों की गुणवत्ता और सेवा क्षमता तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं एवं यूरो निर्गमों की रेटिंग थे।

(ग) विचार गोष्ठी से रेटिंग विशेषज्ञों एवं समिष्ट निर्गमकर्ताओं, निवेशकों और बाजार बिचौलियों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान करना सरल हो गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजसहायता

2542. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीबों के लिए दी जा रही राजसहायता को छोड़कर सभी प्रकार की राजसहायतों को रोकने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजसहायताओं को रोके जाने के कारण जनता पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि की राजसहायता को रोका गया है तथा किन-किन क्षेत्रों में राजसहायता दिया जाना रोक दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्षों से सरकार द्वारा वहन किए गए विभिन्न आर्थिक सहायताओं की प्रवृत्ति व्यय बजट खण्ड-1 दस्तावेज के अनुबंध 3.1 की सारणी में दी हुई है, जिसे बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया था।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों द्वारा निगमित घरानों को धन दिया जाना

2543. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वाणिज्यिक पत्रों के जरिए बैंकों द्वारा वित्त-पोषण किए जा रहे निगमित घरानों के संबंध में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ विदेशी बैंक सितम्बर, 1994 के दौरान रिजर्व बैंक के साथ अपनी "कैश रिजर्व रेशो" (सी.आर.आर) और 'स्टेचुअर्स लिक्विडिरी रेशो' (एस.एल.आर) के मामले में दोषी पाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं और बैंक-वार 'सी. आर.आर.' और 'एस.एल.आर.' के अंतर्गत कितनी-कितनी धनराशि की चूक पाई गई; और

(च) रिजर्व बैंक द्वारा इन दोषी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

(घ) से (च). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 16 सितम्बर, 1994 को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए एक विदेशी बैंक (अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक) ने प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रख-रखाव में चूक की थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(I)	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात, जिसका रख-रखाव अपेक्षित था	3,88,24,64,170 रु.
(II)	प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात, जिसका वास्तव में रखरखाव किया गया	2,79,39,83,000 रु.
(III)	प्रारक्षित नकदी निधि के रखरखाव में कमी	1,08,84,81,170 रु.

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि प्रश्नगत पखवाड़े के लिए पात्र प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात शेष पर देय ब्याज, संबंधित बैंक को जारी नहीं किया गया है।

जहां तक सांविधिक चल-निधि अनुपात (एस.एल.आर) के रखरखाव का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1994 के महीने के दौरान किसी भी विदेशी बैंक ने चूक नहीं की थी।

वस्त्रों का उत्पादन

2544. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान सभी रेशों अथवा मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा;

(ख) इसमें मिलों, विद्युत करघों और हथकरघों द्वारा अलग-अलग रूप से कितना उत्पादन किया जायेगा;

(ग) क्या वर्ष 1993-94 की तुलना में विभिन्न उप-क्षेत्रों द्वारा उत्पादन में भारी उलट-फेर होने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान हथकरघा क्षेत्र को कुल कितनी राजसहायता की गई और चालू वर्ष में इसका अनुमानित उत्पादन कितना होगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान सभी प्रकार के फाइबरों के कपड़े का प्रत्याशित उत्पादन 28,155 मिलियन वर्ग मी. होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कपड़े के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	क्षेत्र	फैब्रिक का उत्पादन (मिलियन वर्ग मी. में)
1994-95	मिल	1875
	हथकरघा	5750
	विद्युतकरघा	20100
	ऊन, रेशम, खादी	430
		28155

(ग) इस स्थिति में वर्ष 1993-94 की तुलना में कपड़े के उत्पादन के क्षेत्र-वार पैटर्न में किसी प्रकार का मुख्य अंतर आने की संभावना नहीं है।

(घ) वर्ष 1993-94 में विभिन्न राज्यों को जनता सब्सिडी के रूप में 124.18 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई। चालू वर्ष में हथकरघा क्षेत्र के लिए अनुमानित उत्पादन 5750 मिलियन वर्ग मी. है।

चिट और फाइनेंस कंपनियां

2545. श्री धर्मभिक्षम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बैंक गारंटीशुदा पंजीकृत चिट और फाइनेंस कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) कितनी वित्तीय कंपनियों को दिवालिया अथवा बंद घोषित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अप्रयुक्त ब्याज

2546. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री चित्त बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और/अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति रूप में वर्गीकृत किये गये ऋण खातों में ब्याज की राशि न डालने के निदेश बैंकों को दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रयुक्त ब्याज के संबंध में कर्जदारों की देयता का मारकलन करने के लिए क्या विधि अपनायी जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा ब्याज की कितनी देय धनराशि का परिकलन नहीं किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बकायों की वसूली

2547. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासौरा जिले में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक बकाया धनराशि के कम भुगतान के नाम पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आई.आर.डी. ऋण भी मंजूर नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो बकायों का बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आवेदकों को ऋण प्राप्त करने में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 22.2.1994 को जारी अपने परिपत्र के तहत सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शाखाओं/कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करने और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देना सुनिश्चित करने के लिए बैंक की मशीनरी को सक्षम बनाने के आदेश दिये हैं।

मितव्ययिता संबंधी दिशा-निदेशों को लागू करना

2548. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार में ग्रुप "ए" वर्ग में 10 प्रतिशत पदों की कटौती करने के मितव्ययिता संबंधी उपायों को लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार में ग्रुप "ए" के और अधिक पदों का सृजन करने तथा इसके समतुल्य धनराशि की बचत करने हेतु ग्रुप "सी" एवं "डी" पदों को समाप्त करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय परिषद की दिसम्बर, 1991 में हुई बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित निर्णय के अनुसरण में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा समूह "क" सहित सभी समूहों के कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब तक लगभग 62,000 पद कम कर दिए गए हैं। पदों में कटौती के परिणामस्वरूप हुई मितव्ययिता का ब्यौरा वर्ष-वार और समूह-वार केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पदों के सृजन से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों में यह उल्लेख किया गया है कि पदों के सृजन के लिए समतुल्य धनराशि की बचत उसी समूह के पदों अथवा उनसे तुरंत बाद की पदोन्नति वाले पदों को समाप्त करके की जानी है, न कि निचले स्तर के पदों को समाप्त करके।

करेंसी नोट

2549. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय रिजर्व बैंक से विभिन्न केन्द्रों को नव मुद्रित करेंसी नोटों की डिलीवरी का कार्य सितम्बर, 1994 में इस कारण प्रभावित हुआ था क्योंकि इनकी ढुलाई इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस के भीतर स्थित रेलवे साइडिंग में साधारणतया की जाने वाली ढुलाई के स्थान पर नहीं, बल्कि नासिक रोड रेलवे स्टेशन के मालगोदाम में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा नासिक रोड रेलवे मालगोदाम पर करेंसी नोटों की ढुलाई करते समय सुरक्षा संबंधी क्या उपाय किये गये थे;

(ग) क्या 50 रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के भरे एक मालडिब्बे में 14 अगस्त, 1993 को सेंध लगायी गयी और 10.50 लाख रुपये के 21 बंडल चुरा लिये गये; और

(घ) यदि हां, तो उनका पता लगाने के लिए तथा अपराधियों/दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के रेलवे साइडिंग पर कुछ मरम्मतों के कारण, चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक के नये छपे करेंसी नोटों को नासिक रोड रेलवे स्टेशन से भेजना पड़ा। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित लदान-कार्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा विशेष पुलिस अनुरक्षक दस्ता उपलब्ध कराया गया। तथापि, नोट की आपूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) 13-14 अगस्त,, 1993 की रात को भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के लिए जाने को तैयार भारत प्रतिभूति मुद्रणालय रेलवे साइडिंग स्थित रेलवे बोगी से 12 बंडल अर्थात 6 लाख रुपए मूल्य के 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों के 12,000 अदद चोरी हो गये।

(घ) उसके तुरंत पश्चात् 14 अगस्त, 1993 को नासिक पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। तबसे यह मामला उनकी छानबीन के अधीन था। पुलिस अनुरक्षक दस्ते में शामिल सभी लोगों को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के महाप्रबंधक द्वारा तीन विभागीय सुरक्षा कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र राज्य पुलिस, जो उपर्युक्त अपराध की छानबीन कर रही थी, अभी तक अपराधियों का पता नहीं लगा सकी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपराध की जांच का काम सी.बी.आई. को सौंप दिया है।

केरल राज्य में 'इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन'

2550. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'केरल स्टेट इलेक्ट्रिक डवलपमेंट कारपोरेशन' पर वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

सऊदी अरब के साथ आर्थिक संबंध

2551. श्री पी.सी. चाको : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समझौतों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों के बाद दोनों देशों को क्या लाभ मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). हाल में 3-4 दिसंबर, 1994 को हुई भारत-सऊदी अरब संयुक्त आयोग की चौथी सभा में उनके आर्थिक संबंधों के और विकास के लिए द्विपक्षीय आर्थिक मदों पर दोनों ओर से विचार किया गया लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के संवर्धन के विचार को ध्यान में रखते हुए सत्र में निवेश को सुकर बनाए जाने के लिए दोहरं कराधान से बचने और निवेशन सुरक्षा करार जैसे अनेक उपायों पर विचार किया गया।

तम्बाकू की मांग

2552. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न प्रकार की तम्बाकू की बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के तरीकों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू की अंतर्राष्ट्रीय मांग दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने हेतु तम्बाकू बोर्ड द्वारा बनायी गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). विश्व में अविनिर्मित तम्बाकू के समग्र उपभोग में पिछले तीन वर्षों में लगभग 3.7 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुई है।

बढ़ी हुई विश्व मांग को पूरा करने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अन्य बातों के साथ किए जा रहे कुछ उपायों/किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं :—

(I) बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद तथा विकास संबंधी रणनीतियों को फिर से अनुकूल बनाना;

(II) भारतीय तम्बाकू की गुणवत्ता और उत्पादकता स्तरों को बढ़ाना और इसकी उत्पादन लागत को कम करना ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य की दृष्टि से और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके;

(III) कीटनाशी अवशेषों की नियमित मानीटरिंग और कड़ा नियंत्रण;

(IV) अंतर्राष्ट्रीय ग्रेडिंग प्रणालियों के अनुरूप किसानों द्वारा ग्रेडिंग को प्रोत्साहित करना।

विदेशी इक्विटी अधिकार

2553. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को टोमको के विलय के मामरने में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विदेशी इक्विटी अधिकार संबंधी विनिर्णय को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). उच्चतम न्यायालय ने हिन्दुस्तान लीवर लि. (एच एल एल) के साथ टोमको के विलय के संबंध में अक्तूबर, 1994 को एक आदेश पारित किया है। विलय के परिणामस्वरूप, एच.एल.एल. में यूनिलीवर पी एल सी लि. की विदेशी इक्विटी धारिता 51 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से कम होकर 49.98 प्रतिशत पर आ जाएगी। मैसर्स यूनिलीवर पी.एल.सी. की इक्विटी धारिता को 51 प्रतिशत के स्तर पर पुनः स्थापित करने की दृष्टि से, एच एल एल ने भारतीय रिजर्व बैंक को तरजीही आधार पर यूनिलीवर पी एल सी को शेयर जारी किए जाने हेतु आवेदन किया था। बंबई उच्च न्यायालय के दिनांक 23/25 नवंबर, 1994 के अंतरिम आदेश के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर, 1994 को एच एल एल को 700 रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर 10 रुपए के 2984347 शेयरों के आबंटन हेतु सिद्धांत रूप में स्वीकृत दे दी है। यूनिलीवर पी एल सी से प्राप्त हुई धनराशि के परिणामस्वरूप, एच एल एल ने भारतीय रिजर्व बैंक को यूनिलीवर पी एल सी को शेयर जारी करने हेतु अंतिम अनुमति दिए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

असम में पर्यटन विकास

2554. श्री उद्धव बर्मन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). असम राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1994-95 में राज्य में पर्यटन विकास के लिए हाल ही में 3 प्रस्ताव भेजे हैं।

गुजरात में बैंक शाखाएं

2555. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 से नवम्बर, 1994 तक गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंको की वर्ष-वार कितनी नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें वर्ग-वार कितने नए कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं;

(ग) इनके चयन और नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान नई शाखाएं खोलने के लिए किन-किन स्थानों से अनुरोध प्राप्त हुए थे और उनकी संख्या कितनी थी;

(ङ) कितने अनुरोधों को स्वीकार किया गया और कितने अनुरोधों को अस्वीकार किया गया और कितने अनुरोध विचाराधीन हैं और इनकी अस्वीकृति किस आधार पर की गई तथा विचाराधीन निवेदनों के संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा;

(च) 1995 और 1996 में उक्त जिलों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं तथा कितनी शाखाएं खोली जाएंगी और ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी; और

(छ) बैंक शाखा खोलने हेतु क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने सेवा क्षेत्र में पता लगाए गए ग्रामीण केन्द्रों में शाखायें खोलने के ऐसे प्रस्तावों पर गुण दोषों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाता है जो संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होते हैं और जिनकी उचित रूप से सिफारिश की गई होती है। तदनुसार, गुजरात राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखायें खोलने के लिए मार्च, 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 54 प्राधिकार पात्र जारी किए। जहां तक अर्ध-शहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंकों को आबंटित कोटे के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर अपनी पसन्द के केन्द्र में शाखायें खोलने के लिए वे स्वतंत्र हैं। अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने के लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा बताई गई पसंद के अनुसार, गुजरात में अर्ध-शहरी केन्द्रों में शाखायें खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 83 केन्द्र आबंटित किए गए हैं। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर के केन्द्रों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित कार्य दल द्वारा पता लगाए केन्द्रों के आधार पर आबंटन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात राज्य में 65 ऐसे केन्द्रों का आबंटन किया है। चालू शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बैंकों को प्रस्तावित केन्द्र में पर्याप्त कारबार सुनिश्चित करने के पश्चात विशेषज्ञता प्राप्त शाखायें अर्थात औद्योगिक वित्त, विदेशी, एस आई बी/एस एस आई, एन आर आई, ट्रेजरी शाखायें आदि खोलने की स्वतंत्रता है। ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव, जो विशेषज्ञ शाखाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों के अनुरूप नहीं होते हैं, उसे भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूर्व अनुमोदन के लिए भेजना पड़ता है। बैंक अपने विस्तार काउंटर खोलने के लिए भी स्वतंत्र है बशर्ते कि वे उस संगठन के प्रमुख बैंकर हैं जिनके परिसर में वे विस्तार काउंटर खोलना चाहते हैं। वर्तमान बी ई पी के तहत, बैंकों से प्राप्त अनुरोधों का अनुमोदन, प्रस्तावित शाखाओं के अर्थक्षमता पहलू को ध्यान में रखकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, किया जाता है और इस प्रकार मामलों/प्रस्तावों के नामंजूर किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसों की वैधता एक वर्ष की होती है। लाइसेंस की वैधता अवधि को दो वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। संबंधित शाखाओं में शाखाएं खोलना आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्ष 1990 के दौरान और तदुपरांत नवम्बर 1994 (नवीनतम उपलब्ध) तक गुजरात राज्य में जामनगर और अन्य जिलों में खोली गई विभिन्न बैंक शाखाओं की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है :-

जिला	खोली गई शाखाएं				
जामनगर	1990	1991	1992	1993	1994 (नवम्बर तक)
जामनगर	शून्य	1	2	2	शून्य
अन्य जिला	58	2	26	45	15
कुल	58	3	28	47	15

उपर्युक्त शाखाओं के अवस्थितिक ब्यौरे और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित, परन्तु शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास लंबित केन्द्रों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय चाय व्यापार निगम

2556. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम हाल के वर्षों के दौरान वित्तीय संकट से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय चाय व्यापार निगम को हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में निगम के वित्तीय कुप्रबंधन पर प्रतिकूल टिप्पणी की है तथा इसके उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय चाय व्यापार निगम को घाटे से उबारने तथा वित्तीय कुप्रबंधन को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निगम को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वर्ष	लाभ/घाटा
	(लाख रुपयों में)
1991-92	(+) 58.01
1992-93	(—) 291.05
1993-94	(—) 473.87
	(लेखा-परीक्षा के अध्यधीन)

(ग) जी, नहीं। दिनांक 21 अप्रैल, 1994 को संसद में प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संघ सरकार (वाणिज्यिक) 1994 की संख्या 2 और 3 में भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड से संबंधित कोई पैरा शामिल नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड के बागान प्रभाग के द्वारा उठाए गए घाटे को ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन ने सभी पांच बागानों को बेचने का निश्चय किया है।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं : कारपोरेशन की वैधानिक देयिताओं को पूरा करने के लिए उसे ब्याजमुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना और कारोबार प्राप्त करने के लिए भारतीय चाय व्यापार निगम को सभी संभव सहायता देना।

[हिन्दी]

स्वनियोजित उद्यमियों को ऋण

2557. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में, विशेष रूप से मधुबनी और दरभंगा जिलों में जिला उद्योग केंद्रों द्वारा संस्तुत स्वनियोजित उद्यमियों को बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान ऋण नहीं दिया है;

(ख) ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान जिला उद्योग केंद्रों द्वारा संस्तुत स्वनियोजित उद्यमियों, विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र के उद्यमियों को बिना किसी विलम्ब के ऋण देना सुनिश्चित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर योजना के परिचालन की जिम्मेदारी जिला उद्योग केन्द्रों को सौंपी गई थी। जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल आवेदनों को बैंकों को प्रायोजित कर रहा था। बैंकों को आवेदकों को ऋण मंजूर करना था बशर्ते कि, ऋण प्रस्ताव अर्थक्षम और विनियोजनीय हों और उधारकर्ता पूर्व ऋणों आदि के चूककर्ता न हों।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यद्यपि शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अंतर्गत जिले वार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मंजूर किए गए ऋणों की संख्या और राशि के संबंध में बिहार राज्य के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	मंजूर किए गए ऋणों की राशि (करोड़ रुपए)
1991-92	8975	23.77
1992-93	6475	17.24
1993-94	4841	12.46
(आंकड़े अनन्तिम)		

2 अक्तूबर, 1993 को शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत बैंकों ने 1993-94 के दौरान बिहार राज्य में 1669 ऋण आवेदन मंजूर किए गए हैं, जिसमें 14.02 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है (आंकड़े अनन्तिम)।

(ग) और (घ). शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना दिनांक 1 अप्रैल, 1994 से प्रधान मंत्री की रोजगार योजना में मिला दी गई थी। प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ऋणों को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों के रूप में माना जाता है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अंतर्गत 25,000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अंदर और 25,000/- रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटाना होता है। बैंकों से कहा गया है कि वे प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण आवेदनों को निर्धारित समय-सीमाओं के अंदर निपटाएं।

[अनुवाद]

डिमाण्ड ड्राफ्ट पुस्तिकाओं की चोरी

2558. श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 और 1994 के दौरान विभिन्न बैंकों में डिमाण्ड ड्राफ्ट पुस्तिकाओं की चोरी/गुम हो जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनसे डिमाण्ड ड्राफ्ट पुस्तिकाएं चोरी/गायब हुई हैं; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल्हापुर विमानपत्तन

2559. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल्हापुर विमानपत्तन का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करके वहां से बोइंग विमानों की उड़ान को सुगम व आसान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र सरकार को कोल्हापुर हवाई अड्डे को लेने और इसे उनकी अपनी लागत पर बोइंग विमान के प्रचालन हेतु उन्नयन करने के लिए कहा गया है। इसके स्थानांतरण के ढंग का आकलन किया जा रहा है।

बाल श्रमिक

2560. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बापू हरि चौरे :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री शिवशरण वर्मा :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीन, पटाखा, चर्म तथा हथकरघा जैसे लघु उद्योगों में बाल श्रमिकों को रोजगार दिए जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल श्रमिक की शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बाल श्रम की प्रथा के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूरा होने वाला कोई गहन कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

परम्परागत पर्यटन

2561. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परम्परागत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) व्यापार और पर्यटन केन्द्रों पर कन्वेंशन हाल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने समेकित कन्वेंशन केन्द्रों की स्थापना हेतु कुछ स्थानों का चयन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार इन स्थानों के नाम क्या हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन विभाग ने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना में परम्परागत पर्यटन पर विशेष जोर और महत्व दिया है और बताया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाओं सहित एक कन्वेंशन नगर स्थापित करने का प्रयास करेगा। सरकार ने सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में परम्परागत पर्यटन पर एक समिति नियुक्त की है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रोत्साहन और सहयोग दिए जाने से यह आशा हो गई है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कन्वेंशन व्यवसाय में अपना उचित हिस्सा मिलेगा। भारत का एक परम्परागत गंतव्य स्थल के रूप में और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से संवर्धन करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आई सी पी बी) की स्थापना को समर्थन दिया है जिसमें पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय एयरलाइनों, प्रमुख होटल शृंखलाओं, टूर संचालकों, यात्रा एजेंटों और राज्य पर्यटन विकास निगम के सदस्य शामिल हैं। इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और कन्वेंशन एसोसिएशन (आई सी सी ए) का एक सदस्य है, जो सम्मेलन व्यवसाय में पुरानी विश्व संस्था है। इसका एक बड़ा डेटा बैंक है जिसमें एसोसिएशन मीटिंग मार्किट की सूचना रहती है और इसे भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो द्वारा बिक्री और विपणन क्रियाकलाप शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस और कन्वेंशन एसोसिएशन लगभग 500-600 बुलेटिन प्रतिवर्ष जारी करता है और ये, इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के विपणन के साधन हैं। इन बुलेटिनों और कैलेण्डरों के आधार पर, भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो, एसोसिएशनों के भारतीय प्रतिपूरक से सम्पर्क स्थापित करता है और विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक

कार्यालयों के माध्यम से निमंत्रित दस्तावेजों, संवर्धनात्मक सामग्री और संवर्धन के तरीके तैयार करने में सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें भारत में ऐसे सम्मेलन आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। कई वर्षों से भारत की ओर सम्मेलन यातायात बढ़ा है, वर्ष 1989 में 58 प्रमुख सम्मेलन और 488 राष्ट्रीय महत्व के कार्य से बढ़कर वर्ष 1993 में 67 प्रमुख सम्मेलन और 473 राष्ट्रीय महत्व के कार्य हुए। इसी तरह विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 1989 में 21015 से बढ़कर वर्ष 1993 में 29400 हो गई।

(ग) से (ङ). भारत में, होटलों और स्वतंत्र इकाइयों में मध्यम आकार के कन्वेंशन केन्द्र पहले ही देशभर में हैं। दिल्ली में, प्रमुख होटलों के अलावा, विज्ञान भवन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडिया हैबीटेट सेंटर जैसे कन्वेंशन केन्द्र भी हैं। आयोजकों को और बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आमंत्रित करने में समर्थ बनाने हेतु दिल्ली में कन्वेंशन के अलावा जयपुर (राजस्थान) में भी सुविधाएं मिली हैं और ऐसी ही सुविधाएं आगरा (उत्तर प्रदेश), बंगलौर (कर्नाटक) और बम्बई (महाराष्ट्र) में भी मिलने की आशा है। निकट भविष्य में नए कन्वेंशन केन्द्र स्थापित करने से पर्यटन उद्योग के इस क्षेत्र में तेजी से विकास करने की क्षमता उत्पन्न हुई है।

[हिन्दी]

दैनिक मजदूरी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते

2562. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दैनिक मजदूरी के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय दैनिक मंहगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय सरकार उन 40 अनुसूचित नियोजनों, जो व्यापक रूप से कृषि, खनन, निर्माण और रेलवे सैक्टरों से संबंधित हैं, में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण और संशोधन के लिए उत्तरदायी है। न्यूनतम मजदूरी के एक भाग के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से संबद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते के घटक का प्रावधान किया गया है। परिवर्ती मंहगाई भत्ते का उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में हुए उतार चढ़ाव के आधार पर प्रत्येक छमाही में संशोधन किया जाता है। परिवर्ती मंहगाई भत्ते में पिछला संशोधन 1 अक्तूबर, 1994 से किया गया था। भिन्न-भिन्न रोजगारों में कर्मकारों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए परिवर्ती मंहगाई भत्ते में प्रतिदिन 1.00 रु. से लेकर 3.11 रु. तक की बढ़ोत्तरी हुई है।

विदेश यात्रा

2563. श्री लाल बहादुर रावल :
डा. असीम बाला :
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री देश के अन्दर तथा विदेशों में कितने-कितने दिन दौरे पर गये;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च हुआ और इस धनराशि का स्रोत क्या था;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के बजट में से दिया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का स्रोत क्या था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री यात्रा अवधि सहित, 45 (पैंतालीस) दिनों के लिए देश के अन्दर और 30 (तीस) दिनों के लिए देश के बाहर दौरे पर रहे।

(ख) से (घ). विवरण-I और विवरण-II संलग्न है। व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया था। तथापि, वित्त मंत्री के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सदस्य होने के नाते स्पेन के दौरे से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भुगतान की गई राशि को सरकार के खाते में जमा करा दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री द्वारा देश के अन्दर किए गए दौरों का ब्यौरा।

क्रं.सं.	अवधि	दौरे का स्थान	व्यय हुई राशि
1	2	3	4
1.	01.04.1994 से 02.04.1994 तक	अहमदाबाद	4379/-रुपये
2.	10.04.1994 से 11.04.1994 तक	बम्बई	7738/-रुपये
3.	24.05.1994 से 26.05.1994 तक	डोईवाला	447/-रुपये
4.	29.05.1994 से 30.05.1994 तक	हैदराबाद	7438/-रुपये
5.	05.06.1994 से 07.06.1994 तक	मद्रास	10299/- रुपये

1	2	3	4
6.	22.06.1994 से 25.06.1994 तक	गुवाहटी/आइजोल/ अगरतल्ला	सूचना एकत्र की जा रही है।
7.	02.07.1994 से 04.07.1994 तक	बंगलौर तथा चित्रदुर्ग	9634/- रुपये
8.	05.07.1994 से 06.07.1994 तक	शिमला	50/- रुपये
9.	15.07.1994 से 16.07.1994 तक	त्रिवेन्द्रम	10472/- रुपये
10.	22.07.1994 से 23.07.1994 तक	बम्बई	7758/- रुपये
11.	30.07.1994 से 31.07.1994 तक	मद्रास	12598/- रुपये
12.	01.09.1994 से 02.09.1994 तक	लखनऊ	2974/- रुपये
13.	21.10.1994 से 22.10.1994 तक	ग्वालियर	650/-रुपये
14.	29.10.1994 से 30.10.1994 तक	हैदराबाद	9633/- रुपये
15.	31.10.1994 से 02.11.1994 तक	गुवाहटी	11883/- रुपये
16.	16.11.1994 से 18.11.1994 तक	कोटा	1740/- रुपये
17.	24.11.1994 से 26.11.1994 तक	बम्बई और कोल्हापुर	7728/- रुपये
18.	16.12.1994 से 18.12.1994 तक	अहमदाबाद	4820/- रुपये

विवरण-II

चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त मंत्री द्वारा देश के बाहर किए गए दौरों का ब्यौरा।

क्र.सं.	अवधि	देश, जहां दौरा किया गया	व्यय हुई राशि
1.	14.05.1994 से 23.05.1994 तक	अमरीका/ब्रिटेन	सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।
2.	09.07.1994 से 12.07.1994 तक	बंगलादेश	
3.	29.09.1994 से 06.10.1994 तक	स्पेन/ब्रिटेन	
4.	11.10.1994 से 14.10.1994 तक	सिंगापुर	
5.	02.12.1994 से 05.12.1994	सऊदी अरब	

[अनुवाद]

बी.आई.सी. मिलें

2564. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बीआईसी मिलों के कर्मचारियों/अधिकारियों की शिकायतों के संबंध में उत्तर प्रदेश कपड़ा मजदूर संघ और बीआईसी अधिकारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित बीआईसी के अधिकारियों के अभ्यावेदन तथा यू पी टैक्सटाइल मजदूर संघ के अभ्यावेदन की एक प्रति वस्त्र मंत्रालय में प्राप्त हुई है। बीआईसी के अधिकारियों की शिकायतें बी आई सी के बोर्ड तथा शिकायत निवारक समिति के सम्मुख है। बी आई सी की लाल इमली शाखा के कार्यकरण सम्बन्धी यूपी टैक्सटाइल मजदूर संघ के अभ्यावेदन की जांच-पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

ऋणों का भुगतान न करना

2565. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पादन करने वाले श्रमिकों को ऋणों का भुगतान न करने के कारण जेल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन ऋणों को माफ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में रेशम-उत्पादन में लगे किसी श्रमिक को ऋणों का भुगतान न करने के कारण जेल भेजे जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का रेशम उत्पादन में लगे श्रमिकों द्वारा लिए गए ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सिन्धु दुर्ग में पर्यटन विकास

2566. श्री सुधीर सावन्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सिन्धु दुर्ग जिले में पर्यटन के

विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाने हेतु कोई प्राधिकरण गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस जिले में पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार ने सिन्धु दुर्ग और विजयदुर्ग जिले के बीच में विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में 84 कि.मी. का तटीय विस्तार घोषित किया है और पर्यटन विकास योजना को तैयार करने का कार्य टाटा कंसलटेंसी सर्विसिस को सौंपा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक निकाय भी गठित किया है।

(घ) से (च). महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सिन्धु दुर्ग जिले में कंकेश्वर में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जिसे वर्ष 1993-94 के दौरान 24.80 लाख रुपए की लागत के लिए स्वीकृत कर दिया गया है।

ब्रशवेयर लिमिटेड

2567. श्री तारा सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत ब्रशवेयर लिमिटेड कम्पनी ने रक्षा इकाइयों और अन्यों से बड़ी संख्या में आर्डर प्राप्त होने के बावजूद गत आठ महीनों से अपना काम बन्द कर दिया है;

(ख) क्या प्रबन्धक कार्यकारी पुंजी, विद्युत और अन्य वैधानिक देयों को पूरा करने में असफल रहे हैं;

(ग) क्या श्रमिकों को लम्बे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कार्यशील पूंजी की कमी के कारण अप्रैल, 1994 से ब्रशवेयर लि. का प्रचालन अवरुद्ध हो गया है।

(ख) ब्रशवेयर लि. की धारक कम्पनी बी आई सी लि. को स्वतः ही कार्यशील पूंजी की कमी है इसलिए वह ब्रशवेयर लि. को कार्यशील पूंजी मुहैया नहीं करा पा रही।

(ग) और (घ). ब्रशवेयर लि. में 50 कामगार हैं। कामगारों को जून,1994 तक का वेतन अदा किया गया है तथा जुलाई, 1994 से बाद का वेतन उनको देय है। अभी तक 31 कामगारों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं की तस्करी

2568. श्री रामपाल सिंह :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नशीली दवाओं की तस्करी रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है; और,

(ग) इसमें कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) स्वापक औषध अवैध व्यापार को रोकने के लिए अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, मॉरीशस, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य तथा जाम्बिया की सरकारों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए अन्य देशों जैसे बल्गारिया, कनाडा, रोमानिया, रूस संघ और ब्रिटेन की सरकारों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) औषध अवैध व्यापार से संबंधित करारों का उद्देश्य स्वापक औषध के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए विदेशी सरकारों के साथ सहयोग के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ाना है। आतंकवाद को रोकने से संबंधित करारों पर हस्ताक्षर का उद्देश्य आतंकवादियों की गतिविधियों को निरूत्साहित करना है। सरकार इन करारों के परिणाम से संतुष्ट है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त पोषण की सुविधाएं

2569. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री फूलचंद वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी बैंकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु "नाबार्ड" से कोई पुनर्वित्त पोषण सुविधाएं प्राप्त नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिये सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान नहीं करता है। नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान्य ऋण व्यवस्था (जीएलसी) का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारी बैंकों (एससीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मौसमी कृषि परिचालनों (एसएओ) और अन्य अल्पावधिक उद्देश्यों के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान करता है। आर बी आई द्वारा प्रदान की गई सामान्य ऋण व्यवस्था (जी एल सी) सृजित धन (क्रियेटिड मनी) में से है, जिसमें स्फीतिकारक संभावना है और उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध कराने का जीएलसी में कोई प्रावधान नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का वित्तपोषण करने के लिये सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों/बैंकों से बार-बार प्राप्त हो रहे अनुरोधों के संदर्भ में नाबार्ड ने आरबीआई के परामर्श से मामले की जांच की है और यह निर्णय लिया है कि उन्हें सहायता नहीं दी जा सकती क्योंकि नाबार्ड से केवल उत्पादनोन्मुख क्रियाकलापों के लिये ऋण प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। चूंकि पीडीएस पूर्णतया एक व्यापारिक क्रियाकलाप है, जिसकी राज्य सरकार को एक कल्याण योजना के रूप में सहायता करनी होती है, इसलिए सहकारी बैंकों को अपने स्रोतों में से ही उक्त योजना को सहायता देनी पड़ती है।

[हिन्दी]

कपास का निर्यात

2570. श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास के मूल्य गत वर्ष निर्यात किए गए कपास के मूल्यों से अधिक चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में विभिन्न श्रेणियों के कपास के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या थे और उक्त अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन श्रेणियों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितने थे;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान कपास के इस तरह के निर्यात से वित्तीय घाटा उठाना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो उक्त वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ; और

(ङ) सरकार ने किन कारणों से देश से कपास के निर्यात की नीति अपनाई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) निर्यात के लिए कपास की निर्यात योग्य बेशी रिलीज करते समय सरकार के उद्देश्य घरेलू बाजार में कीमतों का स्थिरीकरण, कपास उपजकर्ताओं को लाभप्रद मूल्यों का प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति, कपास के एक स्थाई आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

[अनुवाद]

चीन के साथ बैंकिंग संबंध

2571. श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री रामपाल सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए किसी रामझौता ज्ञापन/समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता कब से प्रभावी होगा; और

(घ) इससे दोनों देशों को कितनी मदद मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 22 अक्तूबर, 1994 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ बैंकिंग सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और चीन दोनों देशों के केन्द्रीय बैंकों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि भारतीय स्टेट बैंक और अन्य प्रमुख भारतीय बैंक, दोनों देशों के विनियमों के अनुसार व्यापार और आर्थिक संबंधों को संचालित करने के लिए चीन में और भारत के बाहर कार्यरत चीनी बैंकों के साथ तदनुरूप बैंकिंग व्यवस्थाओं को मजबूत बनायेंगे। दोनों बैंक, प्रत्येक देश में विद्यमान चालू विनियमों के अध्यधीन दूसरे देश के बैंकों द्वारा प्रतिनिधि कार्यालय खोले जाने पर अनुग्रहपूर्वक विचार भी करेंगे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तारीख अर्थात 22 अक्तूबर, 1994 से वह प्रभावी हो गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारत और चीन की वर्तमान आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए दो देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी

2572. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रतिष्ठानों में मजदूरों को न्यूनतम एवं निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है अथवा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया है अथवा ऐसा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने नियम-भंग करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों, अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं। समुचित सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र स्थापित किये हैं। अधिनियम के किसी उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर प्रवर्तन तंत्र समुचित कार्रवाई करता है। अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में संसद के अन्दर और उसके बाहर शिकायतें की गई हैं। इस विषय के बारे में भारतीय श्रम-सम्मेलन, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन और हाल में आयोजित क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलनों जैसे विभिन्न मंचों पर विचार-विर्मश किया गया है। इन मंचों पर किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे राजस्व, कल्याण जैसे अन्य विभागों की सहायता लेकर निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि करके, राज्य स्तरीय निगरानी समितियां गठित करके और मीडिया के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का विस्तृत प्रसारण भी करके प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करें। अधिनियम में समुचित संशोधन करके अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

श्रमिकों की संख्या

2573. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों की अनुमानित संख्या क्या है तथा वर्ष 1981-91 की अवधि के दौरान श्रमिकों की संख्या कितनी बढ़ी है;

(ख) वर्ष 1991 में ग्रामीण, शहरी, संगठित, असंगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में नियुक्त श्रमिकों की पृथक-पृथक अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 में इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्त श्रमिकों की पृथक-पृथक संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 1992-97 के दौरान ग्रामीण, शहरी, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है तथा 31 मार्च, 1994 तक लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ; और

(ङ) रोजगार की वर्तमान विकास दर क्या है तथा वर्ष 1992-97 तथा 1997-2000 में पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कितनी विकास दर की आवश्यकता है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). 1991 की जनगणना के अनुसार अनुमानित श्रम 314.13 मिलियन था। इनमें से 249.03 मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में और 65.10 मिलियन शहरी क्षेत्र में था। 1981-91 दशक के दौरान श्रमिकों की कुल संख्या में 2.38 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़त हुई। संगठित, असंगठित और लघु क्षेत्र में श्रमिकों के वितरण जनगणना में उपलब्ध नहीं हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार वर्ष, 1991 में मुख्य श्रमिकों का सेक्टर-वार वितरण निम्नानुसार है :—

सेक्टर		मुख्य श्रमिकों की संख्या (मिलियन)
I.	कृषक	110.70
II.	खेतिहर मजदूर	74.60
III.	पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, शिकार और बागवानी, आर्चर्ड्स और सम्बद्ध क्रियाकलाप	6.04
IV.	खनन और उत्खनन	1.75
V.	विनिर्माण, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग और रिपेयर्स	
	(क) घरेलू उद्योग में	6.80
	(ख) घरेलू उद्योग से भिन्न	21.87
VI.	भवन निर्माण	5.54
VII.	व्यापार और वाणिज्य	21.30
VIII.	परिवहन भण्डारण और संचारण	8.02
IX.	अन्य सेवाएं	29.31
	कुल (I से IX)	285.93

नोट : जम्मू और कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं की गई।
1992 और 1993 के तुलनात्मक आंकलन उपलब्ध नहीं है।

आठवीं योजना दस्तावेज में किए गए आंकलन के अनुसार, योजना में यथाअभिकल्पित विकास की दर और ढांचे के आधार पर यह आशा की जाती है कि वर्ष 1992-97 के दौरान अतिरिक्त 43 मिलियन रोजगार अवसरों की वृद्धि होगी। इन आंकलनों को ग्रामीण, शहरी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नहीं बांटा गया है। 1992-94 के दौरान लगभग 12 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन होने का अनुमान लगाया गया है। योजना आयोग में किए गए अनुमान के अनुसार, योजना के पहले दो वर्षों में रोजगार सृजन में औसत वृद्धि 1.96 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। वर्ष 1997 तक पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि 1992-97 की पांच वर्षों की अवधि के

दौरान औसतन लगभग 3.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रोजगार सृजन किया जाए और वर्ष 2002 तक पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि 1992-2002 की दस वर्षों की अवधि के दौरान औसतन लगभग 2.6 से 2.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रोजगार सृजन किया जाए।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

2574. **श्री डी. पांडियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रोमोटरों द्वारा धन के दुरुपयोग को बचाने हेतु रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार संबंधी बी.आई.एफ.आर. के प्रस्तावों के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए बी.आई.एफ.आर. को अधिकार देने पर विचार करेगी; और

(ख) यदि नहीं, तो बी.आई.एफ.आर. के प्रस्तावों के कार्यान्वयन पर प्रोमोटरों के माध्यम से निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) फरवरी, 1994 में यथा संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 18 की उप-धारा 12, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को मंजूर की गई योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में हवाई दुर्घटना

2575. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या 9 जुलाई, 1994 को हिमाचल प्रदेश में एक हवाई दुर्घटना हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की कोई जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वायुयान नियम, 1937 के नियम 75 के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय गठित किया गया है। जांच न्यायालय की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

बाल मजदूर

2576. **श्री शरद दिघे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्रों तथा सेवा क्षेत्रों में नियुक्त बाल मजदूरी का कोई आंकलन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). 1981 की जनगणना के अनुसार खेतीहारों, कृषि श्रमिकों, पशुधन, वानकी, मत्स्यग्रहण, आखेट, बागान इत्यादि जैसे फार्म क्षेत्रों में नियोजित बाल श्रमिकों की संख्या 9,491,000 है। मात्र सेवा क्षेत्र से संबंधित अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

2577. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु एवं खनिज व्यापार निगम ने भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आयातित चीनी की सप्लाई की है; और

(ख) यदि हां, तो धातु एवं खनिज व्यापार निगम ने प्रति टन किस मूल्य पर चीनी आयात करके भारतीय खाद्य निगम को सप्लाई की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) एमएमटीसी द्वारा आयातित और समुद्रपर्यन्त आधार पर भारतीय खाद्य निगम को बेची गई चीनी की भारित औसत कीमत भारतीय पत्तन से मुक्त निकासी के रूप में, लगभग 383 अमरीकी डालर प्रति मी. टन सी एण्ड एफ बैठती है। इसके अलावा, मौजूदा क्रियाविधि के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा एमएमटीसी को प्रत्येक कार्गो की सी आई एफ लागत के 1.20 प्रतिशत का समान दर से अधिभार/सेवा प्रभार दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

गुजरात के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जमा राशि

2578. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं और इन बैंकों की कुल जमाराशि और कार्यकारी पूंजी का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और वर्षवार कितनी धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई;

(ग) क्या सरकार को इस अवधि के दौरान इन बैंकों में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) सरकार ने इन बैंकों को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात राज्य में 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कार्यरत हैं और मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार इन आरआरबी के द्वारा जुटायी गई जमाराशियां और उनकी कार्यशील पूंजी क्रमशः 165.43 करोड़ रु. और 226.45 करोड़ रु. थी।

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लाभान्वित हुए ग्रामीण ग्राहकों की संख्या क्रमशः 61923 और 56738 थी। इन आरआरबी के वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान संवितरित ऋणों की राशि क्रमशः 31.11 करोड़ रु. और 33.77 करोड़ रु. थी। नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य के पांच आरआरबी के, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, लाभान्वित ग्रामीण ग्राहकों की संख्या 35039 थी और संवितरित राशि 24.01 करोड़ रु. थी।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की सूचना प्रणाली से आमतौर पर आर.आर.बी. में और देश में उनकी शाखाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं की संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

तथापि, कार्यालय की जीप के दुरुपयोग, यात्रा और वाहन खर्चों के अनुचित दावे पेश करने, ऐसे खर्च करने, जिनसे बचा जा सकता था, संबंधी कुछ आरोपों के बारे में पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रयोजक बैंक द्वारा शिकायत की जांच करवायी गई थी और उसने शिकायत को बेबुनियाद पाया।

(ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से उनके ऋण परिचालनों में अधिक लचीलापन लाने और उनकी सम्बद्ध बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये दिसम्बर, 1993 में उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई है। इन उपायों में गैर-लक्ष्यगत समूह वित्त को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर-निधि कारोबार बढ़ाना, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यताओं से मुक्त करना, जिनका वर्ष 1992-93 के दौरान संवितरण 2 करोड़ रु. से कम था और उन्हें मंडियों, तालुक, जिला मुख्यालय, कृषि उत्पाद केन्द्रों जैसे स्थानों में घाटा देने वाली शाखाओं को पुनः स्थापित करने की अनुमति देना और उन शाखाओं के परिसरों, जिसके लिये आरआरबी प्रमुख बैंकर है, में विस्तार पटल खोलना शामिल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपॉजिट लॉकर सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति की गई है।

गुजरात में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में (भारत में 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) की उनके व्यापक पुनर्गठन के लिए पहचान की गई है।

दंगा पीड़ित योजना के अंतर्गत ऋण

2579. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दंगा पीड़ितों हेतु योजना के अंतर्गत कितने लोगों ने 25000/- रुपये से अधिक का बैंक ऋण लिया;

(ख) कर्जदारों द्वारा बैंक ऋणों के भुगतान संबंधी कितने मामले लम्बित पड़े हैं और आज की तारीख में दंगा पीड़ित कर्जदारों से कुल कितनी ऋण राशि (मूलधन) वसूल की जानी है;

(ग) क्या ये कर्जदार संबंधित बैंकों को नियमित रूप से अपने बैंक ऋणों का भुगतान कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उनसे ऋणों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) बैंक ऋणों की वसूली हेतु कितने मामले न्यायालयों में दायर किए गए;

(च) क्या सरकार को "दंगा पीड़ितों" हेतु योजना के अंतर्गत लिए गए ऋणों पर ब्याज दर कम करने और उन पर विधिक और विविध खर्चों को माफ करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी सूचना प्रणाली से मांगे गए अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ित उधारकर्ताओं के लिए बनी केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना (संशोधित) के अंतर्गत अब तक 26.38 करोड़ रुपए के दावे भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों से प्राप्त हो चुके हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ित उधारकर्ताओं के लिए "केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना" (संशोधित) के बारे में जिन कोर्ट मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक को पार्टी बनाया गया है, उनकी कुल संख्या 17 है।

(च) जी, हां।

(छ) नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ित उधारकर्ताओं को और राहत करने के लिए सरकार ने दिसम्बर, 1992 में यह निर्णय लिया था कि कुल 25,000 रुपये तक और उसके समेत सभी बैंकों से लिए गए पात्र ऋणों को मूल-धन की रकम तथा उस पर बकाया ब्याज को माफ किया जा सकता है, 31.3.1992 तक बकाया ऋणों की रकम पर ब्याज दर को कम करके एक प्रतिशत किया जा सकता है और शेष रकम की वसूली सामान्य ब्याज दर पर 5 वर्षों में वसूल की जा सकती है। सरकार के उपर्युक्त निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

केरल में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

2580. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री पी.सी. चाको :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य में इलैक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर हेतु निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना संबंधी केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). कोचीन के निकट कक्कानाड में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) की स्थापना संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है। इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार दूसरे किसी राज्य में ई पी आई पी की स्थापना पर विचार तभी किया जा सकता है जबकि पहले की स्थापना हो चुकी हो और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा हो।

ऋण वसूली

2581. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान अब तक देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संभावित वसूली की तुलना में कितने प्रतिशत ऋण की वसूली की गई;

(ख) ऋण वसूली में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उदारीकरण और विदेशी बैंकों द्वारा तैयार किया गया प्रतिस्पर्धी माहौल इस कमी के लिए जिम्मेवार है; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). मार्च, 1993 और सितम्बर, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अतिदेय राशियों की प्रतिशतता क्रमशः 18.25 प्रतिशत और 19.59 प्रतिशत थी। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार वसूली उसके प्रमुख पहलुओं में से एक है। समझौता ज्ञापन में, एक "वसूली कक्ष" स्थापित करके निष्क्रिय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए सहमति व्यक्त की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों की निष्क्रिय परिसम्पत्तियां कुल अग्रिमों का 24.4% (अनंतिम) थी। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की नियमित रूप से निगरानी करता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जून 1992 के अन्त तक के 54 प्रतिशत वसूली कार्य निष्पादन में जून 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत तक 54.3 प्रतिशत के रूप में मामूली सी वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने उनके वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में प्रभावी कार्यनिष्पादन की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक रूप से आवधिक अंतरालों पर निरीक्षण के दौरान जांच की जाती है। निरीक्षण रिपोर्टों में वाणिज्यिक बैंकों की निष्क्रिय परिसंपत्तियों की नजदीकी तौर पर मानीटरिंग की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा के दौरान बेहतर वसूली कार्यनिष्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकसम्मत मानदंड भी निर्धारित किए हैं ताकि बैंकों की परिसम्पत्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

[हिन्दी]

अल्प क्षमता वाली मिलें

2582. श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से चालू वित्त वर्ष के दौरान अल्प क्षमता वाली कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कितना खर्च आएगा?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा धनराशि का वितरण

2583. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजनाबद्ध ऋणदान के अंतर्गत "नाबार्ड" द्वारा गुजरात को गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गयी; और

(ख) "नाबार्ड" द्वारा चालू वर्ष के दौरान शुरू की गयी/शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य को योजनाबद्ध

ऋण के तहत पुनर्वित्त के रूप में क्रमशः 126.82 करोड़ रुपए और 168.78 करोड़ रुपए प्रदान किए।

(ख) गुजरात राज्य के लिए वर्ष 1994-95 हेतु नाबार्ड द्वारा आबंटित प्रयोजन वार पुनर्वित्त का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात राज्य के लिए योजनाबद्ध ऋण के तहत नाबार्ड द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए आबंटित प्रयोजन-वार आबंटित पुनर्वित्त का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

(रु. लाख में)

प्रयोजन	आबंटन
लघु सिंचाई	1840
आरईसी	1000
भूमि विकास	100
फार्म मशीनीकरण	6500
वृक्षारोपण एवं बागवानी	80
डेयरी विकास	1100
मत्स्य पालन	84
स्टोरेज/बाजार प्रांगण	700
वाणिकी	120
मुर्गी पालन	41
भेड़/बकरी/सुअर पालन	20
आईआरडीपी	2000
गैर-कृषि क्षेत्र	3340
जोड़	16925

बागडोगरा हवाई अड्डा

2584. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागडोगरा हवाई अड्डे पर घरेलू उड़ानों का उतरना निकट भविष्य में बन्द किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इसमें किसी विकल्प का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

विमान यात्रियों द्वारा सोने की तस्करी

2585. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान यात्रियों द्वारा सोने की तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण

2586. श्री कालकादास :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने झांसी, लखनऊ तथा कानपुर के छावनी क्षेत्रों में विभिन्न भूमि सौदों तथा बन रही बहुमंजिला इमारतों में निवेशित काले धन का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है;

(ग) क्या विभाग को उपरोक्त शहरों के रक्षा सम्पदा कार्यालय तथा छावनी बोर्डों से आवश्यक सूचना मिल गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या रक्षा नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक भूमि का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). कानपुर और लखनऊ छावनी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों के बारे में रक्षा मंत्रालय से आयकर विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी। जिन मामलों में अधिक अनधिकृत निर्माण शामिल था उन्हें आयकर जांच के लिए चुना गया था। इन जांचों के परिणाम कर-निर्धारण कार्रवाइयों में उपयोग के लिए कर-निर्धारण अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। छावनी कार्यपालक अधिकारी ने भी छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 184 के अन्तर्गत 1991 से 1993 तक तीन वर्षों में कानपुर में 141 मामलों और लखनऊ में 70 मामलों पर कार्रवाई की है। इसी अवधि में कानपुर में 25 परिसरों और लखनऊ में 2 परिसरों को भी गिरा दिया गया है।

एयर इंडिया के विमानों से तस्करी

2587. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खण्डूरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया का उपयोग भारत में सोने की तस्करी करने के लिए किया गया है;

(ख) क्या हाल ही में अगस्त, 1994 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गई जब्ती में विमान के "इलैक्ट्रॉनिक्स बे" और "एविओनिक्स केबिन" में निषिद्ध सोना छिपा हुआ पाया गया;

(ग) क्या विमान के इस तरह के संवेदनशील भागों में निषिद्ध वस्तुओं के छिपाकर रखने से विमान की सुरक्षा को खतरा हो सकता है;

(घ) 1993 और 1994 के दौरान एयर इंडिया के विमानों में सोने की तस्करी की कितनी घटनाओं का पता चला और पकड़े गए सोने की मात्रा और मूल्य का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सोने की तस्करी में विमानों का उपयोग करने पर रोक लगाने तथा एयर इंडिया संचालन की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) ऐसे कुछ मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सीमा-शुल्क अधिकारियों ने एअर इंडिया के विमान से तस्करी का सोना पकड़ा है।

(ख) जी, हां।

(ग) विमान के अंदर लावारिस वस्तु की मौजूदगी से सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

(घ) 1.1.93 से सोने की तस्करी की ऐसी 23 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें एअर इंडिया के विमान ग्रस्त थे। निशिद्ध सोने का कुल मूल्यं लगभग 7.86 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ङ) सुरक्षा प्रणाली को कसने और तस्करी के लिए एअर इंडिया के विमानों का उपयोग रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) खाड़ी के देशों की उड़ानों की ओर विशेष ध्यान देते हुए, विमान में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों की जामा तलाशी लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(2) रजिस्टर में प्रविष्ट के माध्यम से विमान में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के नामों पर निगरानी रखी जाती है।

(3) दरवाजों और निकासी क्षेत्रों पर अचानक जांच की जाती है।

(4) सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा विमानों के आगमन पर उनकी पूरी तरह जांच की जाती है।

(5) हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए दुबई और मस्कट में तैनात फ्लाईट हैंडलिंग ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन विकास संबंधी रिपोर्ट

2588. श्री लाल बाबू राय :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में पर्यटन विकास संबंधी रिपोर्ट तैयार करने हेतु बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये प्रस्ताव किन-किन स्थानों से संबंधित हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बालश्रम

2589. श्री बापू हरि चौरे :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खतरनाक उद्योगों में पांच वर्षों में बाल श्रम उन्मूलन संबंधी कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना वित्तीय आबंटन किया गया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 1994 के अपने भाषण में यह घोषणा की थी कि जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए लगभग 2 मिलियन बालकों को ऐसे व्यवसायों से मुक्त कराया जाना और उन्हें

स्कूलों में दाखिला दिलाना आवश्यक है। प्रधान मंत्री जी की घोषणा के अनुसरण में, सरकार वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए 2 मिलियन बालकों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है। इन बालकों को कार्यों से मुक्त कराने और उन्हें ऐसे विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाने की आशा की जाती है जो उन्हें छठी कक्षा से नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए समर्थ करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन बालकों के अभिभावकों के आय स्तर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों से मुक्त कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत अन्यों के साथ-साथ, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषित प्रस्तावित कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का उचित अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन पहले ही कर दिया गया है। (विवरण संलग्न है)

(ग) राज्य-वार वित्तीय आबंटन तैयार किया जा रहा है।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

संख्या जैड-19011/5/94-सी.एल.

भारत सरकार

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26.9.94

संकल्प

जोखिमकारी नियोजनों में बालकों का नियोजन प्रतिबद्ध किये जाने के संबंध में भारत के संविधान में यथा निर्धारित उपबंधों, बाल श्रम के नियोजन और बाल श्रम प्रथा को क्रमिक रूप से पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यवस्थित कार्रवाई करने की आवश्यकता से संबंधित अं.श्र.सं. के मानकों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बाल प्रथा को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ एक स्वायत्त सांविधिक निकाय का गठन किये जाने तक एक प्राधिकरण का निम्नानुसार गठन किये जाने का प्रस्ताव किया गया है :—

1. श्रम राज्य मंत्री	: अध्यक्ष
2. सचिव, श्रम मंत्रालय	: सदस्य
3. सचिव, व्यय, वित्त मंत्रालय	: सदस्य
4. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	: सदस्य
5. सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	: सदस्य
6. सचिव, कपड़ा मंत्रालय	: सदस्य
7. सचिव, कल्याण मंत्रालय	: सदस्य
8. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	: सदस्य
9. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय	: सदस्य
10. सचिव, परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	: सदस्य
11. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	: सदस्य
12. प्रभारी निदेशक, बाल श्रम, श्रम मंत्रालय	: सदस्य-सचिव

बाल श्रम पथा को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) विशेष रूप से जोखिमकारी नियोजनों में बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करना।

(2) बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने संबंधी कार्यक्रमों, परियोजना और योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करना।

(3) भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों की बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वयन।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सदस्यों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जनता की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

ह./-

(एस. गोपालन)

सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

पट्टे पर लिये गये फ्लेटों को खाली कराना

2590. श्री शशि प्रकाश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली में किराए पर लिए गए ऐसे फ्लेटों का ब्यौरा क्या है जिनकी लीज अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) लीज अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी इन फ्लेटों पर कब्जा बनाए रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ सांसदों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन फ्लेटों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ). पर्यटन विभाग द्वारा 1.4.1989 से 31.3.1992 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए, अरुणाचल भवन, 19-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में 19 फ्लेटों वाला कार्यालय स्थल किराए पर लिया था। उसके एवज में सरकारी आवास उपलब्ध हो जाने पर इन्हें मई, 1992 में खाली कर दिया गया था। बाद में, फ्लेटों को आरम्भिक हालत में लाया गया तथा उनका कब्जा मालिकों को सौंप दिया गया था।

ऊन परियोजना

2591. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में एक ऊन परियोजना शुरू करने का है

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). वस्त्र मंत्रालय ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से ऊन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में ऊन का विकास करने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। ऊन विकास बोर्ड राजस्थान में निम्नलिखित योजनाएं। परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है :—

(1) एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना

(2) ऊन परीक्षण केन्द्र

(3) औद्योगिक सेवा केन्द्र

(4) ऊन मंझाई संयंत्र

एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना आठवीं योजना की एक सतत योजना है। ऊन परीक्षण केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है तथा औद्योगिक सेवा केन्द्र और ऊन मंझाई संयंत्र स्थापित कर दिये गये हैं जो कि वर्ष 1995 में कार्य करना शुरू कर देंगे।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

2592. श्री एन. डेनिस : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों की ओर से देश में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करने की पेशकश हुई है;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अनिवासी भारतीयों ने, कोचीन में नेदुम्बसरी में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टताओं वाले एक नये हवाई अड्डे के निर्माण और एबी-300 प्रकार के विमानों के प्रचालनों के लिये कालीकट हवाई अड्डे का उन्नयन किये जाने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की है।

(ग) अनिवासी भारतीयों की सहायता से राज्य सरकार द्वारा नेदुम्बसरी हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में सरकार ने अपनी अनापत्ति के बारे में सूचित कर दिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, कालीकट हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए अनिवासी भारतीयों सहित जनता से संसाधन जुटाने के लिए केरल सरकार द्वारा गठित मालाबार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी से 60 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

कार्य दिवसों की क्षति

2593. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने कार्य दिवसों की क्षति हुई;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों में बढ़ते असंतोष को कम करने के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में कोई नीति बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) वर्ष 1994 (जनवरी से अगस्त) के दौरान हड़ताल और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की उद्योग-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). "प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता" से संबंधित योजना, जिसे भारत सरकार ने 30.12.1983 को अधिसूचित किया था विशेष रूप से छूट प्राप्त उपक्रमों को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत शॉप फ्लोर और संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की सहभागिता की व्यवस्था की गई है। जहां तक बोर्ड स्तर पर सहभागिता का संबंध है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग श्रम मंत्रालय से विचार-विमर्श करके अपना निर्णय ले सकते हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता विधेयक, 1990, जिसे 1983 की योजना को सहयोग देने के लिए विधायी उपबंध करने के लिए 30 मई, 1990 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था, को संबंधित विभाग की श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच और अपनी रिपोर्ट देने के लिए संदर्भित कर दिया गया है।

विवरण

1994 (जनवरी से अगस्त) के दौरान नष्ट हुए श्रम दिवसों की उद्योग-वार संख्या (अनंतिम)

(हजारों में)

उद्योग ग्रुप	नष्ट हुए श्रम दिवस	
	हड़ताल	तालाबंदी
खाद्य उत्पाद	56	105
बीवरेजेज, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	10	17
सूती कपड़ा	562	977
वूल, सिल्क और सिन्थैटिक कपड़े	197	104
जूट, हेम्प ओर मेस्ता कपड़े	6	2,757
कपड़ा उत्पाद	35	306
इंजीनियरी	260	1,382
रसायन और रसायन उत्पाद	72	171
गैर-मैंटालिक मिनरल्स उत्पाद	32	400
अन्य विनिर्माण उद्योग	18	73
कोयला खनन	34	90
गैर कोयला खनन	17	0
बागानी	2	73
रबड़, प्लास्टिक, पैट्रो और कोयला उत्पाद	126	369
बैंक और सदृश वित्तीय संस्था	153	0
अन्य	459	1,994
अखिल भारत ·	2,038	8,826

0-शून्य या 500 से कम :

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

आंकड़े निकटतम में होने के कारण यह आवश्यक नहीं है कि कुल योग मेल खाए।

[अनुवाद]

केरल में पर्यटन विकास

2594. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में वर्ष 1994-95 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना स्थानों सहित उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना-वार, मांगी गई, स्वीकृत तथा प्राप्त वित्तीय सहायता की राशि कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ग). केरल राज्य सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर यात्री निवास के निर्माण हेतु, वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान हाल ही में 4 प्रस्ताव भेजे हैं :—

(1) अलेप्पी

(2) मालायाट्टूर

(3) पीरमेड

(4) कालीकट

उपरोक्त स्थानों में से पीरमेड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। केरल की राज्य सरकार ने पीरमेड में यात्रीनिवास के निर्माण के लिए 38.74 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं

2595. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 तक मध्य प्रदेश में जिलावार और बैंकवार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत थीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर इन बैंकों की शाखाएं खोली गईं;

(ग) क्या इन बैंकों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटा भर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या 4416 थी। उक्त अवधि के लिये मध्य प्रदेश में कार्यरत मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त सन्दर्भित 4416 शाखाओं का जिला-वार और बैंक-वार ब्यौरा भी तत्काल उपलब्ध नहीं है। अतः, उपर्युक्त सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) मार्च, 1992, 1993 और 1994 को समाप्त वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की कुल संख्या क्रमशः 38, 40 और 21 थी। मध्य प्रदेश में कार्यरत मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में ऐसी ही सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं के स्थान से संबंधित ब्यौरा भी तत्काल उपलब्ध नहीं है। अतः, उपर्युक्त सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ड़). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण का वितरण

2596. श्री आर. जीवरत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों से बिना किसी सीमा के ऋण वितरित करने हेतु सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम बनाए गए हैं;

(ग) क्या जरूरतमंद को ऋण वितरित करने के मामले में संसद सदस्य वास्तविक रूप से शामिल हैं;

(घ) क्या बैंकों द्वारा ऋण वितरित करते समय विशेषकर बड़े उद्योगपतियों के मामले में संबंधित राज्य के संसद सदस्यों से परामर्श किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य में संसद सदस्यों के परामर्श से और बिना परामर्श के उद्योगपतियों को दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यरूप से उद्योग को ऋण देने के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते हुए समय-समय पर बैंकों को हिदायतें जारी करता है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए जाते। बैंकों को इन मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करना होता है और इन प्रस्तावों पर अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर विचार करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि बैंक बड़े-बड़े उद्योगपतियों के ऋण प्रस्तावों पर निर्णय लेने से पूर्व संबंधित राज्य के संसद सदस्यों से परामर्श करें। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक आवश्यकतानुसार उधारकर्ताओं को तदर्थ ऋण सीमाएं मंजूर करने के लिए स्वतंत्र है और इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त ब्याज वसूल करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, 19 अगस्त, 1993 से कोई भी वाणिज्यिक बैंक उसकी एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन प्रत्येक परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए तक सावधि ऋण प्रदान कर सकता है। बैंक प्रत्येक परियोजना के लिए सामूहिक रूप से 200 करोड़ रुपये तक सावधि ऋण प्रदान कर सकते हैं। बड़ी परियोजनाओं के लिए ऋण और आधारभूत सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए और बैंकों के पास उपलब्ध उधार देने योग्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है और अक्तूबर, 1994 में बैंकिंग प्रणाली के लिए 200 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

आर्थिक सुधार

2597. श्री विजय कृष्ण हांडिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भावी आर्थिक सुधार प्रक्रिया को सामाजिक रूप से सम्बद्ध बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ने का है जैसा कि आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान की एक अध्ययन रिपोर्ट में सुझाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में और आर्थिक सुधारों को समर्थन देने के लिए प्रशासनिक और विधि प्रणाली में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). हमारे देश में चालू आर्थिक सुधारों का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में त्वरित और निरन्तर सुधार लाना है और इस तरह इसका अंतिम उद्देश्य लोगों का अधिकतम कल्याण करना है। आर्थिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित और फरीडरिक-नौमण संस्थान, नई, दिल्ली, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से और अलाईड पब्लिशर, नई दिल्ली, 1994 द्वारा प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में "भारत में आर्थिक सुधार और बाजार अर्थव्यवस्था" शीर्षक से "सामाजिक रूप से उत्तरदायी बाजार अर्थव्यवस्था (एस.आर.एम.ई.)" के रूप में संश्लेषित उदाहरण स्वरूप अपनाए जाने की सिफारिश के लिए यह मुख्य तर्काधार भी है।

सरकार द्वारा उपयुक्त आर्थिक नीतियों को तैयार करते समय विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है। औद्योगिक, व्यापार, वित्तीय और सार्वजनिक क्षेत्रों की कार्यक्षमता और भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादनशीलता को बढ़ाने के लिए तथा उसी समय भारतीय समाज के कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक सुधार पहले ही शुरू किए गए हैं।

बेरोजगार स्नातक

2598. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में इस समय कितने बेरोजगार स्नातकों के नाम दर्ज हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और 1994-95 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ग) क्या राज्य सरकार रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) दिनांक 30.9.1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातकों की कुल संख्या 70,730 थी।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (1.4.1994 से 30.9.1994 तक) के दौरान गुजरात के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाये गये व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार थी :—

वर्ष	स्नातकों की नियुक्तियां	कुल नियुक्तियां
1992-93	2367	31700
1993-94	2085	29540
1994-95 (1.4.94 से 30.9.94 तक)	886	8902

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यकरण

2599. श्री परशुराम गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और समेकित रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष की सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की समेकित रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर दिनांक 12 अगस्त, 1994 को रखी जाती थी।

[अनुवाद]

रेशम उद्योग

2600. श्री खेलन राम जांगडे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जिले में, रेशम उद्योग के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ के किन-किन क्षेत्रों में रेशम विकास केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) रेशम उत्पादन कार्यक्रम मुख्यतः राज्य रेशम उत्पादन विभागों द्वारा बनाए तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार के राज्य में रेशम उत्पादन क्षेत्र का विकास करने के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य के बस्तर जिले में विश्व बैंक, स्विस विकास निगम सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का क्रियान्वित सुनिश्चित किया है। इसके अतिरिक्त रैली नामक जंगली टसर रेशम कीट प्रजाति का नवीकरण करने के लिए बोर्ड ने लागत सहभागिता आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से एक टसर परियोजना भी शुरू की है। इसके अलावा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उत्पादन क्षेत्र का विकास करने के लिए आवश्यक अनुसंधान व विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा अवस्थापना संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में एककों का नेटवर्क भी स्थापित किया है।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित एकक स्थापित किए हैं :—

क्र.सं.	एकक का नाम	क्षेत्र
1.	मूल बीज बहुगुणन तथा प्रशिक्षण केन्द्र	पाली (बिलासपुर)
2.	— वही —	बिलासपुर
3.	— वही —	प्रेमनगर (सुरगुजा)
4.	अनुसंधान विस्तार केन्द्र	कटघोरा (बिलासपुर)
5.	रीलिंग कताई प्रशिक्षण चम्पा सह-प्रदर्शन केन्द्र	चम्पा

(ग) और (घ). सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मध्य प्रदेश में भी स्थापित केन्द्रों सहित अलग-अलग केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की उनके विधिवत कार्यचालन के लिए पुनरीक्षा करता है।

औद्योगिक इकाइयों का बन्द किया जाना

2601. श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों या बंद होने के कगार पर पहुंची औद्योगिक इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये इकाइयां कब से बंद पड़ी हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) बेरोजगार हुए कर्मचारियों और श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन श्रमिकों को प्रदान किए जा रहे मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अफीम की खेती

2602. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **वित्त मंत्री** दिनांक 5 अक्तूबर, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 1900 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम और गांजे की उचित मांगों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार इससे अवगत है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी भारत के हिस्सों में रहने वाले किसान सदियों पुरानी परम्परा से सार्वजनिक स्थलों पर और चौपालों में बैठकर गांजे का सेवन करते रहे हैं;

(ग) क्या विक्रेताओं को उनसे अधिक पैसे लेकर अवैध रूप से उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे निजी विक्रेताओं को लाइसेंस देने का है;

(ङ) क्या सरकार मंहगे नशीले पदार्थों की भारी मांग और सप्लाई को देखते हुए नशीले पदार्थों के विकल्प उपलब्ध कराने तथा गांजा और अफीम जैसे कृषि उत्पादों की सप्लाई करने तथा किसानों और श्रमिकों के लिए इन्हें वैध बनाने हेतु कदम उठा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). निर्यात के लिए तथा घरेलू प्रयोग के लिए स्वापक एलकालायडों के विनिर्माण के लिए अफीम की भारत की आवश्यकता का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 1994-95 के लिए, अफीम की मांग 90^0 संशक्ति वाली 782 मीट्रिक टन आंकी गई है। स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए गांजा (कैनाबिस) रखने, उसके उपभोग, बिक्री, खरीद आदि के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमति दी जा सकती है और उस पर नियंत्रण रखा जाता है।

(ङ) से (छ). संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक द्रव्यों के उपभोग पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस प्रकार किसानों और श्रमिकों को गांजा और अफीम उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

सोने को जब्त करना

2603. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान और चालू वर्ष में अब तक सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सोने की लगभग कितनी मात्रा पकड़ी/जब्त की गयी;

(ख) इस स्वर्ण को किस प्रक्रिया के माध्यम से बेचा गया और इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के आयात का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने सोने का आयात किया जायेगा और इसकी कुल कीमत कितनी होगी और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बेदावेदार भविष्य निधि

2604. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बेदावेदार सामान्य भविष्य निधि के निपटारे के सम्बन्ध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस विषय पर कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के वित्तीय वर्ष के अन्त में बेदावेदार भविष्य निधि की कुल राशि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सामान्य भविष्य निधि में संचित सभी निधियों का हिसाब केन्द्रीय बजट में लोक लेखा के तहत रखा जाता है। दावा न की गई जमाराशियों की वापसी का भुगतान सम्बन्धित लेखा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद प्राधिकृत किया जाता है कि राशि मूलतः

प्राप्त हुई थी और "जमाराशियों" के नामे डाली गई थी और दावेदार की पहचान और रकम की हकदारी सामान्य भविष्य निधि का खाता रखने वाले विभागीय अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दी गई है।

(ङ) दावा न की गई भविष्य निधियों की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	दावा न की गई सामान्य भविष्य निधि की राशि (हजार रुपयों में)
1991-92	92,87
1992-93	1,56,03
1993-94	1,65,43 (अनंतिम)

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर बकाया राशि

2605. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कपास की गांठें खरीदने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम को गुजरात राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ को कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए क्या उपाय किए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास की खरीद के लिए गुजरात राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता परिसंघ को एन टी सी द्वारा देय बकाया राशि के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं :—

वर्ष	राशि करोड़ रु. में
31-3-1992	5.47
31-3-1993	7.92
31-3-1994	17.36

(ख) गुजरात राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ देय बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एन टी सी से अनुरोध करता रहा है।

(ग) चूंकि एन टी सी द्वारा कपास की खरीद उधार पर की जाती है इसलिए भुगतान के लिए कुछ बकाया राशि का रहना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त एन टी सी को कार्यशील पूंजी की भारी कमी का सामना कर रहा है। फिर भी एन टी सी यथासंभव परिसंघ को भुगतान कर देता है। इसके फलस्वरूप 30-11-1994 तक की स्थिति के अनुसार परिसंघ को देय बकाया राशि 11.04 करोड़ रु. थी जबकि इसकी तुलना में 31-3-1994 तक 17.36 करोड़ रु. की राशि देय थी।

[हिन्दी]

संयुक्त स्टाक कंपनियां

2606. श्री छेदी पासवान :
श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान संयुक्त स्टाक कंपनयों द्वारा कुल कितनी पूंजी जारी की गई;

(ख) सरकार ने इसे किस प्रकार नियंत्रित किया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) संयुक्त स्टाक कंपनियां द्वारा 1993-94 के दौरान जारी की गई कुल पूंजी 24372 करोड़ रुपए थी, जिसमें प्रामोटरों द्वारा अभिदत्त 2390 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ख) से (ङ). बाजार से फण्ड जुटाने वाली कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए विनियमों का पालन करना होगा। जानकारी में आने वाली किसी अनियमितता को ध्यान में रखते हुए सेबी द्वारा समय-समय पर विनियमों की समीक्षा की जाती है। सेबी द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारात्मक उपाय हैं- पब्लिक इश्युओं में प्रमोटरों द्वारा न्यूनतम अंशदान का निर्धारण, उनकी धारिताओं के लिए आबद्ध अवधि, केवल बाजार संबंधी कीमतों पर तरजीही आवंटन की अनुमति, सेबी द्वारा नियुक्त किए गए नामिती के पर्यवेक्षण के अधीन किए गए अति-अभिदान की स्थिति में शेयरों का उचित और पारदर्शी आवंटन और पूंजीगत-इश्युओं से संबंधित प्रचार और विवरणिकाओं में प्रकटन के लिए सख्त नियम।

[अनुवाद]

यूरो इश्यू

2607. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरो इश्यू के माध्यम से विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने हेतु प्रस्तावों को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो मंजूरी दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां। 15.12.94 तक की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 86 यूरो इश्युओं के कुल संचयी प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से 10 प्रस्ताव व्ययगत हो चुके हैं। 35 और प्रस्तावों को भी सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से 9 प्रस्ताव व्ययगत हो चुके हैं और 2 प्रस्तावों को वापस लिया जा चुका है।

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को रियायतें

2608. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के उन रूग्ण उपक्रमों के मामले में पुनः स्थापना पैकेज के अन्तर्गत राहत और रियायतें देने के मामले पर विचार कर रहा है जिन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है, जिन्हें अर्थक्षम बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक रियायतें देने पर सहमत हो गया है;

(ग) ये रियायतें कब तक दी जायेंगी; और

(घ) इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने में कितनी सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह संभावित रूप से अर्थक्षम समझे जाने वाले रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में पुनरूद्धार पैकेजों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से राहतें/रियायतें प्रदान नहीं करता। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने संभावित रूप से अर्थक्षम समझी जाने वाली रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित) के संबंध में पुनरूद्धार पैकेजों के अंतर्गत राहतें/रियायतें प्रदान करने के बारे में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दर रियायतों, प्रवर्तकों के अंशदान के निर्धारण और प्रतिभूति की आवश्यकता का प्रावधान है।

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एकक

2509. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के रूग्ण एककों की व्यापक पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री. पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा भण्डार

2610. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में विदेशी मुद्रा भण्डार में उतार-चढ़ाव आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। अक्टूबर, 94 और नवम्बर, 94 के अन्त में विदेशी मुद्रा भंडार (स्वर्ण और एस.डी.आर. सहित) क्रमशः 23993 मिलियन डालर और 23580 मिलियन डालर थे। ये घट-बढ़ सामान्य हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कटिहार जूट मिल्स

2611. श्री मंजय लाल : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बंद पड़ी कटिहार जूट मिल्स के श्रमिकों के वेतन, बोनस और भविष्य निधि आदि की बकाया राशि के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त मिल को पुनः चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए बाण्ड जारी किया जाना

2612. श्री साइमन मराण्डी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार से

अनिवासी भारतीयों के लिए बाण्ड/शेयर जारी करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के स्वामित्व वाले तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों और उनके द्वारा जारी, प्रस्तावित बाण्डों के नाम और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) अनिवासी भारतीयों को बाण्ड जारी करने के लिए 1994-95 के दौरान सरकार द्वारा किन-किन कंपनियों/उपक्रमों/उद्योगों को अनुमति दी गई और कौन-कौन से मामले अभी सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) लम्बित मामलों के संबंध में अनुमति कब तक दे दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जो बांडों/शेयरों के पब्लिक इश्युओं को जारी करने के इच्छुक हैं और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए अभिदान के इश्यू का एक भाग सुरक्षित रखते हैं, को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्धारित किए गए विनियमों का पालन करना होगा।

(ग) और (घ). सरकार ने 1994-95 के दौरान किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को विशिष्ट अनिवासी भारतीय बांड जारी करने की अनुमति प्रदान नहीं की है। इस समय इस प्रकार के विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III

2613. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा 1994-95 में अब तक नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III के परियोजना संघ 'क' के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई और इस संबंध में कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(ख) इस अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए मंजूर किए गए ऐसे प्रस्तावों की वर्ष-वार संख्या क्या है तथा उनके लिए कितनी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गयी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों और 1994-95 के दौरान अब तक राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के परियोजना घटक के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि और इस संबंध में अब तक मंजूर प्रस्तावों की संख्या नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या	मंजूर किया गया बैंक ऋण	नाबार्ड द्वारा मंजूर पुनर्वित्त
1991-92	12	2368.63	1918.03
1992-93	13	2812.89	2250.30
1993-94	15	3992.81	3172.21
1994-95 (31.10.1994 तक)	7	2609.78	2087.83

(ख) तमिलनाडु के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि के साथ-साथ ऐसे प्रस्तावों की संख्या निम्न प्रकार है :

(लाख रुपए)

वर्ष	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	मंजूर किया गया बैंक ऋण	नाबार्ड द्वारा मंजूर पुनर्वित्त
1991-92	2	1574.82	1259.89
1992-93	1	11.69	9.35
1993-94	1	62.22	49.77
1994-95	शून्य	शून्य	शून्य

कर प्रशासन नीति

2614. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य उद्योग मंडल ने कर प्रशासन नीति की समीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य उद्योग मंडल ने अनेक सुझाव दिए हैं जिसमें कर प्रशासन नीति का संपूर्ण ढांचा शामिल है। दिए गए सुझावों की संख्या बहुत अधिक है जिनका ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(ग) और (घ). विभिन्न दूसरे निकायों से प्राप्त सुझावों के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य उद्योग मंडल द्वारा दिए

गए सुझावों की जांच की जा रही है। इन सभी सुझावों पर बजट से पूर्व की कार्यवाही के दौरान विचार किया जा रहा है और इस पर जो निर्णय होगा उसे वित्त विधेयक, 1995 में दर्शाया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक

2615. श्री के.टी. वान्डायार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध सेवा की मुख्य कमियां क्या हैं;

(ग) क्या चैकबुक जारी करने के लिए बैंक सेवा प्रभार लगाने जा रहे हैं, और यदि हां, तो मध्यम वर्ग तथा सामान्य ग्राहकों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्य स्थानों के चैकों की भांति अब बैंक स्थानीय चैकों के निपटान के लिए भी सेवा प्रभार लगाने जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या आम आदमी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(च) बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद संस्थायें बनाने के लिए उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भांति राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी परिणामों में वित्तीय वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान सुधार हुआ है।

(ख) बैंकिंग प्रणाली के संबंध में ग्राहक की जागरूकता और उससे उनकी अपेक्षाएं काफी बढ़ी हैं। जब कभी सेवाओं में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो सम्बद्ध बैंकों से गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिये कहा जाता है।

(ग) भारतीय बैंक संघ (आइबीए) ने सूचित किया है कि बैंक एमआईसीआर (मशीनीकृत) निकासी परिचालन वाले केन्द्रों में जुलाई, 1990 से एमआईसीआर चैक बुक जारी करते समय चालू खातों और गैर-व्यक्तिगत बचत बैंक खातों के लिये प्रति चैक पन्ना 1 रु. वसूल कर रहे हैं। तथापि, बैंकों ने निर्धारित किया है कि अक्तूबर/नवम्बर के बाद से यह प्रभार उन व्यक्तिगत बचत बैंक खाताधारियों पर लगेगा जो एक वर्ष में 20 पन्नों वाली तीन चैक बुकों से अधिक का उपयोग करते हैं। एक वर्ष में ये तीन निःशुल्क चैक बुक, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन व्यक्तियों/आम ग्राहकों पर कोई प्रभार नहीं है जो वास्तविक रूप से बचत उद्देश्यों के लिये, न कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये, खाता परिचालित करते हैं।

(घ) आईबीए के अनुसार स्थानीय चैकों के समाशोधन के लिये बैंक कोई प्रभार नहीं लागू कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(च) बैंक, सामाजिक मानदंडों और आर्थिक वृद्धि को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हुए आरबीआई/सरकार के निर्देशों के अधीन परिचालन कर रहे हैं।

(छ) आईबीए के अनुसार, अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रचलित प्रोत्साहन आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जैसी कोई योजना फिलहाल लागू करने का विचार नहीं है।

(ज) प्रश्न ही पैदा नहीं उठता।

आई.सी. इंजिनों पर उत्पाद कर

2616. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 10 अश्व शक्ति वाले आई.सी. इंजिनों, जिन्हें केवल कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर बजट से पूर्व की स्थिति वाले उत्पाद नियम बने रहने देने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). आगामी बजट को देखते हुए, इस समय इस मामले में सरकार के विचारों की जानकारी देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र बैंक की शाखाएं

2617. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र बैंक की शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1993-94 के दौरान इस बैंक ने किन-किन राज्यों में मुनाफा कमाया अथवा घाटा उठाया;

(ग) सरकार का इस बैंक की घाटे में चल रही शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों में और शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार कार्यरत बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाओं की राज्य-वार संख्या और प्रत्येक राज्य में 1993 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक की घाटे में चल रही शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) घाटा उठा रही शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए, बैंकों द्वारा निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं :— मिश्रित लाभ को सुधारना, आर्थिक लाभ के क्षेत्रों को अग्रिम देना, उन शाखाओं का पुनः आबंटन करना, जहां अपर्याप्त कारोबार के लिए वहां की अवस्थिति असुविधाजनक जिम्मेदार है, अतिदेय राशियों की वसूली और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी करके परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार करना, वूसली प्रयासों में सहयोग देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में कृतिक बल गठित करना, घाटा उठाने वाली शाखाओं की निरंतर समीक्षा करना और उनकी प्रगति की बारीकी से निगरानी करना, व्यय में कटौती और उपयुक्त निधि प्रबंधन।

(घ) और (ङ). शाखा विस्तार कार्यक्रम 1990-95 के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में शाखायें खोलने के लिए बैंक आफ महाराष्ट्र को निम्नलिखित केन्द्र आबंटित किए गए हैं :—

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अकोला
3. वडगांव
4. घांटाकोपर(प.), बम्बई
5. बम्बई, बांद्रा
6. जालना
7. राजेन्द्र नगर, जालना
8. नरेन्द्र नगर, नागपुर
9. करवेनगर, नागपुर
10. संग्रामेश्वर
11. ओल्ड गंगापुर, नाशिक
12. इंदिरा नगर, नाशिक
13. पुणे (एसएएफबी), (पुणे रिकवरी शाखा)
14. सागली, अभयनगर
15. शिरडी, दुमाला
16. भारम
17. धाबाडे
18. एसएसआई शाखा, पुणे

मध्य प्रदेश

1. ग्वालियर

आन्ध्र प्रदेश

1. चम्पापेट, हैदराबाद

राजस्थान

1. अजमेर

तमिलनाडु

1. मद्रास
2. पेडुपेटराई

कर्नाटक

1. बंगलोर

केरल

1. क्विलोन

हरियाणा

1. हिसार

पश्चिम बंगाल

1. कापसरित

दिल्ली

1. दिल्ली

हिमाचल प्रदेश

1. शिमला

विवरण

31.12.1993 की स्थिति के अनुसार बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाओं की राज्य-वार संख्या और बैंक की उन शाखाओं की संख्या, जिन्हें 1993 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान हानि हुई।

राज्य	शाखाओं की संख्या	हानि उठाने वाली शाखाओं की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	22	13
अरुणाचल प्रदेश	–	–
असम	–	–
बिहार	1	1
गोवा	7	4
गुजरात	32	12
हरियाणा	5	1
हिमाचल प्रदेश	–	–
जम्मू व कश्मीर	1	1
कर्नाटक	36	26
केरल	3	1
मध्य प्रदेश	114	92
महाराष्ट्र	847	565
मणिपुर	–	–
मेघालय	–	–
मिजोरम	–	–
नागालैंड	–	–
उड़ीसा	–	–
पंजाब	5	1
राजस्थान	6	–
सिक्किम	–	–
तमिलनाडु	11	123
त्रिपुरा	–	12
उत्तर प्रदेश	9	2
पश्चिम बंगाल	10	5
अंडमान व निकोबार	–	–
चंडीगढ़	1	–
दादरा व नगर हवेली	–	–
दमन व दीव	13	2
लक्षद्वीप	–	–
पांडिचेरी	1	1
कुल	1124	730

इंडियन एयरलाइंस के भाड़े में रियायत

2618. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस में यात्रा करने वाले विद्यार्थियों और पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनको दी गई रियायतों में कोई अंतर है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस इन दोनों श्रेणियों के यात्रियों के लिए और अधिक रियायत देने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). विद्यार्थी रियायत

(1) **अन्तर्देशीय**

प्रमाण प्रस्तुत करने पर 12 से 26 वर्ष के बीच के आयुवर्ग के बेरोजगार छात्रों को किराए (भारतीय हवाई यात्रा कर तथा यात्री सेवा शुल्क को छोड़कर) में इकॉनोमी श्रेणी अथव एक्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी अन्तर्देशीय सेकटर पर हर किस्म की यात्रा के लिए 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

(2) **अंतर्राष्ट्रीय**

अपने अध्ययन के स्थान से गृह नगर अथवा अपने गृह नगर से अध्ययन के स्थान की यात्रा करने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न देशों के लिए भिन्न-भिन्न दरों पर विद्यार्थी रियायत दी जाती है-भारत और अफगानिस्तान, बंगलादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, और थाईलैंड के बीच इकॉनोमी श्रेणी में 25 प्रतिशत भारत और कुवैत, ओमान (मस्कट) एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच इकॉनामी श्रेणी में 30 प्रतिशत।

वृद्ध नागरिक रियायतः आयु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर 65 वर्ष से अधिक आयु के भारत के निवासी नागरिकों को और भारत में रहने वाले उन विदेशियों को जो रुपया किराया स्तर के लिए पात्र हैं, इंडियन एयरलाइंस के सभी अंतर्देशीय सेक्टरों पर इकॉनोमी अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में किराए में (भारतीय हवाई यात्रा कर एवं यात्री सेवा शुल्क को छोड़कर) 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। प्रचालन की लागत, अधिक होने के कारण अतिरिक्त रियायतें देना फिलहाल संभव नहीं है।

[हिन्दी]

महिला चिकित्सकों को ऋण

2619. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बैंकों ने महिला चिकित्सकों को वाहन

खरीदने हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से कितने चिकित्सक लाभान्वित हुए;

(ग) क्या यह योजना अब समाप्त हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाहन की खरीद के लिए, विशेषरूप से महिला डाक्टरों के लिए कोई योजना/मार्गनिर्देश जारी नहीं किया है। तथापि, व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चिकित्सकों के लिए, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेक्टिस प्रारम्भ करने हेतु 10 लाख रुपए की समग्र सीमा के अन्दर-अन्दर उनके कारोबार हेतु वाहन खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जिसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण माना जाता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं के लिए रोजगार

2620. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त योजना को क्रियान्वित करने हेतु राज्यों में अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक लोग रहते हैं तथा वहां कितने व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों द्वारा राज्य-वार कुल कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) एवं (ख). अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवाओं को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि वे स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान जैसी योजनाओं तथा कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को भी विशेष महत्व दिया जाता है।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के अंतर्गत ऐसे केन्द्र विशेष रूप से केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थापित किए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त "ग" के अनुसार विवरण संलग्न है।

(ङ) "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवकों को केवल कौशल विकास प्रशिक्षण ही प्रदान करते हैं।

विवरण

प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या के ब्यौरे-राज्य/संघ शासित प्रदेशवार

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	29
2.	असम	-	1
3.	बिहार	3	4
4.	गुजरात	7	-
5.	दिल्ली	-	25
6.	हरियाणा	-	3
7.	हिमाचल प्रदेश	-	1
8.	जम्मू और कश्मीर	-	1
9.	कर्नाटक	-	8
10.	केरल	1	-
11.	मध्य प्रदेश	3	9
12.	महाराष्ट्र	4	2
13.	मणिपुर	-	6
14.	उड़ीसा	12	18
15.	मिजोरम	1	-
16.	राजस्थान	3	4
17.	तमिलनाडु	2	7
18.	त्रिपुरा	-	3
19.	उत्तर प्रदेश	-	51
20.	पश्चिम बंगाल	3	23

[अनुवाद]

औषधों की तस्करी

2621. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में औषधों की तस्करी में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की सैन्य टुकडियों के हाथ होने के प्रमाण मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख). औषधों की तस्करी में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों के हाथ होने के कोई विशेष प्रमाण नहीं मिले हैं। तथापि, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा तथा गुजरात के तटीय क्षेत्र स्वापक औषध के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र हैं।

(ग) औषध अवैध व्यापार एवं तस्करी को रोकने के लिए भारत एवं पाकिस्तान के सचिवों के बीच प्रथम द्विपक्षीय बैठक, नई दिल्ली में दिनांक 15-16 सितंबर, 1994 को हुई थी। दोनों पक्षों ने अपने-अपने देशों में स्वापक औषध के अवैध व्यापार की समीक्षा की तथा दोनों देशों के बीच स्वापक संबंधी मामलों की सफलता हेतु सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखा।

हथकरघा/हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात

2622. **डा. साक्षीजी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से कितने मूल्य की हथकरघा/हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया और उन वस्तुओं का निर्यात किन-किन देशों को हुआ;

(ख) क्या राज्य से उन वस्तुओं का और अधिक निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य से इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों विशेष रूप से हाथ से गुथे ऊनी कालीनों, कलात्मक बर्तनों, हाथ से छपे वस्त्रों, बनावटी आभूषणों, जरी की कसीदाकारी आदि का निर्यात बढ़ाने की कुछ संभावनाएं हैं।

(ग) सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश से हथकरघा तथा हस्तशिल्प मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रमुख बाजारों में मेलों में सहभागिता, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं से विज्ञापन रिलीज करना, उत्पाद विकास तथा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्ता का उन्नयन।

भारतीय वस्त्रों के लिए बाजार

2623. **श्री महेश कुमार कनोडिया : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, भारतीय वस्त्रों के लिए मैक्सिको और ब्राजील में बाजार तलाशने गया था;

(ख) यदि हां, तो उन्हें इस संबंध में हुए अनुभव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुल मिलाकर इस दौरे की सफलता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). भारतीय वस्त्रों के लिए बाजार तलाशने के लिए हाल ही में वस्त्र राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय वस्त्र प्रतिनिधिमंडल ने मैक्सिको और ब्राजील का दौरा किया था। दोनों ही देशों के आयातकों की प्रतिक्रिया बहुत प्रोत्साहजनक थी। महिलाओं की पोशाकें, महिलाओं की स्कर्ट तथा पुरूषों की कमीजों को इन देशों की रूचि के निर्यात की मुख्य मदों के रूप में अभिज्ञात किया है। भारतीय वस्त्रों और परिधानों के प्रति स्थानीय आयातकों में जागरूकता पैदा करने में प्रतिनिधिमंडल को सफलता भी मिली है जिससे इन देशों को हमारे वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलने की आशा की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछडे वर्गों की भर्ती

2624. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोगों को श्रेणी-वार भर्ती किया गया है;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के अनुसरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों में चालू वर्ष के दौरान अब तक अन्य पिछड़े वर्ग के कितने व्यक्ति भर्ती किए गये हैं और श्रेणी-वार उनका प्रतिशत कितना है; और

(ग) 31 मार्च, 1994 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में महिलाओं का श्रेणी-वार प्रतिनिधित्व कितना था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेयरों का आबंटन

2625. श्री एम. कृष्ण स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पब्लिक इक्विटी इश्यू के समय अधिक अशंदान और बड़े, संस्थागत निवेशकों और म्युचुअल फण्डों द्वारा लघु निवेशकों के शोषण को मद्देनजर रखते हुए लघु निवेशकों के लिए इक्विटी शेयरों के न्यूनतम आबंटन की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पब्लिक इश्यू की पेशकश के समय इस मार्ग-निर्देश को शामिल किए जाने हेतु 'सेबी' को निदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो लघु निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जी, नहीं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले ही कुछ ऐसे उपाय आरम्भ किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियों के पब्लिक इशुओं में छोटे निवेशकों को शेयरों का आबंटन विशाल संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए आवेदनों की वजह से प्रभावित न हो। पब्लिक इशुओं मे निश्चित आबंटन प्राप्त करने वाले अथवा आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने वाले संस्थागत निवेशक 'सार्वजनिक पेशकश' की श्रेणी में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। शेयरों के बड़ी मात्रा में आबंटन को हतोत्साहित करने और आबंटन का व्यापक आधार सुनिश्चित करने के लिए "सेबी" ने यह शर्त भी लगाई है कि कोई भी व्यक्ति "सार्वजनिक पेशकश" की श्रेणी सहित श्रेणी विशेष के लिए उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या से अधिक शेयरों की संख्या हेतु आवेदन नहीं कर सकता। "सेबी" को इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है यदि कंपनियां किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक आवेदन पर शेयरों की संख्या की उच्च सीमा निर्दिष्ट करें। अत्यमिदान होने की स्थिति में, "सेबी" द्वारा नामित जनप्रतिनिधि निष्पक्षता तथा छोटे निवेशक का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आबंटन के आधार का निरीक्षण करते हैं।

विदेशी पर्यटक

2626. श्री के. प्रधानी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान शताब्दी के अंत तक भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस लक्ष्य को पाने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता है; और

(ग) इस उद्देश्य की आवश्यकताओं हेतु धनराशि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (1992) में यह परिकल्पना की गई है कि पांच वर्षों की अवधि में विश्व पर्यटन आगमन में भारत का हिस्सा 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 1 प्रतिशत हो जाएगा। वास्तविक आगमनों के ढंग को देखते हुए, वर्ष 1996-97 तक 5 मिलियन पर्यटकों के होने का लक्ष्य आंका गया है। 5 मिलियन पर्यटकों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश की राशि पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए वर्किंग पेपर में, काल्पनिक तौर पर 39,100 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था। अपेक्षित पूंजी निवेश और समयावधि में उपलब्ध संसाधनों के मूल्यांकन को देखते हुए 5 मिलियन पर्यटक आगमनों के लक्ष्य के चालू शताब्दी के अंत तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में, निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों और सुविधाएं देना, विदेशी पूंजी निवेश के लिए पर्यटन की प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में घोषणा करना, शिनाख्त किए गए केन्द्रों आदि में आधारभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए योजनागत आबंटनों को बढ़ाने/निश्चित करने के लिए भारत सरकार के भिन्न-भिन्न विभागों और राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करना आदि शामिल है।

प्रसंस्कृत आहारों का आयात

2627. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी विमान कंपनियों ने सरकार से उन्हें विदेशों में निर्मित प्रसंस्कृत आहारों और अन्य वस्तुओं का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). निजी एयरलाइनें सरकार की सामान्य आयात नीति के अनुसार, खाद्य सामग्री का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयकर अपवंचन के मामले

2628. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली में व्यापारियों, आभूषण विक्रेताओं एवं उद्योगपतियों द्वारा आयकर उपवंचन के बहुत

से मामलों का पता लगाया है जैसाकि 3 दिसंबर, 1994 के "हिन्दुस्तान"(हिन्दी दैनिक) में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). करोल बाग में एक आभूषण विक्रेता के तीन परिसरों का सर्वेक्षण कार्य किया गया था। वास्तविक स्टाक का खातों के साथ मिलान करने पर अनेक विसंगतियां पाई गई और कर-निर्धारिती से इन विसंगतियों को स्पष्ट करने को कहा गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1995-96 से संगत वित्तीय वर्ष 1994-95 में सर्वेक्षण किया गया था। आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर विवरणी जुलाई, 1995 में दी जानी है।

इंडियन एयरलाइंस का उड़ान कार्यक्रम

2629. कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री अमल दत्त :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 के नवम्बर के अंतिम सप्ताह तथा दिसम्बर, प्रथम सप्ताह में इंडियन एयरलाइंस के उड़ान कार्यक्रम में एयरलाइंस के इंजीनियरों के काम न करने के कारण काफी गड़बड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ ए-300 तथा अन्य खड़े किए गए विमान, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र तथा इंडियन एयरलाइंस को यात्रियों की संख्या और आय संबंधी हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इंजीनियरों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के क्या कारण थे;

(घ) इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की लंबित मांगों यथा वेतन, परिलब्धियों तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करने तथा इंडियन एयरलाइंस के संचालन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). दिनांक 24.11.94 से 7.12.94 की अवधि में औसतन 4ए300 विमान उपलब्ध थे जबकि प्रतिदिन 6 विमानों की आवश्यकता होती है। ए300 विमानों की उपलब्धता में कटौती होने के कारण अनुसूची में कटौती की गई थी जिससे मुख्यतः मुंबई से बाहर प्रचालन करने वाली सेवाएं प्रभावित हुई थी। निम्नलिखित सैक्टर सर्वाधिक प्रभावित हुए थे :—

मुंबई	बंगलौर	मुंबई
मुंबई	कलकत्ता	मुंबई
मुंबई	मंगलौर	मुंबई
मुंबई	मद्रास	मुंबई
मुंबई	हैदराबाद	मुंबई

इस अवधि में इंडियन एयरलाइंस को अनुमानतः 60 लाख रुपए की हानि हुई थी।

(ग) निजी प्रचालकों द्वारा अधिक परिलब्धियां दिए जाने के कारण अभियन्ता अपनी परिलब्धियों में वृद्धि करवाना चाहते हैं।

(घ) और (ङ). इंडियन एयरलाइंस के सभी कर्मचारियों (इंजीनियरों सहित) के संबंध में 1.9.90 से मजदूरी समझौते के मुद्दे को राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा गया है, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के कर्मचारियों के बीच परिलब्धियों के अंतर और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में परिलब्धियों की सम्बद्धता के प्रश्न भी सम्मिलित किये गये थे। चूंकि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अधिनिर्णय में काफी समय लगेगा, इसलिए न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के तहत समायोजन के आधार पर सभी कर्मचारियों को अंतरिम राहत का भुगतान किया गया है। विभिन्न संघों और संगठनों के साथ उत्पादकता सम्बद्ध करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

विमान सेवाएं

2630. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री के. प्रधानी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खुली आकाश नीति लागू होने से विमान सेवाओं में सामान्यतः सुधार आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी विमान कंपनियां समय की बचत और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न गन्तव्यों तक अपनी उड़ानों

को जोड़ने के लिए सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों के साथ मिलजुल कर कार्य कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्रबंध करने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) छः अनुसूचित निजी प्रचालकों को देश में अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है। सिद्धांत रूप में तीन और प्रचालकों को भी अनुसूचित सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। दूरस्थ और अलाभकारी मार्गों सहित पूरे देश में हवाई सेवाओं का जाल फैल चुका है तथा हवाई परिवहन उद्योग में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। कार्गो संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ). सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की विमान कम्पनियां अपने उत्तम वाणिज्यिक विवेक के अनुसार इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है।

रबड़ प्रौद्योगिकी संस्थान

2631. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड का विचार केरल में एक रबड़ प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता।

बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क

2632. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). आगामी बजट को देखते हुए, इस समय इस मामले में सरकार के विचारों की जानकारी देना संभव नहीं है।

सहकारी बैंक

2633. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**
श्री उदयसिंहराव गायकवाड :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने समय-बाधित ऋणों को चुकाने हेतु केन्द्रीय सरकारी बैंकों के लिए दीर्घावधि ऋणों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारी बैंकों से कहा है कि वे अपनी कमजोरियों/गतिरोधों पर नियंत्रण करके और अपने परिचालन क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध अप्रयुक्त संभाव्यता का उपयोग करके अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से विकास कार्य योजनायें तैयार करें। ऐसी योजनाओं के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का सहकारी प्रणाली का नवीकरण करने और अर्थक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से राज्य सरकारों और राज्य तथा जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

वस्त्र मिलों की मशीनें

2634. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत चल रही मिलों के आधुनिकीकरण हेतु विदेशों से आसान किस्तों पर मशीनें खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विदेशों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों का कोई तकनीकी मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ). वस्त्र अनुसंधान संघों ने अन्य बातों के साथ-साथ

आधुनिकीकरण, पुनर्संरचना आदि सहित एन टी सी मिलों के पुनर्जीवन के लिए योजनाएं तैयार की हैं। बीआईएफआर के सम्मुख सरकार के दृष्टिकोण सहित पुनरूद्धार योजनाओं के विविध पहलू सरकार के पास विचाराधीन है। जो भी योजना बनकर सामने आएगी, उस पर बीआईएफआर की स्वीकृति अपेक्षित होगी। मशीनरी की खरीद के लिए निविदाओं के आमन्त्रण के प्रश्न केवल आधुनिकीकरण योजना की अन्तिम अनुमोदन प्राप्त होने तथा सभी संबंधितों की सहमति प्राप्त होने तथा अनिवार्य निधियां उपलब्ध होने के बाद उठेगा।

सोने का मूल्य

2635. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत में सोने का मूल्य अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सोने के मूल्यों को घटाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सोने का घरेलू उत्पादन नगण्य होने के कारण सोने की मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूरी की जाती है। स्वर्ण आयात योजना के अंतर्गत आयातकर्ता को, आयात शुल्क के अतिरिक्त परिवहन, मार्केटिंग इत्यादि की लागत वहन करनी पड़ती है और स्थानीय व्यापारी इसमें लाभांश भी जोड़ते हैं।

(ग) स्वर्ण आयात की उदारीकृत योजना के अंतर्गत मार्च, 1992 से स्वर्ण का आयात किया जा रहा है। इसके बाद मुक्त अंतरणीय विशेष योजना लाइसेंस के अंतर्गत स्वर्ण के आयात की अनुमति दी गई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप स्वर्ण आयात योजना से पहले घरेलू कीमत, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत से 50 प्रतिशत अधिक थी, कम हुई है और अब कीमतों में अंतर लगभग 22 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

2636. **श्री अरविंद त्रिवेदी :**
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी की गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारत-नेपाल पर तस्करी संबंधी गतिविधियां देखी गई हैं।

(ख) और (ग). भारत-नेपाल सीमा सहित तस्करी की गतिविधियों के विरूद्ध तस्करी-रोधी एजेन्सियां सतर्क हैं। तस्करी को रोकने के लिए किए गए उपायों में सुगम्य स्थानों पर निगरानी बढ़ाना, आसूचना एकत्र करने और जांच संबंधी कार्यकलापों को तेज करना शामिल है। क्षेत्रीय कार्यालयों को वाहनों, आग्नेयास्त्रों और रात्रि में काम में लाई जाने वाली दूरबीनों से लैस किया गया है।

भारत-नेपाल सीमा की सुगम्यता को देखते हुए, तस्करी पर और अधिक कारगर ढंग से रोक लगाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक नए निवारक समाहर्तालय का गठन किया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में रखा गया है। तस्करी का पता लगाने तथा इसे रोकने में लगी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा जा रहा है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम की वित्तीय स्थिति

2637. **श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) का वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कुल व्यापार कितने का रहा तथा 1994-95 में इस व्यापार के कितने होने का अनुमान है;

(ख) क्या आगामी तीन वर्षों के लिए खनिजों के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एम एम टी सी का कारोबार निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपया)

वर्ष	मूल्य
1992-93	5122.00
1993-94	3217.00
1994-95 (अनुमानित)	3300.00

(ख) और (ग). खास खनिजों के लिए एमएमटीसी द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य निम्नलिखित है :–

(मात्रा लाख टन)

खनिज	1994-95	1995-96	1996-97
लौह अयस्क	106.00	116.00	125.00
मैंगनीज अयस्क	4.20	4.20	5.00
कृमि अयस्क	2.50	3.00	3.00

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए एमएमटीसी नए-नए क्षेत्रों जैसे स्वर्ण, रत्न और आभूषण, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद, भवन निर्माण सामग्री, वस्त्र, चमड़ा उत्पाद, रसायन और भेवज पदार्थों तथा औषधियों के क्षेत्र में अपने वाणिज्यिक क्रियाकलाप का विविधीकरण कर रहा है।

एम एम टी सी निर्यातोन्मुख संयुक्त उद्यमों में चुनिंदा रूप से निवेश के द्वारा अपने कैप्टिव आपूर्ति आधार का विकास भी कर रहा है।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

2638. श्री मृत्युंजय नायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों को काम में लगाने वाले नियोक्ताओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कारखाना अधिनियम, 1948 और बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई कार्रवाई के विवरण संलग्न हैं।

विवरण

1991-92

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजन की संख्या		सिद्धिदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	–	–	–	–	–	–
2.	गुजरात	982	–	–	–	–	–	–	–
3.	जम्मू और कश्मीर	267	489	–	–	–	–	–	–
4.	केरल	–	11012	–	–	–	–	–	–
5.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	मेघालय	183	22	–	–	–	–	–	
8.	उड़ीसा	16	456	–	–	–	–	–	
9.	पंजाब	1230	74	–	–	–	345	–	440
10.	राजस्थान	28	–	–	–	–	–	–	–
11.	तमिलनाडु	–	21054	–	59	21	38	1	29
12	उत्तर प्रदेश	2982	835	683	22	766	121	273	31
13.	दिल्ली	1094	1863	–	–	–	–	–	
	कुल	6784	35215	683	81	787	504	274	500

1992-93

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजन की संख्या		सिद्धिदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हरियाणा	–	29	–	–	–	–	–	–
2.	हिमाचल प्रदेश	75	58	–	–	–	–	–	–
3.	केरल	–	4679	–	–	–	39	–	12
4.	मध्य प्रदेश	12038	10961	–	5	–	695	–	389
5.	महाराष्ट्र	–	11374	–	–	–	–	–	–
6.	मेघालय	369	76	–	–	–	–	–	–
7.	उड़ीसा	7	92	–	–	1	–	–	–
8.	पंजाब	740	37	–	17	–	704	–	447
9.	राजस्थान	174	–	1	–	1	–	–	–
10.	तमिलनाडु	–	12510	–	20	–	20	1	1
11.	त्रिपुरा	9	166	–	–	–	–	–	–
12.	उत्तर प्रदेश	11534	533	1883	83	1867	135	162	26
13.	दिल्ली	–	323	–	–	–	–	–	–
14.	चंडीगढ़	74	209	–	–	–	–	–	–
	कुल	25020	41047	1884	125	1869	1593	163	874

1993-94

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरीक्षणों की संख्या		उल्लंघनों की संख्या		अभियोजन की संख्या		सिद्धिदोषों की संख्या	
		बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.	बाल श्रम अधि.	कारखाना अधि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गुजरात	2440	7885	–	–	–	–	–	–
2.	बिहार	1321	–	4	–	–	–	–	–
3.	हिमाचल प्रदेश	72	61	–	–	14	15	10	17
4.	हरियाणा	241	141	45	2	–	–	–	–
5.	केरल	–	3820	–	–	–	3	–	–
6.	मध्य प्रदेश	2588	1437	–	–	–	–	–	–
7.	महाराष्ट्र	731	13415	29	37	21	37	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मणिपुर	9	–	–	–	–	–	–	–
9.	मेघालय	270	191	–	–	–	–	–	–
10.	उड़ीसा	95	45	79	2	–	2	–	–
11.	पंजाब	726	277	1	3	1	219	–	204
12.	राजस्थान	181	836	–	–	1	–	–	–
13.	तमिलनाडु	–	6612	–	75	–	37	–	5
14.	त्रिपुरा	–	40	–	–	–	–	–	–
15.	उत्तर प्रदेश	7986	263	1645	29	1271	11	254	8
16.	दमन और दीव	15	67	11	12	–	–	–	–
17.	दिल्ली	187	286	–	–	–	–	–	–
	कुल	16862	35378	1814	160	1308	324	264	234

[अनुवाद]

क्रोशिया के साथ व्यापार समझौता

2639. **डा. वसंत पवार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रोशिया के साथ कोई व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उक्त देश को निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जैगरेब (क्रोशिया) में 16 सितम्बर, 1994 को किए गए द्विपक्षीय करार के अनुसार, दोनों पक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी, परिवहन, पर्यटन, संचार, कार्मिकों के प्रशिक्षण और आर्थिक कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, भारत तथा क्रोशिया अन्य बातों के साथ-साथ तीसरे देश के लिए बाजारों सहित संयुक्त उद्यमों की स्थापना के जरिए एक-दूसरे के क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देंगे। द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने के उद्देश्य से अन्तर-बैंकिंग व्यवस्थाएं करने को भी सहमत हुए हैं।

(ग) क्रोशिया को निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों और किए गए उपायों में शामिल हैं : शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, एक-दूसरे के देश में व्यापार मेलों में सहभागिता पर विचार करना और उच्च स्तर पर सम्पर्क बढ़ाना। दोनों पक्षों ने पर्यटन उद्योग में सहयोग और क्रोशिया में रेस्तराओं की स्थापना करने और व्यापक संभाव्यता का भी पता लगाया है। क्रोशिया ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्यक संबंधों को और बढ़ाने के उद्देश्य से सितम्बर, 1995 में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जैगरेब मेलों में भाग लेने के लिए भी भारत को आमंत्रित किया है।

इंडियन एयरलाइन्स की एअर बस के पंख का टूटा हुआ टुकड़ा

2640. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स की एयरबस 300 के एक पंख का टुकड़ा टूटकर गिर गया जोकि बाद में मुम्बई हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर प्राप्त हुआ और विमान ने टूटे हुए पंख से ही मुम्बई से कलकत्ता तक की उड़ान भरी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना की जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं को पुनः न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स का ए-300 विमान 2.10.94 को मुबंई से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। तब मुबंई से उड़ान भरते समय इसके बाईं तरफ के पंख के टिप का पिछला किनारा उड़ान के दौरान अलग हो गया था। दिल्ली में बिना किसी घटना के उतरने के बाद विमान ने उसी दिन दिल्ली-कलकत्ता सैक्टर पर एक उड़ान का प्रचालन किया । कलकत्ता उतरने के बाद, ट्रांजिट निरीक्षण के दौरान पंख के गायब हुए पैनल का पता लगा।

(ख) और (ग). घटना की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक, दिल्ली में ट्रांजिट निरीक्षण करने वाले विमान अनुरक्षण अभियंता का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े के सभी ए-300 विमानों पर उपर्युक्त मद का निरीक्षण किया गया था तथा उसे ठीक पाया गया था।

जब्त किए गए खाते

2641. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आयकर विभाग द्वारा ऐसे कितने छापे मारे गए, जिसमें खाते बहियों को जब्त किया गया तथा उसके बाद दस वर्षों की अवधि बीत जाने पर भी उन्हें वापस नहीं किया गया; और

(ख) खाते बहियों को जब्त करने की अवधि के संबंध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान/मार्गनिर्देश है तथा उक्त मामलों में खाते बहियों को लौटाने में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात में 165 मामलों में जब्त किये गये बहीखातों को अभी तक वापस नहीं किया गया है यद्यपि दस वर्ष की अवधि बीत गयी है।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 132(8) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी जब्त किए गए बही खातों को जब्ती की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए रख सकता है। इस अवधि के बाद आयकर आयुक्त या मुख्य आयकर आयुक्त के अनुमोदन से बही खाते अपने पास रखे जा सकते हैं और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सभी कार्यवाहियां पूरी होने की तारीख से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए बही खाते अपने पास रखे जा सकते हैं।

उपर्युक्त मामलों में बही खातों को इस कारण वापस नहीं किया गया है कि इन मामलों के संबंध में आयकर की कार्यवाहियां अभी भी पूरी होने के विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं जिसमें कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, अपीलें, दण्ड और अभियोजन शामिल हैं।

चाय की पत्तियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

2642. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेशमी वस्त्रों का आयात

2643. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 से मार्च, 1992, अप्रैल, 1992 से मार्च, 1993 और अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान रेशमी वस्त्रों के आयात हेतु दिए गए आयात लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्राकृतिक रेशम के आयात हेतु जिन 20 प्रमुख वाणिज्यिक कंपनियों को आयात लाइसेंस प्रदान किए गए उनके नाम क्या हैं और इन आयात लाइसेंसों के मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों को मिलाना

2644. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अन्य बैंकों से मिलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों के घाटे में चलने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटेज/मोटल्स/पर्यटक स्थलों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

2645. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटकों के लिए कोटेज/मोटल्स/पर्यटक स्थलों की स्थापना हेतु केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यदि केन्द्रीय सरकार के पास कोई परियोजना प्रस्ताव लंबित है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार ने केरल राज्य में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए क्रमशः 269.29 लाख, 150.08 लाख और 97.40 लाख रुपये की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की थीं। स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राशि सहित वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन सभी परियोजनाओं को, जो सभी तरह से पूर्ण थीं, मंजूर कर लिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1	2	3
	1991-92	
	केरल	
1.	बेकल का एकीकृत विकास	190.00
2.	कोरकुरम टूरिस्ट कैम्प पर बोट ट्रेन	16.15
3.	माइक्रोलाइट उपकरण	4.50
4.	जल-क्रीड़ा उपकरण	23.21
5.	एलीफेंट मार्च	7.50
6.	प्रचार साहित्य	11.25
7.	वातानुकूलित कोचों की खरीद	16.68
	जोड़ :	269.29
	1992-93	
1.	कलाड़ी पर पर्यटक परिसर	63.08
2.	गुरूवायुर पर पर्यटक गृह	49.50
3.	पर्वतीय साईकिलों की खरीद	1.50
4.	तिरुवनन्तपुरम में गोल्फ का उन्नयन	36.00
	जोड़ :	150.08
	1993-94	
1.	परावूर पर समुद्रतटीय विहार स्थल	26.13
2.	चरथली पर समुद्रतटीय विहार स्थल	24.69
3.	चंगानचेरी पर पर्यटक विहार-स्थल	14.45
4.	कल्लार पर पर्यटक-गृह	14.90
5.	कुराविलगड़ पर पर्यटक-गृह	14.23
6.	प्रचार सहायता	3.00
	जोड़ :	97.40

आयकर का भुगतान करने की बैंकों की देनदारी

2646. श्री चित्त बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि बैंकों को उन गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों पर ब्याज के संबंध में आयकर देना पड़ेगा, जो अर्जित की गई है परन्तु बैंकों ने उनकी गणना आय के रूप में नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) 1991-92 से 1993-94 तक बैंकों पर कितना अतिरिक्त आयकर देय हुआ और सरकार ने इसमें से कितना धन वसूल किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर बनाम आयकर आयुक्त, केरल (158 आईटीआर 102) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बैंकों द्वारा अपनाई गई वाणिज्यिक लेखा-प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं के खाते में "डेबिट" किए गए और ब्याज उचंत खाते में "क्रेडिट" किए गए डूबंत और संदिग्ध ऋणों (जिन्हें सामान्यतया "स्टकी अग्रिमों" के नाम से जाना जाता है) का ब्याज बैंकों की आय के रूप में अर्जित हुआ है भले ही बैंकों द्वारा अपने लाभ एवं हानि खाते में या आयकर के प्रयोजनों के लिए इसे आय के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया था।

(ख) और (ग). इस बात को देखते हुए कि बैंकों के मामलों में डूबंत हुए और संदिग्ध ऋणों के ब्याज की वसूली करना सामान्यतया कठिन है और ऐसी आय का अर्जित आधार पर कराधान करने से बिना किसी आय की वास्तविक प्राप्ति के बैंकों की नगदी में कमी आती है, कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 43 डी अंतःस्थापित की गई है। इस धारा के अनुसार "स्टिकी" ऋणों के ब्याज पर केवल उसी वर्ष में कर लगाया जाएगा, जिस वर्ष में ब्याज वास्तव में प्राप्त हुआ है या लाभ एवं हानि खाते में उसे जमा किया गया है, इनमें से जो भी पहले हो। इस पर आयकर नियमावली, 1962 के नियम 6 ईए के उपबंध लागू होते हैं जिन्हें ऐसे

ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप कर-निर्धारण वर्ष 1991-92 से आगे के उपर्युक्त उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण कोई कर प्रभाव नहीं है।

पूंजी अपर्याप्तता संबंधी मानदंड

2647. श्री चित्त बसु :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य सम्बद्ध बैंकों सहित सहकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी अपर्याप्तता संबंधी मानदंडों का पालन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं और उनका पूंजी अनुपात कितना है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूंजी में कमी आने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे भारतीय बैंक, जिनकी विदेश में शाखाएं नहीं हैं, उनसे 31 मार्च, 1993 तक 4 प्रतिशत और 31 मार्च, 1996 तक 8 प्रतिशत का पूंजी जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी। तथापि, वे बैंक जिनकी विदेश में शाखाएं हैं उनसे 31 मार्च, 1995 तक 8 प्रतिशत का मानदंड प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, जिन्होंने अभी अपने तुलन-पत्र को अन्तिम रूप देना है, में से उन बैंकों के नाम, जिन्होंने 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार कम से कम 4 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त कर लिया है, नीचे दिये गये हैं :-

	बैंक का नाम	सीआरएआर
	1	2
1.	भारतीय स्टेट बैंक	12.9 प्रतिशत
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	4.6 प्रतिशत
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	6.2 प्रतिशत
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	4.8 प्रतिशत
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4.6 प्रतिशत
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	11.2 प्रतिश
7.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4.3 प्रतिशत
8.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4.92 प्रतिशत
9.	बैंक आफ बड़ौदा	9.1 प्रतिशत
10.	केनरा बैंक	12.1 प्रतिशत
11.	कार्पोरेशन बैंक	9.4 प्रतिशत
12.	देना बैंक	6.7 प्रतिशत
13.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	10.2 प्रतिशत
14.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	9.7 प्रतिशत
15.	विजया बैंक	5.7 प्रतिशत

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंकों को निरंतर आधार पर अबाधित न्यूनतम पूंजी निधि बनाए रखनी होती है जो सकल जोखिम भारित आस्तियों के निर्धारित अनुपात और अन्य खर्चों के बराबर होती है। पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के प्रयोजनार्थ अबाधित पूंजी (टायर 1) का अर्थ है चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि तथा अधिशेष निधियों में से अनुषंगियों में निवेश की गई इक्विटी और अगोचर आस्तियों और हानियों को घटाना। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में कमी के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) तुलन पत्र में अगले लाभ से घाटा पूर्ति।

(2) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि।

कलकत्ता विमानपत्तन

2648. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विमानपत्तन पर प्रस्थान विश्राम-कक्ष में बहुत भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो वहां सुविधाओं में सुधार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस समय कलकत्ता हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय यातायात को एक टर्मिनल से हैंडल किया जाता है। 3.7 मिलियन यात्रियों की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता वाले, कलकत्ता हवाई अड्डे के नये अंतर्देशीय टर्मिनल काम्प्लेक्स के जनवरी, 1995 में आरंभ हो जाने की आशा है। इसके पश्चात, संपूर्ण अंतर्देशीय प्रचालनों को नये टर्मिनल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वर्तमान भवन में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए उपयोग हेतु परिवर्द्धन और विस्तार कार्य किया जाएगा। इन उपायों से टर्मिनल भवन में भीड़-भाड़ को कम किया जा सकेगा।

नागर विमानन कर्मचारियों का वेतन

2649. श्री अमल दत्त : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस तथा एयर टैक्सी आपरेटरों/निजी विमानचालकों के पायलटों को दिए जा रहे वेतन, परिलब्धियों तथा अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अक्सर सरकार का विचार नागर विमानन में सरकारी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनों, परिलब्धियों तथा अन्य लाभों में अंतर को कम करने हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइंस के विमानचालकों के संबंध में वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। प्राइवेट प्रचालकों द्वारा अपने विमानचालकों को दी जाने वाली परिलब्धियों के बारे में सरकार द्वारा सूचना एकत्र नहीं की जाती।

(ख) से (घ). एयर इंडिया में कर्मचारियों का वेतन और सेवा संबंधी अन्य निबंधन और शर्तें कर्मचारी संघों/संगठनों के साथ वेतन समझौतों के तहत निर्धारित किए जाते हैं। जहां तक प्राइवेट प्रचालकों का संबंध है, वे भी अपने कर्मचारियों को देय वेतन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स
विमानचालकों के वेतन और भत्ते

(1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार)

पदनाम	प्रथम अधिकारी		कैप्टन		कमांडर	
वेतनमान	2445-60-3265 रुपए		2825-70-3035-120-3875 रु.		3275-120-4355-125-4480 रु.	
वेतन और भत्ते	न्यूनतम (रु.)	अधिकतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	अधिकतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	अधिकतम (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
मूल वेतन	2545	3265	2825	3875	3275	4480
बी.डी.ए.	1312	1312	1312	1312	1312	1312
अतिरिक्त वेतन	840	1080	1020	1200	1080	1200
मकान किराया भत्ता	1000	1000	1000	1000	,1000	1000
नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	100	100	100	100	100	100
लाइसेंस भत्ता	100	100	350	350	350	350
दक्षता बोनस	100	100	75	75	125	125
योग्यताएं	×	×	600	600	600	600
आर.टी. भत्ता	120	120	400	400	400	400
टंकण भत्ता	1100	1100	1800	2100	2400	2700
कमांड वेतन	×	×	400	500	600	600
प्रचालन नियंत्रण भत्ता	×	×	100	100	100	100
अंतरिम	610	820	700	1000	820	1180

1	2	3	4	5	6	7
दो कर्मीदल/प्रतिपूर्ति	525	525	675	675	950	950
उड़ान भत्ता	2100	2100	3825	3825	15000	18300
अनुभव भत्ता	1750	1750	3375	3375	6000	6000
एन आई टी अनुरक्षण भत्ता	420	420	500	500	500	500
टेलीफोन भत्ता	300	300	300	300	300	300
योग :	12922	14092	19357	21287	34912	40147

टिप्पणी :- 1. उड़ान भत्ता प्रथम अधिकारी/कैप्टन/कमांडर द्वारा क्रमशः एक माह में 35 घंटे/45 घंटे की उड़ान को ध्यान में रखकर निकाला जाता है। दर 60/85/250-305 रुपए प्रति घंटे

2. अनुभव भत्ता क्रमशः प्रथम अधिकारी की 10 वर्ष, कैप्टन की 15 वर्ष और कमांडर की 20 वर्ष की सेवा अवधि को ध्यान में रखकर निकाला जाता है।

3. विमानचालकों को कुछ परिवर्तनीय भत्ते जैसे विशेष यात्रा भत्ता, रुकने के लिए भत्ता, भोजन भत्ता आदि दिए जाते हैं, जो वास्तव में उड़ान ड्यूटी के दौरान, बाहरी स्टेशनों पर रुकने के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। यह राशि प्रत्येक विमानचालक द्वारा महीने में उड़ान घंटों के अनुसार अलग-अलग होती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय श्रम संस्थान

2650. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" में "निजी कंपनी की तरह चल रहा है राष्ट्रीय श्रम संस्थान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) "निजी कंपनी की तरह चल रहा है राष्ट्रीय श्रम संस्थान" शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर, 1994 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान के निदेशक के रूप में श्री ए.पी. वर्मा का पद पर बने रहने की कार्रवाई सरकारी नियमों तथा विनियमों की शर्तों पर की गई थी। समाचार में उल्लिखित अन्य सभी मामलों पर सरकार पहले ही निदेशक, राष्ट्रीय श्रम संस्थान के साथ पत्र व्यवहार कर रही है।

बीड़ी श्रमिकों हेतु चिकित्सा सुविधाएं

2651. श्री एन.जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने बीड़ी श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके लिए अस्पताल खोले हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में अन्य स्थानों पर कुछ और अस्पताल खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनमें प्रदान की जाने वाली अन्य विशेष चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) राज्य सरकार के अनुसार, गुजरात में लगभग 50,000 बीड़ी कर्मकार हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुजरात में बीड़ी कर्मकारों के लिए 6 औषधालय स्थापित किए हैं।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तीर्थ-स्थलों के लिए पर्यटक

2652. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991-92 से वर्ष-वार तथा स्थान-वार विभिन्न स्थानों के तीर्थस्थलों पर पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक तीर्थस्थल पर आने वाले विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों की अनुमानित वार्षिक संख्या कितनी है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) मूल सुख-सुविधाओं और आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए वर्ष 1992 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित तीर्थ पर्यटन पर एक समिति ने विकास के लिए तीर्थ स्थलों की शिनाख्त की थी। समिति द्वारा विकास के लिए शिनाख्त किए गए केन्द्रों की सूची विवरण-I में दी गई है। वर्ष 1991-92 से शिनाख्त किए गए इन तीर्थ रूचि के स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने पर खर्च हुई राशि विवरण-II में है।

(ख) भारत सरकार पर्यटन विभाग तीर्थ रूचि के स्थलों पर आने वाले विदेशी पर्यटकों और स्वदेशी तीर्थ यात्रियों की संख्या के संबंध में सांख्यिकीय सूचना नहीं रखता है।

विवरण-I

तीर्थ पर्यटन पर समिति द्वारा विकास के लिए शिनाख्त किए गए केन्द्र

क्र.सं.	राज्य		केन्द्र/स्थान
1	2		3
1.	असम	—	कामाख्या
2.	बिहार	—	बोधगया पटना साहिब
3.	गुजरात	—	द्वारका पालिताना उदवाडा (वापी के नजदीक)
4.	हिमाचल प्रदेश	—	पाओंटा साहिब
5.	जम्मू व कश्मीर	—	ज्वालाजी माता वैष्णो देवी
6.	कर्नाटक	—	श्रींगेरी गुलबर्गा
7.	केरल	—	गुरूवयूर
8.	मध्य प्रदेश	—	उज्जैन
9.	महाराष्ट्र	—	सिर्डी (नासिक) नादेंड कोलापुर जिले में ज्योतिबा
10.	उड़ीसा	—	जगन्नाथ पुरी
11.	राजस्थान	—	अजमेर शरीफ
12.	तमिलनाडु	—	रामेश्वरम
13.	उत्तर प्रदेश	—	बद्रीनाथ परिपथ और बरसाना-नंदगांव-गोकुल-मथुरा-वृंदावन-गोवर्धन परिपथ।

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य	परियोजना	वर्ष	स्वीकृत की गई राशि	रिलीज की गई राशि (रु. लाखों में)
1.	असम	- कामाख्या में तीर्थ कुटीरें	1992-93	27.09	14.00
2.	बिहार	- बोधगया में पर्यटक स्वागत केन्द्र	-वही-	20.55	10.00
		- पटना साहिब में यात्रिका	1993-94	21.93	10.00
3.	हिमाचल प्रदेश	- पाओंटा साहिब में पर्यटक लॉज का निर्माण	-वही-	27.11	10.00
4.	जम्मू व कश्मीर	- कटड़ा में तीर्थ यात्री शेड	1992-93	18.75	10.00
		- कटड़ा में पर्यटक परिसर	-वही-	15.98	8.00
		- भवन पर यात्री निवास	-वही-	45.00	20.00
		- वैष्णो देवी में तम्बुओं में आवास	-वही-	10.38	10.38
5.	कर्नाटक	- श्रींगेरी में यात्री निवास का निर्माण	-वही-	46.05	15.00
		- गुलबर्गा में सुलभ शौचालय का निर्माण	-वही-	2.58	0.22
		- गुलबर्गा में यात्री निवास	1994-95	49.06	20.00
6.	केरल	- गुरूवयूर में पर्यटक लॉज	1992-93	49.50	5.00
7.	मध्य प्रदेश	- उज्जैन में तीर्थ यात्री शेड और जन सुविधाएं	1992-93	4.66	2.50
8.	तमिलनाडु	- रामेश्वरम में यात्री निवास	1992-93	44.78	15.00

"गैट" समझौते का अनुमोदन

2653. श्री पी.सी. चाको : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुमोदन को कार्यान्वित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "गैट" के अनुमोदन से देश में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस संगठन के कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त संगठन के स्थापित हो जाने से देश का निर्यात निष्पादन बढ़ेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च). सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) स्थापित करने वाले करार का अनुसमर्थन करने का फैसला किया है। यह करार 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी होने वाला है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) जेनेवा से कार्य करेगा और इसमें डब्ल्यू टी ओ करार करने वाले सभी सदस्य रहेंगे। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) सदस्यों के आपसी व्यापार संबंधों के आचरण के लिए एक सांझा संस्थागत ढांचा (ख) अपने सदस्यों में वार्ताओं के लिए मंच सुलभ कराएगा और (ग) विवादों के निपटान संबंधी मुद्दों पर निगरानी रखेगा।

अंतर्राष्टीय व्यापार को शासित करने वाले संधोधित नियम तथा उरूग्वे वार्ता दौर के परिणामों से उत्पन्न बाजार पहुंच के अवसर कुल मिलाकर हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क दरों को कम करने के उपायों एवं मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को चरणबद्ध रूप से समाप्त किये जाने के फलस्वरूप भारतीय माल के लिए अधिक बाजार पहुंच के अवसर होंगे।

उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श

2654. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 23 नवम्बर, 1994 को दिल्ली में अग्रणी उद्योगपतियों के साथ विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख). पूर्ववर्ती वर्षों की तरह वित्त मंत्री ने 23 नवम्बर, 1994 को उद्योगपतियों के एक दल के साथ बजट-पूर्व एक बैठक का आयोजन किया।

(2) बैठक में उपस्थित सभी उद्योगपतियों ने पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से चल रहे आर्थिक सुधार कार्यक्रम का सर्व सम्मति से स्वागत किया। उन्होंने भविष्य में उद्योगों की निरंतर उच्च वृद्धि के लिए विश्वास व्यक्त किया। उद्योगपतियों द्वारा दिए गए मुख्य सुझावों में शामिल हैं :—

— सरकारी और निजी निवेश दोनों के उपाय किए जाने सहित राजकोषीय घाटे में नियंत्रण करना,

— विलय एवं समामेलन को सरल बनाने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन और अन्य बाधाओं को हटाना,

— राज्य स्तर पर लगाए जाने वाले शुल्कों में कटौती और खनिज पदार्थों तथा अन्य उत्पादों पर रॉयल्टी लगाना,

— प्रभावी निराशा विरोधी शुल्कों का लगाया जाना,

— उपभोक्ता सामान के आयात पर अत्यधिक प्रतिबंधों को हटाना,

— लाभांशों पर दोहरे कराधानों से बचना,

— निर्यात के संवर्धन के लिए छोटे पैमाने के आरक्षणों में ढील देना,

— पूर्ण मूल्य वर्धित कर (वेट) में अधिक तीव्र परिवर्तन,

— विदेशी और घरेलू निजी निवेशकर्ताओं के लिए बीमा क्षेत्र खोलना,

— अनुसंधान और विकास के लिए अधिक कर प्रोत्साहन,

— आधारिक संरचना और कार्यनिष्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना,

औद्योगिक दल वित्त मंत्री से सहमत था कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के मूलभूत प्रावधान के माध्यम से मानव संसाधनों के विकास के लिए उद्योग और सरकार को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त आर्थिक नीति को तैयार करते समय सरकार द्वारा उद्योगपतियों, अन्य संगठनों/विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

औद्योगिक संबंध अधिनियम

2655. श्री राम नाईक : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवश्यक विधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरा जाना

2656. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन इंडियन ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन सहित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोई रिक्त पद बकाया पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों द्वारा सरकार के आदेशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं और तत्संबंधी संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फूलों का निर्यात

2657. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फूलों की मात्रा और इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का किस्म-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हालैण्ड और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय फूल उत्पादन के क्षेत्र में गहरी रूचि दिखायी है और भारत के घरेलू बाजार और निर्यात के लिए गुलाबों के उत्पादन हेतु स्वचालित उपकरणों और कम्प्यूटरों की सहायता से चालित "ग्रीन हाउस" स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार फूलों के निर्यात से अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके मात्रा एवं किस्म वार निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ). जी, हां। फिलहाल, डच तकनीक के सहयोग से 10 भारतीय पुष्पोत्पादक उद्यम स्थापित किए गए हैं। पुष्पोत्पादन को निर्यात के लिए विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है और सरकार अद्यतन तकनीक से पुष्पोत्पादक इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देती है।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान तोड़े गए फूलों का देश-वार निर्यात

लाख रु. में

देश	1993-94	1992-93	1991-92
यू एस ए	377.141	271.581	181.587
जर्मनी	180.663	139.587	162.724
युनाइटेड किंगडम	100.038	108.213	83.724
नीदरलैण्ड	81.284	29.466	120.758
इटली	69.648	27.531	47.607
सिंगापुर	33.669	2.455	2.727
पोलैण्ड	31.871	—	—
सऊदी अरब	31.731	50.074	19.195
संयुक्त अरब अमीरात	21.335	12.330	6.892
फ्रांस	20.432	11.750	44.780
श्रीलंका	15.297	16.512	2.439
आस्ट्रेलिया	14.390	10.213	7.390
जापान	13.964	14.024	30.343
हांगकांग	8.058	2.186	0.051
स्विटजरलैंड	2.313	2.154	—
अन्य	187.324	146.291	81.089
कुल	1189.158	844.357	683.306

विमानों के स्तर में वृद्धि करना

2658. श्री उदयसिंहराव गायकवाड : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ विमानपत्तनों के स्तर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे विमानपत्तनों के नाम क्या हैं और ऐसे प्रत्येक विमानपत्तन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या ये उन्नत किये गये विमानपत्तन बोइंग विमानों जैसे बड़े विमानों के आवागमन को संभाल सकेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

चेलैया समिति रिपोर्ट

2659. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राजा चेलैया समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु एक उप-समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश समिति की रिपोर्ट को लागू करने वाला पहला राज्य है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने चेलैया समिति की सिफारिशों को लागू किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने प्रो. राजा जे. चेलैया की अध्यक्षता में एक कर सुधार समिति का गठन किया गया था जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए और वसूल किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में सुधार करने के लिए सुझाव देगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रेषण कर और केन्द्रीय बिक्री कर लगाने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ अभिमत प्रकट किए थे। इन पहलुओं पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति द्वारा जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इन सिफारिशों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी उप-समिति की नियुक्ति नहीं की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कपड़े की बिक्री

2660. श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कपड़े की लागत से कम मूल्य पर बेचे जाने के संबंध में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस अनियमितता को रोकने के लिए क्या दंडात्मक कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने यह बताया है कि कुछ मामलों में उदाहरण के लिए कटपीस, क्षतिग्रस्त कपड़ा, दोषपूर्ण/घटिया तथा कम कारोबारी वाला कपड़ा एन टी सी के सहायक निगमों द्वारा छूट पर बेचा जाता है। सहायक निगमों में वित्तीय संकट के कारण कम कारोबारी वाले कपड़े की आपात बिक्री के मामले भी हो सकते हैं। एन टी सी मिलों में अप्रचलित मशीनरी तथा उच्च उपरिखर्चे हैं जिनके कारण कुछ उत्पादों को उत्पादन की लागत बाजार में निजी मिलों के उत्पादों के बिक्री मूल्य से अधिक है। कपड़े की बिक्री में अनियमितता का कोई भी मामला जो एन टी सी/सरकार के ध्यान में आता है, उस पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। ऐसी ही एक शिकायत की छानबीन की जा रही है।

मध्य प्रदेश में एन टी सी/बी आई सी

2661. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में एन टी सी/बी आई सी मिलों में 1973 से मजदूरी में कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). एन टी सी/बी आई सी की मिलों में राज्य सरकार के तत्वाधान में प्रबंधकों और कामगारों के बीच हुए समझौते के आधार पर वर्ष 1973 के बार से समय-समय पर वेतन में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश में एन टी सी की मिलों में जून, 1979 में सकलेचा अभिनिर्णय, जनवरी, 1979 में वोहरा अपील तथा जनवरी, 1991 में पटवा अपील के अंतर्गत वेतन में संशोधन किया गया। बी आई सी की मध्य प्रदेश में कोई मिल नहीं है।

निजी विमान कंपनियों द्वारा यात्रा

2662. श्री अमर रायप्रधान : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को सरकारी प्रयोजनों से निजी विमान कंपनियों के विमानों से यात्रा करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये अनुदेश "अर्ह" तथा "अनर्ह" दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं;

(ग) क्या इन अनुदेशों की व्याख्या करने में किसी कठिनाई की जानकारी सरकार को दी गयी थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). अनुपूरक नियमों के अधीन हवाई जहाज से यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारी को सामान्यतया इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत की उड़ानों से यात्रा करनी होती है। इसके सिवाय वे जिस स्टेशन पर सरकारी ड्यूटी पर जा रहे हैं वहां पर इंडियन

एयरलाइंस/वायुदूत की सेवाओं का प्रचालन नहीं होता है। बाद वाले मामले में वे निजी अनुसूचित एयरलाइनों से यात्रा कर सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

लोह अयस्क का निर्यात

2663. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्तमान समझौते के समाप्त होने के बाद लोह अयस्कों का निर्यात धीरे-धीरे बंद करने का है;

(ख) क्या इससे देश में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की उपलब्धता की कमी आएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में लौह अयस्कों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). लौह-अयस्क की केवल घरेलू जरूरतों से बेशी मात्रा का ही निर्यात जा रहा है।

(घ) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :-

(I) नेशनल मिनरल डेवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. एम.डी.सी.) ने बैलाडिला में दो नई लौह-अयस्क खनन परियोजनाओं-डिपाजिट नं. 10/11-ए तथा डिपाजिट 11-बी के तत्काल विकास के लिए योजनाएं तैयार की हैं। इसके पास कर्नाटक में नई लौह अयस्क खनन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भी योजनाएं हैं।

(II) लौह अयस्क का खनन, जो विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपयोग के लिए आरक्षित रहता था, उसे गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है।

(III) लौह-अयस्क के खनन सहित खनिज क्षेत्र में विदेशी निवेश पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है।

शैक्षिक ऋण योजना

2664. श्री अन्ना जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंक ऋणों का लाभ उठाने के लिये पात्रता के आधार क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत दिये गये ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शैक्षणिक ऋण प्रदान करने के लिए विद्यार्थी के पात्रता का आधार क्या हो, इसका निर्णय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। सामान्यतया भारत में शैक्षणिक ऋण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री सहित डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालय तक की शिक्षा शामिल है। तथापि, बैंक, स्कूल स्तर तक अध्ययन के लिए शैक्षणिक ऋण मंजूर करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही, किसी विशेष योजना, यदि कोई लागू किया गया हो, के अंतर्गत शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति विशेष को, जो ऋण प्रदान करते हैं, उसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

जून 1991, 1992 और 1993 को समाप्त वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए शैक्षणिक ऋणों के बारे में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार आंकडे संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

जून, 1991, 1992 और 1993 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक ऋणों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े।

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991		1992		1993	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	63	6.18	41	3.05	10	1.60
हिमाचल प्रदेश	48	5.33	15	1.35	71	0.73
जम्मू एवं कश्मीर	13	2.56	17	2.49	17	2.49
पंजाब	112	10.25	67	69.86	109	14.83
राजस्थान	87	5.54	26	4.14	151	20.89

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
चंडीगढ़	12	1.65	16	4.28	51	34.54
दिल्ली	207	48.42	208	70.27	231	27.83
असम	78	2.46	9	2.12	6	0.26
मणिपुर	3	0.54	4	0.31	3	0.64
मेघालय	1	0.31	1	2.00	—	—
नागालैंड	—	—	1	0.03	—	—
त्रिपुरा	21	3.23	6	0.28	4	0.60
अरुणाचल प्रदेश	—	—	1	0.02	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
सिक्किम	—	—	—	—	1	0.60
बिहार	37	2.28	24	2.14	51	8.16
उड़ीसा	1095	69.35	1109	73.88	613	95.01
प. बंगाल	218	31.47	112	21.24	134	24.99
अंडमान एवं निकोबार	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	959	24.32	283	55.98	605	46.64
उत्तर प्रदेश	519	67.74	133	42.64	303	86.21
गुजरात	1538	259.26	970	209.98	3461	304.80
महाराष्ट्र	1257	172.13	2701	1549.60	2680	352.25
दमन एवं दीव	—	—	—	—	36	1.85
गोवा	21	41.41	27	3.29	154	27.45
दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	45	3.91
आंध्र प्रदेश	1674	359.17	1421	560.93	2650	718.95
कर्नाटक	4084	444.08	3020	747.83	2873	622.18
केरल	1327	95.45	1204	164.12	1655	234.34
तमिलनाडु	2480	337.13	2376	494.97	2280	5336.32
पांडिचेरी	15	2.29	41	4.85	37	6.64
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—

आंकड़े : अनन्तिम

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

लघु एककों को ऋण

2665. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु एककों का देश के कुल निर्यात में 30 प्रतिशत का योगदान है;

(ख) क्या अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार बड़े औद्योगिक एककों को अपने कारोबार का 19 प्रतिशत ऋण लेने की अनुमति है जबकि लघु एककों को केवल 8 प्रतिशत ऋण लेने की अनुमति है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सीमा को समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1992-93 के दौरान लघु उद्योगों द्वारा 17784.82 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया, जो 53350.54 करोड़ रुपए के कुल निर्यात का 33.34 प्रतिशत बैठता है।

(ख) लघु उद्योगों को संस्थागत ऋण की पर्याप्तता की जांच के लिए श्री पी.आर. नायक की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनुमान लगाया है कि मझौले और बड़े उद्योगों को बैंकों से उपलब्ध कार्यशील पूंजी वित्त (1989-90 के आंकड़ों के आधार पर) उनके कुल उत्पादन का 19.4 प्रतिशत था। समग्र रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी वित्त की उपलब्धता कुल उत्पादन का 8.1 प्रतिशत आंकलित किया गया था।

(ग) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नायक समिति की रिपोर्ट के आधार पर, बैंकों से कहा गया है कि उन लघु उद्योगों को वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 20 प्रतिशत के आधार पर आंकलित कार्यशील पूंजी सीमा उपलब्ध कराएं, जिनका व्यक्तिगत मामलों में ऋण सीमा एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। बैंकों से कहा गया है कि वे ग्रामोद्योगों, अति लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को इसी क्रम में तरजीह दें और ऋण के प्रवाह को बढ़ाएं और लघु उद्योगों की ऋण संबंधी जरूरतों का पूरा करें। यह भी निर्णय लिया गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना को सभी जिलों में लागू किया जाए। प्रारंभ में, 2000 से अधिक प्रत्येक पंजीकृत एककों वाले 85 में से 62 जिलों को वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किया गया है और शेष 23 को राज्य वित्त निगमों को इस अनुदेश के साथ आबंटित किया गया है कि वे समन्वित ढंग से ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मार्गदर्शी उत्तरदायित्व लें।

कानपुर में मिलों का निजीकरण

2666. जगत बीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर (उत्तर प्रदेश) में सहकारी कताई मिलों का निजीकरण करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि इन मिलों का निजीकरण हो जाता है तो उस स्थिति में इन मिलों के श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कानपुर में कोई भी बुनाई मिल सहकारी क्षेत्र में नहीं है।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा पैवेलियनों के लिए किराया

2667. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1993 के बाद आयोजित प्रमुख हथकरघा एक्सपो का कुल कितने क्षेत्र में निर्माण किया गया है और राज्य पैवेलियनों के निर्माण की प्रतिवर्ग फुट दर क्या है तथा हथकरघा एजेन्सियों से प्रतिवर्ग फुट किराया किस दर पर लिया जाता है;

(ख) क्या राज्य पैवेलियनों के निर्माण की दरों तथा हैंडलूम एजेंसियों से किराया वसूली की दरों में काफी भिन्नता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को निर्धारित दरों से अधिक दरें लिए जाने के कुछ मामलों का पता चलता है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :-

एक्सपो का विवरण	निर्मित क्षेत्र वर्ग फुट में	निर्माण के लिए दर प्रतिवर्ग फुट में (सुविधाओं को छोड़कर)	हथकरघा अभिकरणों से सुविधाओं सहित वसूली की दर (वर्ग फुट में)
1	2	3	4
		रु. पै.	रु. पै.
1. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, अहमदाबाद (6.11.1994 से 4.12.1993)	46409	32.00	65.00
2. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, दिल्ली (3.12.93 से 4.1.94)	46700	48.30	50.00
3. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, कानपुर (15.1.94 से 13.2.94)	50000	58.20	60.00

1	2	3	4
4. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, पूना (1.2.94 से 2.3.94)	46500	39.00	60.00
5. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, हैदराबाद (25.3.94 से 23.4.94)	50493	32.00	68.00
6. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, बंगलौर (17.9.94 से 16.10.94)	45000	45.00	75.00
7. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, आगरा (4.10.94 से 2.11.94)	31000	35.00	65.00
8. राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, बम्बई (12.10.94 से 10.11.94)	52000	39.00	90.00

(ख) और (ग). जी, हां। उपरोक्त भाग "ग" में निर्माण की दर सुविधाओं को छोड़कर दशाई गई है जबकि भाग "घ" में हथकरघा अभिकरणों से वसूली की दर में सुविधाओं को शामिल किया गया है। राज्य मंडप के निर्माण की दर और हथकरघा अभिकरणों से किराये की वसूली में अंतर निम्नलिखित सुविधाओं के कारण हैं :-

कार्यालय, अग्निशमन, बैंक व डाक घर, पुलिस गृथ, बिजली घर, प्राथमिक चिकित्सा, स्वीच बोर्ड, जनरेटर सैट, स्नानघर व अन्य जन सुविधाओं, पीने के पानी, सुरक्षा, दूरभाष, सामान्य बिजली, बाउन्डरी की दीवार, उद्घाटन व समापन समारोह, मैदान की सफाई आदि के लिए उचित प्रावधान तथा प्रचार पर हुए व्यय, भूमि, शुल्क, संघटनात्मक खर्चे तथा संवेधानिक शुल्क का भुगतान आदि।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं होता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गेहूं का निर्यात

2668. श्री आनंद रत्न मौर्य :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने खाड़ी देशों को गेहूं का निर्यात शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी देशों को देश-वार कुल कितना गेहूं निर्यात किया गया; और

(ग) भारतीय गेहूं को किस मूल्य पर बेचा गया और इससे अब तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां। एस टी सी ने 50,000 मी. टन भारतीय गेहूं (एफ ए क्यू) के निर्यात के लिए दुबई में एक क्रेता के साथ 22.11.1994 को एक निर्यात संविदा को अंतिम रूप दिया है। यह मात्रा निश्चित है बशर्ते कि दुबई में 5,000-10,000 मी.टन की पहली पोतलदान खेप के पहुंचने पर क्रेता द्वारा गुणवत्ता का अनुमोदन कर दिया जाए और क्रेता लिखित रूप से विक्रेता को इस बात की पुष्टि कर दे कि पहली पोतलदान के पहुंचने पर पांच कार्य दिवस के भीतर बाकी मात्रा का पोतलदान कर दिया जाए। इसके अलावा, एस टी सी पारस्परिक रूप में सम्मत शर्तों पर 1 लाख मी. टन (वैकल्पिक) की और मात्रा के लिए भी संविदा की है। अतिरिक्त मात्रा का निर्यात एपीडा से कोटा मिल जाने/एफ सी आई से स्टाक उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। पोतलदान दिसम्बर, 1994 से मार्च, 1995 के दौरान किया जाएगा।

(ग) काण्डला पत्तन से भेजी जाने वाली मात्रा के लिए, संविदा कीमत 152 अमरीकी-डालर प्रति मी. टन एफ ओ बी (स्टोड/ट्रिम्ड आधार) अंतिम रूप दिया गया है और तूतीकोरन पत्तन से भेजी जाने वाली मात्रा के लिए संविदा कीमत 162 अमरीकी डालर प्रति मी. टन (स्टोड तथा ट्रिम्ड आधार) है।

हथकरघा बुनकरों के लिए योजनाएं

2669. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री महेश कनोडिया :
श्री उद्धव बर्मन :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री धर्मभिक्षम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं को लागू करने हेतु योजना-वार तथा राज्य-वार कितनी राशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इन चालू योजनाओं की उपलब्धियों का कोई आंकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित कपड़ों का कितना निर्यात किया गया है; और

(छ) ऐसे कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाई की स्थापना, प्रोजेक्ट पैकेज योजना, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना, निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना, समूह बीमा योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना, राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना और थ्रिफ्ट फंड योजना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार वर्तमान ग्राम विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए एकीकृत ग्राम विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और ट्राइसम योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई राशि का योजनावार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से वर्तमान योजनाओं की उपलब्धियों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न वर्तमान योजनाओं के कारण ही हथकरघा, कपड़े के उत्पादन में वृद्धि, बुनकरों के लिए रोजगार व आय में वृद्धि, हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि तथा हथकरघा क्षेत्र का समूचा विकास हुआ है।

(च) भारत से सूती हथकरघा उत्पादों का निर्यात 1991-92 में 689.20 करोड़ रुपये, 1992-93 में 1034.01 करोड़ रुपये और 1993-94 में 1297.48 करोड़ रुपये रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान सूती हथकरघा उत्पादों का निर्यात 837.05 करोड़ रुपये रहा जबकि गत वर्ष इसी अवधि में निर्यात 712.37 करोड़ रुपये था।

(छ) हथकरघा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें प्रमुख हैं :— डिजायन विकास, उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन अनुसंधान, मूल्यवान कपड़ों व भेड़ अब्स का उत्पादन और यहां के उत्पादों को नये बाजारों में बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने पर बल दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रोजेक्ट पैकेज योजना	कार्यशाला-सह-आवास योजना	हथकरघा बुनकरों हेतु मार्जिन मनी	थ्रिफ्ट फंड योजना
1	2	3	4	5	6
1.	असम	64.25	45.80	15.50	3.71
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	66.00	—	32.20
3.	बिहार	—	—	—	—
4.	गुजरात	—	—	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	20.50	20.00	—	—
6.	हरियाणा	—	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—
8.	केरल	52.97	—	—	—
9.	कर्नाटक	20.00	65.86	—	2.31
10.	महाराष्ट्र	8.70	—	—	16.23
11.	मणिपुर	3.42	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	—	6.49	0.50	—
13.	मिजोरम	—	2.80	—	—
14.	नागालैंड	2.00	—	—	—
15.	उड़ीसा	44.50	49.00	10.50	25.00
16.	पंजाब	—	—	—	—
17.	राजस्थान	2.23	8.27	—	—
18.	त्रिपुरा	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
20.	उत्तर प्रदेश	—	28.75	0.75	—
21.	प. बंगाल	—	32.00	3.50	—
	योग	248.57	324.97	30.75	81.98
	संघ शासित प्रदेश				
1.	पांडिचेरी	—	—	—	—
2.	दिल्ली	—	—	—	—
	योग	—	—	—	—
	कुल योग	248.57	324.07	30.75	81.98

विवरण-II

1992-93 में राज्य व संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई राशि का राज्यवार व योजनावार विवरण

राज्य का नाम	प्रोजेक्ट पैकेज योजना	एकीकृत हथ. ग्राम. योजना	नि.बु. हेतु वि. मार्जिन मनी	कल्याण पैकेज योजना			
				स.बी. योजना	स्वा. पै. योजना	थ्रि. फंड योजना	का. सह-आवास यो.
आंध्र प्रदेश	—	12.00	3.00	9.20	—	—	—
असम	73.50	31.25	38.00	—	47.85	—	40.00
बिहार	15.00	—	18.00	—	9.97	18.00	37.00
गुजरात	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	43.66	5.00	2.20	—	—	—	11.20
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—
जम्मू कश्मीर	—	—	—	—	—	—	5.00
केरल	20.00	10.00	7.72	—	43.80	—	28.86
कर्नाटक	12.50	6.00	—	10.00	—	—	60.34
महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	—	6.35	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	10.00	1.85	—	11.55	—	19.03
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	55.24	30.00	50.50	—	41.80	—	60.00
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	51.015	12.50	0.10	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	10.00	—	—	—	—	8.50
तमिलनाडु	5.15	22.50	1.00	27.83	22.40	95.53	121.50
उत्तर प्रदेश	61.55	60.00	10.10	4.00	192.278	17.46	110.50
प. बंगाल	—	6.00	—	—	—	10.00	—
योग	337.615	221.60	132.47	51.03	379.648	140.99	501.90
के.शा.प्र.	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग	337.615	221.60	132.47	51.03	369.648	140.99	501.90

विवरण-III

1993-94 में राज्य व सं.शा. प्रदेशों को जारी की गई राशि का विवरण

राज्य का नाम	हथकरघा वि. केन्द्र	प्रोजेक्ट पै.यो.	एकी.हथ. ग्रा.वि.यो.	मार्जिन मनी	समूह बीमा योजना	स्वा.पै. योजना	थ्रिफ्ट फंड योग	कार्यशाला सह-आवास	एन.एस. वाई.बी.
आंध्र प्रदेश	246.95	135.90	74.50	72.60	11.20	50.00	60.58	175.79	27.00
असम	100.00	48.25	72.88	40.00	—	47.88	—	8.87	13.50
बिहार	—	14.16	7.50	25.50	—	49.50	—	52.00	—
गुजरात	—	36.56	9.50	1.46	—	—	—	—	—
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	2.00	57.05	—	2.27	—	—	—	28.00	—
जम्मू व कश्मीर	—	14.75	—	3.19	—	14.99	—	3.76	—
कर्नाटक	17.50	85.00	—	19.08	—	21.40	17.00	32.94	—
केरल	29.37	74.00	—	9.53	—	—	—	70.48	—
मध्य प्रदेश	20.00	—	11.60	0.50	—	—	—	40.00	—
महाराष्ट्र	6.00	—	8.70	1.00	—	—	—	—	—
मणिपुर	113.74	53.62	8.25	13.00	—	38.08	1.28	30.00	—
मिजोरम	—	—	6.00	—	—	—	—	4.00	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	178.30	152.41	68.50	29.50	8.80	20.00	—	40.00	50.30
पंजाब	—	—	—	1.08	—	—	—	—	—
राजस्थान	—	—	12.25	—	—	20.00	1.65	40.16	—
तमिलनाडु	124.85	12.62	50.27	38.19	28.49	56.80	140.00	84.00	—
त्रिपुरा	—	25.20	—	1.00	—	3.15	—	8.00	—
उत्तर प्रदेश	—	119.25	32.50	22.64	8.00	56.50	—	182.00	54.00
प. बंगाल	161.29	8.78	—	5.50	0.40	34.30	10.00	—	24.88
योग	1000.00	837.55	362.45	285.04	56.89	412.60	230.51	800.00	194.68 *13.50 NHDC
संघ शासित प्रदेश									
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग	1000.00	837.55	362.45	285.04	56.89	412.60	230.51	800.00	194.68 *13.50 NHDC

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटन विकास

2670. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक बिहार में पर्यटन के विकास के लिए किसी योजना को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानों सहित वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में प्रत्येक के लिए वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि दी गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). बिहार में पर्यटन के विकास के लिए वर्ष 1993-94 के

दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों और प्रत्येक स्कीम के लिए वर्ष-वार स्वीकृत तथा रिलीज की गई राशि का आवश्यक ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्वीकृति का वर्ष	राशि	
			स्वीकृत राशि	रिलीज की गई
1.	पटना साहिब में यात्रिका	1993-94	21.93	10.00
2.	देवगढ़ में यात्रिका	1993-94	21.93	05.00
3.	झुमरी तल्लिया में कैफ्टेरिया	1993-94	09.75	04.75

जहां तक 1994-95 का संबंध है अभी तक कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

ग्रामीण उद्योगों पर उत्पाद शुल्क

2671. **श्री काशीराम राणा :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर सुधार संबंधी चेलिया समिति ने चांदी के आभूषण, धातु उत्पाद, कशीदाकारी, हाथ से तैयार वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों दस्तकारी तथा खिलौना उद्योगों जैसे ग्रामीण उद्योगों पर वर्तमान बिक्री कर तथा उत्पादन-कर ढांचे में सुधार करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में नागर विमानन विकास

2672. **श्री हरिभाई पटेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नागर विमानन के विकास हेतु गुजरात सरकार को अब तक योजना-वार कितनी राशि दी गई है; और

(ख) उक्त योजना के दौरान राज्य में इस क्षेत्र में शुरू किए गए/किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण को 8वीं योजना में गुजरात में निम्नलिखित हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने की योजना है :-

(1) अहमदाबाद : 30.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रारंभिक और गौण निगरानी राडारों का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है। प्रतिष्ठापन का कार्य जुलाई, 95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) बडौदरा : 11.43 करोड़ रुपए को लागत पर एक नये टर्मिनल भवन का निर्माण चल रहा है और इसके मार्च, 95 तक पूरा हो जाने की आशा है। 2.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर धावनपथ पर पुनः परत बिछाने का कार्य किया जा चुका है। 3.00 करोड़ रुपए की लागत से उपकरण अवतरण प्रणाली और दूरी मापक उपस्कर संस्थापित किये जा रहे हैं। इस कार्य के दिसम्बर, 94 तक पूरा हो जाने की आशा है। 1.77 करोड़ रुपए की लागत से चारदीवारो के निर्माण और 0.85 करोड़ रुपए की लागत से भू-सुरक्षा सेवाओं को क्रमशः सितम्बर, 95 और दिसम्बर, 95 तक पूरा किया जायेगा।

(3) राजकोट : धावनपथ पर पुनः परत बिछाये जाने का प्रस्ताव है। 4.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उपकरण अवतरण प्रणाली, दूरी मापक उपस्कर और डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास संस्थापित किए जा रहे हैं। उपकरण प्रणाली के दिसम्बर, 94 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है।

(4) भुज (1) भूमि की उपलब्धता के आधार पर 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक यात्री टर्मिनल के निर्माण किये जाने की योजना बनाई गई है।

(2) 2.10 करोड़ रुपए की लागत पर डाप्लर आते उच्च आवृत्ति सर्वपरास और दूरी अति उपस्कर का संस्थापन किया जा रहा है। इस कार्य के अगस्त, 95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(5) पोरबंदर : 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नये यात्री टर्मिनल का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और कार्य आरंभ होने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर इसके पूरा हो जाने की आशा है।

(6) जामनगर : 2.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास और दूरी मापक उपस्कर के संस्थापन का प्रस्ताव है और इसके अगस्त, 95 तक पूरा हो जाने की आशा है।

उपर्युक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जायेगा। सरकार नागर विमानन सुविधाओं के विकास के लिए किसी भी राज्य सरकार को कोई अनुदान नहीं देती है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस के विमानों में मांसाहारी भोजन

2673. श्री विनय कटियार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमानों में अपने यात्रियों को मंगलवार को मध्यान्ह/रात्रि भोजन में मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षण के आधार पर कुछ वर्ष पहले मांसाहारी भोजन परोसना बंद किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) एक प्रयोग के तौर पर इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1987 के मध्य मंगलवार के दिन दोपहर और रात को केवल शाकाहारी भोजन परोसना शुरू किया था। कुल मिलाकर यात्री जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया, किन्तु यात्री जनता के एक छोटे हिस्से से इसकी थोड़ी सी नकारात्मक प्रतिपुष्टि मिली; एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते, इंडियन एयरलाइंस यात्रियों को इस छोटे से हिस्से को भी नाराज नहीं कर सकती थी। इसलिए इंडियन एयरलाइंस ने मंगलवार के दिन पुनः सामिष और निरामिष दोनों प्रकार का भोजन परोसना शुरू कर दिया।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आयकर

2674. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री चित्त बसु :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को आयकर की अदायगी अद्यतन है;

(ख) यदि हां, तो बीस राष्ट्रीयकृत बैंकों, एसोसिएट बैंकों में से प्रत्येक बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक की गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आंकी गई आय, उनसे मांगे गए कर तथा उनके द्वारा अदा किए गए कर का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दोषी बैंकों से आयकर की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनेक मामलों में कर-निर्धारित मांग मुकदमों के अधीन हो सकती है। फिर भी, आयकर आयुक्तों से यह कहा गया है कि वे कर की अविवादित बकाया धनराशि की वसूली करें।

विवरण

गत तीन वित्त वर्षों के दौरान/उन वर्षों से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य बैंकों की कर निर्धारित आय तथा मांगा गया कर/उनके द्वारा भुगतान किया गया कर

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम	वित्त वर्ष	कर-निर्धारित वर्ष	कर-निर्धारित आय	मांगा गया कर	भुगतान किया गया कर
1	2	3	4	5	6
					(आंकड़े करोड़ रुपये में)
1. आंध्र बैंक	90-91	91-92	5.79 *	2.20	2.20
	91-92	92-93	6.89 *	3.56	3.56
	92-93	93-94 घाटा	19.30	—	29.52 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
2. पंजाब नेशनल बैंक	91-92	92-93	124.12 *	64.34	74.04
	92-93	93-94 घाटा	3.77 *	शून्य	57.84
	93-94	94-95 घाटा	153.65 *	शून्य	2.30
3. पंजाब एंड सिंध बैंक	91-92	92-93	69.85 *	36.78	56.30
	92-93	93-94 घाटा	79.12 *	शून्य	8.60
	93-94	94-95 घाटा	14.75	शून्य	14.24

1		2	3	4	5	6
4.	ओरियन्टल	91-92	92-93	15.52 *	28.73	30.91
	बैंक आफ	92-93	93-94	32.05 *	16.58	32.04
	कामर्स	93-94	94-95	10.33 *	5.34	45.33
5.	इलाहाबाद	90-91	91-92	47.97	40.21	40.21
	बैंक	91-92	92-93 (—)	95.56 *	22.80	22.80
		92-93	93-94 (—)	108.92 *	0.25	0.25
6.	युनाइटेड	89-90	90-91	87.07	93.46	6.42
	बैंक आफ	90-91	91-92	17.83	8.28	3.56
	इंडिया	91-92	92-93 (—)	20.73	0.07	0.07
7.	युनाइटेड	90-91	91-92 (—)	2.94 *	0.16	0.16
	कामर्शियल	91-92	92-93 (—)	113.99 *	0.006	0.006
	बैंक	92-93	93-94 (—)	723.20 *	0.42	0.42
8.	सेन्ट्रल बैंक	88-89	89-90	110.87	56.64	शून्य
	आफ	89-90	90-91	28.07	16.59	शून्य
	इंडिया	90-91	91-92	90.20	15.20	शून्य
9.	देना बैंक	90-91	91-92	शून्य	शून्य	शून्य
		91-92	92-93 (—)	3.30	शून्य	शून्य
		92-93	93-94 (—)	137.09 *	शून्य	शून्य
10.	यूनियन	89-90	90-91	36.31	12.63	12.63
	बैंक आफ	91-92	92-93	89.82	60.15	60.15
	इंडिया	92-93	93-94		कर-निर्धारण लम्बित	
11.	बैंक आफ	90-91	91-92	222.16	179.37	109.36
	इंडिया	91-92	92-93	142.15 *	84.13	93.58
		92-93	93-94		कर-निर्धारण लम्बित	
12.	इंडियन बैंक	90-91	91-92	62.23	28.62	भुगतान किया गया
		91-92	92-93	5.18 (विवरणीगत आय)	क. नि. लम्बित	54.65 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		92-93	93-94 (—)	25.85 *	यथोक्त	9.69 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		93-94	94-95 (—)	38.88 *	यथोक्त	74.40 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
13.	इंडियन ओवरसीज बैंक	91-92	92-93	शून्य विवरणीगत आय)	क. नि. लंबित	49.33 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		92-93	93-94 (—)	8.04 *	यथोक्त	59.07 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		93-94	94-95 (—)	225.20 *	यथोक्त	64.24 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)

1		2	3	4	5	6
14.	सिंडीकेट बैंक	90-91	91-92 (—)	0.13	—	—
		91-92	92-93 (—)	0.10*	—	—
		92-93	93-94 (—)	2.10*	—	—
15.	कारपोरेशन बैंक	90-91	91-92	0.08	0.03	0.03
		91-92	92-93	0.16*	0.05	0.05
		92-93	93-94	0.08*	0.04	0.04
16.	केनरा बैंक	90-91	91-92	305.37	167.71	78.56
		91-92	92-92	123.18	63.74	63.74
		92-93	93-94 (—)	158.22 (विवरणीगत आय)	10.78	78.73 (संदेय 89.15)
17.	विजया बैंक	90-91	91-92 (—)	2.39	3.55	3.55
		91-92	92-93 (—)	22.06	—	—
		92-93	93-94	11.73 (विवरणीगत आय)	7.21	2.90 (संदेय 8.61)
18.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	89-90	90-91	746.80	219.50	107.46 (समायोजन के अधीन)
		90-91	91-92	1451.46	610.09	—
		91-92	92-93	कर निर्धारण लंबित		
		92-93	93-94	--यथोक्त--		
19.	बैंक आफ महाराष्ट्र	90-91	91-92	23.20	10.70	20.21 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		91-92	92-93	14.75	9.61	24.18 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		92-93	93-94 (—)	68.45	.14 (धारा 143 (1 ए) के अधीन)	28.26 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		93-94	94-95 (—)	48.23 (विवरणीगत आय)	—	14.42 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	91-92	92-93 (—)	62.68 (143) 1 (ए)	शून्य	4.32
		92-93	93-94 (—)	11.08 (143) 1 (ए)	शून्य	2.91 (स्रोत पर कर की कटौती की गई)
		93-94	94-95 दिनांक4-9-93 से पंजाब नेशनल बैंक में आमेलित			

1		2	3		4	5	6
21.	बैंक आफ बड़ौदा	90-91	91-92		154.74	54.65	25.90
		91-92	92-93	(—)	10.09 (विवरणीगत आय)	कर निर्धारण नहीं किया गया	
		92-93	93-94		107.04 (विवरणीगत आय)	कर-निर्धारण नहीं किया गया	
		93-94	94-95		101.39 (विवरणीगत आय)	कर-निर्धारण नहीं किया गया	
	एसोसिएट बैंक						
1.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	91-92	92-93		39.13	20.25	11.15
		92-93	93-94		15.54	8.40	23.96
		93-94	94-95		14.43	7.47	19.60
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	91-92	92-93		80.42	41.67	$1.67
		92-93	93-94	(—)	3.45 (विवरणीगत आय)	शून्य	शून्य
		93-94	94-95		13.46 (विवरणीगत आय)	6.97	6.97
3.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	91-92	92-93		24.07	12.46	15.95
		92-93	93-94		9.77	5.06	16.50
		93-94	94-95		15.62	8.08	17.10
4.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	91-92	92-93		138.20 (विवरणीगत आय)	74.59	90.03
		92-93	93-94		85.58 (विवरणीगत आयत)	46.99	10.12
		93-94	94-95		90.62 (विवरणीगत आय)	46.93	63.65
5.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	90-91	91-92		93.79	43.14	43.14
		91-92	92-93		97.64	50.53	50.53
		92-93	93-94		62.88	32.54	32.54
6.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	91-92	92-93		36.80	19.62	20.25
		92-93	93-94		कर-निर्धारण लंबित	लागू नहीं होता	22.83
		93-94	94-95		यथोक्त	यथोक्त	38.78
7.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	90-91	91-92		8.72	4.01	4.01
		91-92	92-93		11.72	6.06	6.06
		92-93	93-94		18.53	9.59	9.59

*नियमित कर-निर्धारण लंबित हैं। आंकड़े प्रथमदृष्टया समायोजनों के बाद विवरणीगत आय को प्रदर्शित करते हैं।

ऋण चिन्ह घाटों को प्रदर्शित करते हैं।

[हिन्दी]

कजाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता

2675. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो द्विपक्षीय व्यापार हेतु किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) यह समझौता कब से लागू होगा?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। व्यापार आर्थिक संबंध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी भारत तथा कजाकिस्तान के बीच एक करार पर नई दिल्ली में 22 फरवरी, 1992 को हस्ताक्षर किये गए।

(ख) व्यापार के लिए अभिज्ञात क्षेत्रों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं : प्रति व्यापार संयुक्त उद्यमों का संवर्धन और सीधे व्यापार संपर्क, सीधे दूरसंचार और हवाई मार्ग सेवाओं का विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, आदि।

(ग) यह करार हस्ताक्षर होने की तारीख अर्थात् 22 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ।

[अनुवाद]

बीड़ी विरोधी कानून

2676. श्री प्रकाश वी. पाटील :
श्री एस.एम. लालजान बाशा :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय बीड़ी तथा तम्बाकू मजदूर संघ द्वारा बीड़ी एवं तम्बाकू विरोधी कानून के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में रोजगार क्षमता के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, हां। बीड़ी तथा तम्बाकू कर्मकारों के कुछ संगठनों ने प्रस्तावित विधान, जिसमें तम्बाकू उत्पादनों के विज्ञापन पर रोक, कतिपय स्थानों पर उसके प्रयोग तथा बिक्री पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर तम्बाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में चेतावनी की परिकल्पना की गई है, के पुरःस्थापना के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। ऐसा महसूस किया गया है कि प्रस्तावित विधान से फिलहाल बीड़ी उद्योग में रोजगार स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

होटल आवास हेतु ठेका

2677. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने 4-1-1992 से एक वर्ष की अवधि के लिये रोम में आवास सुविधा प्रदान करने के लिये ठेका दिया था;

(ख) क्या ठेका सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके फलस्वरूप कितनी धनराशि का घाटा हुआ; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जिन दो होटलों की बोलियां नीची थीं उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं कर्मीदल के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए तीसरे सबसे कम बोली लगाने वाले "होली डे इन" को ठेका दिया गया था। इस खाते में किये गये अतिरिक्त व्यय को हानि नहीं माना जा सकता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

2678. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में ही संसाधन जुटाने के लिए भी उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था को समाप्त करना, एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत निवेशों से संबद्ध प्रतिबंधों को हटाना, विदेशी प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु नीति तथा प्रक्रिया का उदारीकरण, पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल का आयात आदि।

(2) मौजूदा कंपनियों को विदेशी इक्विटी के स्तर में वृद्धि करने की अनुमति दी जा रही है। विदेशी निवेशों के लिए नए प्रस्तावों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया को भी मुख्य धारा में लाया गया है।

(3) उपभोक्ता वस्तुगत क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को छोड़कर लाभांश संतुलन की सामान्य शर्तों को भी वापस लिया जा चुका है।

(4) विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी के विनिवेश की अनुमति स्टाक एक्सचेंजों से सम्बद्ध बाजार दरों पर दी गई है।

(5) भारत ने विदेशी निवेशों के संरक्षण के लिए बहुउद्देश्यीय गारंटी एजेंसी प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करारों पर भी बातचीत चल रही है।

(6) "फेरा" के उपबंधों को उदार बनाए जाने के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कंपनियां किसी अन्य भारतीय कंपनी के समान परिचालित हो सकता है।

(7) विदेशी कंपनियों को घरेलू बिक्री के लिए अपने व्यापार चिन्हों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(8) विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्राथमिक और गौण बाजारों में संचालित की गई प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ दर्ज हों।

(ख) और (ग). घरेलू पूंजी बाजार से संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार ने पूंजी बाजार उदारीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, "सेबी" को सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसमें व्यापारिक पद्धतियों में सुधार, "निवेशक संरक्षण के प्रकटीकरण उपायों हेतु नियम बनाने, वश्यकरण संहिता (टेक ओवर कोड), मूल्य निर्धारण सहित तरजीही आवंटन के लिए मानदंड निर्धारित करने आदि के संबंध में स्टाक बाजारों तथा मध्यस्थों के विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाले व्यापक नियमों और विनियमों को तैयार करने तथा उन्हें परिचालित करने की शक्ति प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम

2697. श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के उन जिलों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम खोलने का है जहां पर ये अब तक नहीं खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन स्थानों पर चालू वित्त वर्ष में ये शोरूम खोले जाएंगे; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के मंडलीय कार्यालय

2680. श्री हाराधन राय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जीवन बीमा निगम के राज्य-वार कितने मंडलीय कार्यालय हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों द्वारा राज्य-वार कुल कितनी राशि का कारोबार किया गया; और

(ग) इन कार्यालयों में राज्य-वार जमा राशि में से विभिन्न योजनाओं में अब तक कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख)., अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किए गये कारोबार तथा मण्डलीय कार्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	मण्डलीय कार्यालयों की संख्या	1991-92 बीमाकृत राशि	1991-92 एफ.पी.* आय	1992-93 बीमाकृत राशि	1992-93 एफ.पी.* आय	1993-94 बीमाकृत राशि	1993-94 एफ.पी.* आय
			किए गये नये कारोबार के बदले में व्यवसाय					(करोड़ रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	3093.37	87.60	3296.07	88.73	3788.40	104.30
2.	असम	4	798.52	19.33	915.98	21.92	1114.87	26.32
3.	बिहार	5	1676.79	39.35	1730.66	48.59	1918.14	59.36
4.	दिल्ली	3	1372.10	51.31	1501.62	59.76	1725.89	68.99
5.	गोवा	1	179.06	3.57	210.58	4.29	225.22	4.75
6.	गुजरात	7	2516.10	81.70	2762.77	90.56	3175.30	103.82
7.	हरियाणा	1	468.77	17.37	546.73	20.69	635.95	23.70
8.	हिमाचल प्रदेश	1	216.30	6.26	248.78	7.22	282.26	7.49
9.	जम्मू और कश्मीर	1	141.82	4.76	195.90	7.43	241.19	8.71
10	कर्नाटक	7	1987.61	43.96	2278.94	49.64	2695.09	58.60
11.	केरल	4	1458.63	27.39	1719.54	34.66	2125.37	42.93
12.	मध्य प्रदेश	7	1707.36	39.02	1849.55	43.29	2363.79	55.99
13.	महाराष्ट्र	13	4509.01	114.30	5088.61	134.00	5912.11	156.58
14.	उड़ीसा	3	705.78	12.39	784.86	14.37	951.18	18.24
15.	पंजाब	4	934.28	35.28	1064.59	40.48	1200.25	44.30
16.	राजस्थान	5	1594.44	45.60	1744.86	50.73	2090.58	62.16
17.	तमिलनाडु	8	2616.80	60.54	3170.39	73.53	3596.47	85.14
18.	उत्तर प्रदेश	11	3687.18	105.31	4217.54	126.67	4670.80	146.21
19.	पश्चिम बंगाल	6	2400.62	66.66	2628.85	78.70	3100.97	97.56
		100	32064.44	861.70	35956.82	995.26	41813.83	1175.15

* एफ पी आय का तात्पर्य है प्रथम वर्ष प्रीमियम आय।

कच्चे रेशम का आयात

2681. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से कितना-कितना कच्चा रेशम प्रतिवर्ष आयात किया गया;

(ख) रेशम का आयात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कच्चे रेशम के आयात को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय रेशम निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन करने के लिए अपेक्षित अपरिष्कृत रेशम आयात करने की सुविधा की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त आपवादित परिस्थितियों में जब घरेलू बाजार में अपरिष्कृत रेशम की अत्यधिक कमी के कारण बुनकरों विशेषकर हथकरघा क्षेत्र में कठिनाई होती है तो सीमित आयात की अनुमति दी गई है।

(ग) सरकार ने अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत अपरिष्कृत रेशम के आयात को नियंत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं :—

(1) ए एल एस के अंतर्गत अपरिष्कृत रेशम के आयात के लिए निवेश-निर्गत मानदंड संशोधित किए गए हैं।

(2) रेशमी वस्त्र उत्पादों के मामले में मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग की सुविधा को वापस ले लिया गया है

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई अपरिष्कृत रेशम की मात्रा के देश-वार/वर्ष-वार ब्यौरे

			मात्रा कि. ग्राम में
देश	1991-92	1992-93	1993-94
आस्ट्रिया	598	—	—
आस्ट्रेलिया	—	2751	—
ब्राजील	67,183	80,274	1,23,000
बल्गारिया	9,535	—	—
चाइना ताईपाई	13,00,595	9,63,353	2,56,222
चाइना पी आर पी	37,247	8,18,019	29,35,729
कोलंबिया	—	3,000	6,068
फ्रांस	110	2,024	—
जर्मन आर पी	30	220	45
हांगकांग	1,56,178	6,03,443	8,49,288
हंगरी	1,148	—	—
इंडोनेशिया	—	1,000	—
इटली	195	520	3,176
जापान	13,565	4632	63,020
कोरिया डी पी आर पी	70,625	1,03,197	2,03,989
कोरिया आर पी	1,49,770	1,09,480	2,56,241
नीदरलैंड	2,299	—	1,815
पैरागुवे	—	—	5,000
रूस	—	—	6,937
सिंगापुर	73,800	35,940	82,054
स्पेन	840	1,060	—
स्विट्जरलैंड	15,300	300	—
थाईलैंड	—	450	—
तुर्की	2,739	7,850	—
ब्रिटेन	—	—	100
सं.रा. अमेरिका	4,642	—	8,612
उज्बेकिस्तान	—	—	21,974
वियतनाम समाजवादी गणतंत्र	1,70,013	30,963	69,184
	20,76,412	27,68,476	48,92,454

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

बी आई एफ आर द्वारा रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बंद किया जाना

2682. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्य वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी आई एफ आर ने कुछ रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने वाली एजेंसियों से इन्हें पुनः चालू करने की कोई योजना प्राप्त किए बिना इन्हें बंद करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इस मामले पर बी आई एफ आर द्वारा कार्यवाही करने से पूर्व इस पर संबंधित मंत्रालय की ओर से समर्थन की कमी रही; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है 31.10.1994 की स्थिति के अनुसार उसके द्वारा परिसमापन के लिए सिफारिश किए गए 8 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (3 केन्द्रीय और 5 राज्य सरकारी) में से 2 राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17(3) के अनुसरण में परिचालन एजेंसी की नियुक्ति करना लोकहित में आवश्यक या समीचीन नहीं समझा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

2683. डा. मुमताज अंसारी :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की बैंकिंग प्रणाली में अनेक ढांचागत परिवर्तन लाने हेतु सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) ने वर्ष 1994 की अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि राजकोषीय स्थिरता में प्रगति से भारत में घरेलू ब्याज दरों के दबाव को दूर करने में मदद मिलेगी जिसने पूंजी के अंतर्प्रवाह को आकर्षित करने में भूमिका निभाई थी। कम ब्याज दरों से निजी निवेश की वसूली को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय क्षेत्र के सुधार की प्रगति को यह सुकर बनायेगी और बैंक पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने में इससे सहायता मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि बाकी ब्याज दर नियंत्रण को समाप्त किया जाए और प्राथमिकता क्षेत्र की गुंजाइश को कम किया जाए।

(ग) निरंतर आधार पर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर ढांचे को सरल बनाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं और दिनांक 18 अक्तूबर, 1994 से उसने दो लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण दरों को स्वतंत्र कर दिया है। फिर भी, सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि वह प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने की गुंजाइश को कम करे।

बाल श्रमिक

2684. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री अंकुशराव टोपे :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्री रतिलाल वर्मा :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री एन. डेनिस :
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री बारे लाल जाटव :
श्री सनत कुमार मंडल :
डा. परशुराम गंगवार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कुल कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया तथा उन्हें पुनर्वासित कराया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बाल श्रमिक प्रथा को समाप्त करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार देश में राज्यवार बाल श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). जी, हां। बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम मंत्रालय की योजनाओं में बाल श्रम बहुलता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना तथा बाल श्रम समस्या का सामना करने के लिए कार्योन्मुख कार्यक्रम शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्त-पोषण शामिल है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अंतर्गत कामकाजी बालकों के लाभार्थ कई परियोजना-आधारित कार्रवाई कार्यक्रम हैं। अब तक इस योजना के तहत 14,800 बाल श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से बालकों को कार्यों से मुक्त कराया जाता है और उन्हें विशेष स्कूलों में दाखिला दिला दिया जाता है जहां उन्हें प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे छठी कक्षा से आगे नियमित शिक्षा प्राप्त कर सकें। इन बालकों को वृत्तिकाएं, पोषणाहार और स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी दी जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्थित कालीन, कांच और ब्रासवेयर उद्योग, बिहार स्थित कालीन उद्योग, उड़ीसा स्थित बीड़ी निर्माण उद्योग, मध्य प्रदेश स्थित स्लेट और पेंसिल उद्योग, आंध्र प्रदेश स्थित स्लेट ओर टाइल उद्योग, तमिलनाडु स्थित माचिस और आतिशबाजी उद्योग शामिल हैं।

सहायता अनुदान योजना को कार्रवाई उन्मुख कार्यक्रमों को चलाने के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करने के लिए चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 2032 बाल श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। कामकाजी बालकों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक कार्यक्रम है जिसका भारत एक सहभागी सदस्य है। अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 33,138 बाल श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित कराए गए बाल श्रमिकों की राज्य-वार संख्या नहीं रखी गई है।

(ङ) वर्ष 2000 तक जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम को समाप्त करने से संबंधित योजना के अंतर्गत, जोखिमकारी व्यवसायों और कार्यों में लगे हुए 2 मिलियन बालकों को कार्य से मुक्त कराने और उन्हें विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाने, जिनमें उन्हें छठी कक्षा से आगे की नियमित शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्रदान की जाएगी, का प्रस्ताव किया गया है। इन बालकों को वृत्तिका, पोषणाहार और स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि उन बालकों के अभिभावकों के आय स्तर में वृद्धि की जाएगी, जिन्हें सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों से मुक्त कराया जा रहा है। इनमें, अन्यों के साथ-साथ, आई.सी.डी.एस., आई.आर.डी.पी., रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर रोजगार योजना आदि जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।

विवरण

1971 तथा 1981 की जनगणना के अनुसार (0–14 आयु वर्ग) बाल श्रमिकों के राज्य वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0–14 आयु वर्ग के कर्मकार
		1981 की जनगणना
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,951,312
2.	असम	***
3.	बिहार	1,101,764
4.	गुजरात	616,913
5.	हरियाणा	194,189
6.	हिमाचल प्रदेश	99,624
7.	जम्मू और कश्मीर	258,437
8.	कर्नाटक	1,131,530
9.	केरल	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	1,557,756
12.	मणिपुर	20,217
13.	मेघालय	44,916
14.	नागालैंड	16,235
15.	उड़ीसा	702,293
16.	पंजाब	216,939
17.	राजस्थान	819,605
18.	सिक्किम	8,561
19.	तमिलनाडु	975,055
20.	त्रिपुरा	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	1,434,675
22.	पश्चिम बंगाल	605,263
23.	अण्डमान और निकोबार	1,309
24.	अरुणाचल प्रदेश	17,950
25.	चण्डीगढ़	1,986
26.	दादर और नागर हवेली	3,615
27.	दिल्ली	25,717
28.	गोआ दमन और दीव	9,378
29.	लक्षद्वीप	56
30.	मिजोरम	6,314
31.	पाण्डिचेरी	3,606
		13,640,872

** असम में उस समय प्रचलित अशांत परिस्थितियों के कारण 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी।

*** मिजोरम से संबंधित 1971 की जनगणना के आंकड़े असम के अधीन शामिल हैं।

[अनुवाद]

वित्तीय राहत

2685. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेष रूप से पंजाब के पास काफी लंबे समय से वित्तीय अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय अभाव वाले राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम औद्योगिक एककों को कुछ वित्तीय राहत प्रदान की गई है; और,

(घ) यदि हां, तो लघु और मध्यम औद्योगिक एककों को प्रदत्त वित्तीय राहत का राज्य-वार तथा संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सूती धागे का निर्यात

2686. श्री नीतीश कुमार :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री गुमान मल लोढा :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री अंकुशराव टोपे :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994 के दौरान सूती धागे के निर्यात की अधिकतम सीमा का समय-समय पर निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सीमा को एक ही वर्ष में कई बार बदलने के क्या कारण हैं;

(ग) 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान अलग-अलग वर्षों में सूती धागे का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग वर्षों में इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सूती यार्न (शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों द्वारा किए गए निर्यात तथा अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत के निर्यात को छोड़कर) के निर्यात की वार्षिक अधिकतम सीमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विनियमित की जाती है। कैलेंडर वर्ष 1994 के लिए आरंभ में 100 मिलियन किग्रा. सीमा की घोषणा की गई थी, जो जुलाई, 1994 में ही समाप्त हो गई थी। अपरिष्कृत कपास के मामले में उत्पादन तथा घरेलू

मांग, सूती यार्न का उत्पादन तथा कीमतें, विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की आवश्यकता आदि जैसे सभी संबंधित घटकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् सितंबर, 1994 में 15 मिलियन किग्रा. तथा नवबंर, 1994 में 15 मिलियन किग्रा. की और सीमा बढ़ाई गई थी।

(ग) और (घ). वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान हमारे सूती यार्न के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (मिलियन कि. ग्रा.)	मूल्य (मिलियन सं.)
1991-92	125.15	9802.9
1992-93	128.33	11590.3
1993-94	178.74	16018.5

[अनुवाद]

शेयर घोटाला

2687. श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1994 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में 'सी.बी.आई. बष्ट्स ओड़ीसा रैकेट इन शेयर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों का विवरण क्या है;

(घ) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार एक उप दलाल श्री बिमन कुमार ऐक ने भुवनेश्वर में स्थापित बैंक आफ इंडिया की मुख्य शाखा के एक अधिकारी श्री रंजीत कुमार दास के मौन-सहमति से अप्रैल और जुलाई, 1994 के दौरान 11 कंपनियों के पब्लिक इश्युओं के लिए 212 आवेदनों के संबंध में वास्तविक आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए चैकों और ड्राफ्टों के प्रति विभिन्न व्यक्तियों के नामों में नए शेयर असंबंधी आवेदनों को प्रतिस्थापित किया। इस आधार पर इन कंपनियों ने शेयर प्रमाण-पत्र और वापसी-आदेश जारी किए और वापसी आदेशों को भुवनेश्वर में पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और विजया बैंक में खोले गए फर्जी खातों में भुनाया गया। श्री ऐक और श्री दास दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भुवनेश्वर शाखा में एक मामला दर्ज किया गया है।

(ङ) ऐसे मामलों की आवृत्तियों की जांच करने के लिए कानून प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा सोने का आयात

2688. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री एम. कृष्ण स्वामी :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सोने और चांदी के आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान सोने और चांदी के आयात हेतु खनिज और धातु व्यापार निगम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(कीमत करोड़ रुपए में)

वर्ष	स्वर्ण	चांदी
1991-92	उपलब्ध नहीं	13.53
1992-93	638.01	17.80
1993-94	770.98	29.44

(स्रोत डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता)

टिप्पणी : वर्ष 1991-92 में आयात किए गए सोने की कीमत के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा समाधान किया जा रहा है। उपरोक्त आंकड़ों में यात्रियों द्वारा सामान के रूप में आयात किए गए सोने/चांदी की कीमत शामिल नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्यों में एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोनों की स्थापना

2689. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री खेलन राम जांगडे :
श्री राम कृपाल यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). निजी क्षेत्र में निर्यात संसाधन जोन विकसित करने के दो प्रस्ताव अब तक अनुमोदित किए गए हैं। एक जोन की स्थापना कान्डीवली (पूर्व), बम्बई (महाराष्ट्र) में होगी, जिसमें निर्मित क्षेत्र 9,000 वर्ग मी. होगा और इसमें 16 रत्न तथा आभूषण इकाइयों को स्थान मिलने की उम्मीद है। दूसरा निजी ई पी जोन साचिन, सूरत (गुजरात) में 100 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जिसमें 50 बने-बनाए तैयार शेड और 120 औद्योगिक भूखण्ड विकसित किये जाएंगे।

किंन्तु, राज्य सरकारों अथवा निजी क्षेत्र द्वारा ई पी जोनों की स्थापना के लिए केन्द्र से प्रायोजित कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के भू-भाग में गंदी बस्तियां

2690. श्री मोहन रावले : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 और 1980 की जनगणनाओं के अनुसार ग्रेटर बम्बई में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के भू-भाग में गंदी बस्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इन गंदी बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" मांगा है;

(ग) क्या उक्त "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" महाराष्ट्र सरकार को जारी कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक जारी कर दिया जायेगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1976 में की गयी जनगणना के अनुसार, बम्बई हवाई अड्डे पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर 14,700 अनधिकृत झोपड़-पट्टियां थीं। 1980 में अतिक्रमण के बारे में कोई जनगणना नहीं की गयी थी। तथापि, झोपड़-पट्टियों की संख्या अब बढ़कर 65,000 हो गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ). प्रचालननात्मक और सुरक्षा कारणों से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

जानवरों का निर्यात

2691. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जानवरों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). आयात-निर्यात नीति 1992-97 के अनुसार जानवरों का निर्यात प्रतिबन्धित सूची में है और केवल लाइसेंस पर इसकी अनुमति दी जाती है। ऐसे निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पशु-पालन एवं डेयरी-उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर मुख्यतः प्रजनन प्रयोजन के लिए सीमित संख्या में पशुओं के निर्यात की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि आयातक देश की सरकार अन्त्य प्रयोग प्रमाणपत्र दे। सीमित निर्यात की यह अनुमति इस उद्देश्य से दी जाती है ताकि किसानों को पशुओं/भैंसों को उन्नत नस्लें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

[अनुवाद]

बिना दावे की भविष्य निधि

2692. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास "बिना दावे की भविष्य निधि" की भारी धनराशि पड़ी हुयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति-वर्ष बिना दावे की भविष्य निधि की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने बिना दावे की भविष्य निधि राशि की लाभार्थियों में वितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान अदावाकृत पड़ी भविष्य निधि की क्षेत्रवार राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अधिनियम के अधीन बनाई गई योजना के अनुसार जब भी सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावे पेश किये जाते हैं उन्हें ब्याज सहित भविष्य निधि राशि का भुगतान किया जाता है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को संबंधित प्रतिष्ठानों तथा व्यवसाय संघों को पत्र भेजने, जिसमें उनसे सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी का पता लगाने तथा उनको देय भविष्य निधि दिलवाने में सहायता करने सहित व्यापक प्रचार के निदेश जारी किए गये हैं।

विवरण

अदावाकृत भविष्य निधि की राशि

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	31.3.92 की स्थिति	31.3.93 की स्थिति	31.3.94 की स्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,88,42,261.33	8,90,81,307.16	8,83,38,003.94
2.	बिहार	12,12,613.68	12,12,613.60	12,12,613.68
3.	दिल्ली	6,76,40,294.59	6,72,94,39.59	6,68,21,808.59
4.	गुजरात	4,76,37,121.31	5,08,52,040.31	5,14,67,175.31
5.	हरियाणा	6,21,82,109.00	7,13,92,552.00	6,33,62,182.00
6.	कर्नाटक	6,34,52,717.00	6,40,61,732.00	6,31,92,512.00
7.	केरल	16,49,837.70	19,10,163.70	18,16,419.20
8.	मध्य प्रदेश	28,39,035.28	31,50,162.78	31,20,888.78
9.	महाराष्ट्र	18,88,27,919.20	18,88,27,919.20	18,88,27,919.20
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	43,09,338.68	43,73,299.18	45,48,636.18
11.	उड़ीसा	8,05,798.08	8,05,798.08	8,04,434.08
12.	पंजाब	13,26,47,626.27	14,18,12,824.37	13,98,73,329.37
13.	राजस्थान	1,35,85,514.89	1,29,51,783.89	1,24,32,148.89
14.	तमिलनाडु	28,23,675.12	28,19,085.12	28,19,085.12
15.	उत्तर प्रदेश	7,96,785.16	23,66,323.16	31,35,726.16
16.	पश्चिम बंगाल	2,50,69,263.53	2,50,69,263.53	2,71,49,178.34
	जोड़	66,43,21,910.82	72,79,81,707.75	72,49,22,059.94 (वास्तविक)

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का विलय

2693. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन एयरलाइन्स का एयर इंडिया में विलय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का विलय करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। दोनों एयरलाइनों को मिलाने के लिए विस्तृत जांच और योजना की आवश्यकता होगी जिसमें काफी समय लगेगा।

ऋण मेले

2694. श्री बापू हरि चौरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में आयोजित किये गये "ऋण मेलों" के द्वारा कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य बेरोजगार युवकों को वर्ग-वार तथा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया;

(ख) क्या सरकार को ऋण न मिलने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के लिये गांवों के स्तर पर ऋण कैम्प आयोजित किये जा सकते हैं जहां पर मंजूरी की अवस्था तक हिताधिकारियों के मामलों को निपटाया जा सकता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आंकड़ा सूचना प्रणाली से उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये ऐसे ऋण कैम्पों के अन्तर्गत संवितरित ऋण की कुल राशि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च, 1992, 1993 और 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य बेरोजगार युवाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋण की कुल राशि निम्नानुसार थीं :—

को समाप्त वर्ष	बकाया ऋणों की राशि (करोड़ रुपए में)
मार्च, 1992	10881.41
मार्च, 1993	11865.51
मार्च, 1994	12778.60

बैंक शाखाओं द्वारा ऋण आवेदन सीधे ही आवेदकों से या कुछ राज्य द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें मंजूर किया जाता है। तथापि, कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनमें बैंकों के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के आरोप होते हैं जैसे : ऋण की मंजूरी न देना, ऋण की मंजूरी देने में देरी, उधारकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करना, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अधीन ऋण के वितरण में विभिन्न प्रकार की अनियमिततताएं आदि। आंकड़ा सूचना प्रणाली से किसी खास अवधि के दौरान बैंकों के विरूद्ध शिकायतों की कुल संख्या और विस्तृत ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। तथापि, उपचारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से शिकायतों की प्रकृति और उसकी गंभीरता को ध्यान में रखकर प्राप्त सभी शिकायतों पर प्रभावशाली ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उन्हें बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया जाता है। शिकायतों को यथाशीघ्र निपटाने के लिये गंभीर प्रयास किये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अन्तर्गत अपराध

2695. श्री एन. डेनिस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा सोने का आयात विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अन्तर्गत अपराध है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के आयात को इस अधिनियम, 1973 के क्षेत्राधिकार से मुक्त करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनिवासी भारतीयों के आयातित सोने के क्रेताओं को क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). अप्रवासी भारतीयों और अन्य वापस हुए भारतीयों द्वारा सोने के आयात के लिए योजना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) के प्रावधान के तहत फरवरी, 1992 में शुरू की गई थी। जनवरी, 1993 में फेरा की धारा 13 में संशोधन के अनुसार फेरा के अन्तर्गत सोने का आयात अधिक समय तक नियमित नहीं किया गया है, किन्तु आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के तहत किया गया है।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विमानों द्वारा माल ढुलाई

2696. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का पुनर्गठन करके इन्हें पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में बदले जाने के बाद इनके माध्यम से माल ढुलाई में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इन दोनों विमान कम्पनियों में पायलटों और इंजीनियरों द्वारा अकसर हड़ताल करने अथवा "नियमानुसार कार्य" अभियान के कारण निजी विमान कम्पनियों द्वारा माल की ढुलाई में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1 मार्च से 31 अक्तूबर, 1994 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वाहित कुल कारगो में 1993 की इसी अवधि की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अन्तर्राष्ट्रीय सेक्टरों में भारत ने कारगो के लिए एक मुक्त गगन नीति अपना ली है। तथापि, एयर इंडिया द्वारा कारगो वहन की साप्ताहिक क्षमता अप्रैल, 1994 से पूर्व 90 टन की तुलना में इस समय 160 टन है।

(ख) निजी एयरलाइनों/हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा/वाहित कारगो के संबंध में सूचना एकत्रित नहीं की गयी है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इजराइल के साथ आर्थिक सहयोग

2697. श्री अन्ना जोशी :
श्री ब्रजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इजराइल के साथ आर्थिक सहयोग तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इजराइल के साथ कोई समझौता भी किया है, जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस की बाध्यता समाप्त कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समझौते को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और इजराइल के बीच सरकारी स्तर पर कृषि, विज्ञान एवं तकनॉलाजी, नागरिक उड्डयन, संस्कृति, शिक्षा आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग स्थापित किया गया है। उद्योग-स्तर पर भारतीय एवं इजराइली कम्पनियों के बीच ड्रिप सिंचाई,पुष्पोत्पादन, कृषि, उर्वरक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, रसायन, इंजीनियरी आदि के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग का अनुमोदन किया गया है।

(ग) और (घ). इजराइली उद्योग एवं व्यापार मंत्री के 19 दिसम्बर से 22 दिसम्बर, 1994 तक भारत दौरे के दौरान दोनों पक्षों द्वारा व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है। करार के तहत दोनों पक्ष एक दूसरे को अपने-अपने राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुसार आयात एवं निर्यात लाइसेंसों, सीमाशुल्क आदि के क्षेत्र में परममित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करेंगे।

(ङ) भारत और इजराइल के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी करार तभी लागू होगा जब दोनों देश एक दूसरे को करार को लागू करने के लिए अपेक्षित अपनी-अपनी आन्तरिक क्रियाविधियों के पूरा हो जाने की सूचना देंगे।

मुख्य मंत्रियों के विदेशी दौरे

2698. श्री आर. जीवरत्नम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुख्य मंत्रियों के क्या नाम हैं जिन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेश यात्राऐं की हैं तथा उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनकी विदेश यात्राओं पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाया जाना

2699. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड ने टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अर्थक्षम बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार अथवा संबद्ध मंत्रालय ने औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड की सहायता से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने में कोई रूचि नहीं दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) यह सवाल ही नहीं उठता।

व्यापारिक घरानों को ऋण

2700. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दस शीर्ष व्यापारिक घराने कौन-कौन से हैं;

(ख) इन कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय कंपनी/सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों ने संस्थान-वार कितना ऋण दिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा इनमें से प्रत्येक घराने को कितना ऋण दिया गया;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों/ऋण के पुनर्भुगतान में किन-किन व्यापारिक घरानों से चूक हुई;

(ङ) क्या इन व्यापारिक घरानों पर इस चूक के कारण कोई जुर्माना अधिक लगाया गया;

(च) यदि हां, तो उनसे वसूल की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ). प्रश्न में शीर्ष व्यापारिक घरानों को वर्गीकृत करने के लिये मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से निधि आधारित सीमाओं के आकार के अनुसार वर्गीकृत किये गये 10 बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा ली गई निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सीमायें क्रमशः 11,945.99

करोड़ रु. और 7,043.59 करोड़ रु. थीं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग संघटकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के प्रावधानों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकट नहीं किया जा सकता है।

बैंक/वित्तीय संस्थायें अपने निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी देयराशियों की वसूली के लिये कार्रवाई करते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों का त्वरित न्यायनिर्णयन और वसूली करने के उद्देश्य से सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करने वाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचना प्रकट करने के संबंध में 23 अप्रैल, 1994 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिशानिर्देश भी जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से आरबीआई के पास उन उधारखातों का ब्यौरा जमा करने का प्रावधान किया गया है जो संदिग्ध घाटे वाला और कुल 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक (निधिबद्ध और गैर-निधिबद्ध दोनों) के बकाये वाले मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सूचना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करने की व्यवस्था है जिनका वे वर्तमान और नये संघटकों द्वारा नई अतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिये प्राप्त अनुरोधों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जुटायी गई सूचना के आधार पर आरबीआई ने उन उधारखातों की सूची पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की है जिनके विरूद्ध बैंकों ने निधियों (31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार) की वसूली के लिये मुकदमा दायर किया है। पुस्तिका की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी जायेगी।

"गैट" समझौते के अन्तर्गत कृषि उत्पादों का निर्यात

2701. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कृषि तथा कृषि निर्यात पर उरूग्वे दौर की वार्ता के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उरूग्वे वार्ता तथा भारतीय कृषि तथा कृषि निर्यात के संबंध में हुए समझौते का अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). "भारतीय कृषि पर उरूग्वे दौर के प्रभाव" पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक स्टाफ सदस्य द्वारा अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओकेजनल पेपर्स, सितम्बर, 1994 के अंक (खंड 15, संख्या 3) में निहित हैं। इस अध्ययन में व्यक्त विचार लेखक के हैं और ये विचार रिजर्व बैंक के नहीं हैं।

अध्ययन में यह बात पायी गयी है कि उरूग्वे वार्ता दौर करार से घरेलू खाद्य सहायता एवं कृषिजन्य निवेश राज सहायता से जुड़े मौजूदा सरकारी उपायों पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि घरेलू खाद्य सहायता से जुड़े मुद्दे गैट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, फिर भी, भारतीय कृषि उत्पाद विशेष एवं गैर उत्पाद विशेष दोनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता उरूग्वे दौर के करार द्वारा प्रदत्त अनुमति के स्तर से कम है। इसके अलावा, इस करार से भारतीय कृषकों के परम्परागत अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। बाह्य रूप से इस अध्ययन में यह तर्क दिया गया है कि यदि उरूग्वे दौर करार लागू हो जाता है तो, भारत को अपने कई कृषि-निर्यातों को बेहतर कीमत मिलेगी (अर्थात् चावल की कीमत 5-21 प्रतिशत, चाय की 3 प्रतिशत, चीनी की 13-29 प्रतिशत तक बढ़ सकती है) और भारतीय कृषि निर्यातों की कीमतों एवं मांग की मात्रा के बारे में अनिश्चितता कम होगी। इसके अतिरिक्त, करार में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण भारतीय बाजार में आयातित कृषिजन्य उत्पाद बहुत भारी मात्रा में आ सकें।

गैट के उरूग्वे दौर का मुख्य उद्देश्य है-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बहुपक्षीय नियम आधारित एवं स्वतंत्र पर्यावरण का विकास करना। यह कार्य एक स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण बनाने की भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप है।

यह निर्णय लिया गया है कि भारत के निर्यात अवसरों का पता लगाने के उद्देश्य से उरूग्वे दौर करार से सृजित बाजार पहुंच के अवसरों पर अध्ययन किए जायें।

रेशम का उत्पादन

2702. डा. परशुराम गंगवार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94 तक उत्तर प्रदेश में रेशम का उत्पादन लगभग 20 मी. टन था। तथापि इस वर्ष इसमें थोड़ी वृद्धि होने की प्रत्याशा है। राज्य में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के उत्तर प्रदेश के प्रयासों को पूरा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी एस बी) ने राज्य के देहरादून तथा सहारनपुर जिलों में एक विश्व बैंक/स्विस विकास निगम सहायित

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकार के सहयोग से राज्य के वाराणसी तथा गाजीपुर जिलों में पूर्वांचल रेशम उत्पादन विकास परियोजना का कार्यान्वयन भी शुरू किया है। बस्ती, गोंडा, बेहराइच, उन्नाव तथा लखीमपुर खीरी में महिला रेशम परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के 90 प्रतिशत परिव्यय का वित्त पोषण महिला तथा बाल कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त सी एस बी ने रेशम उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए अनिवार्य अनुसंधान एवं विकास, विस्तार, प्रशिक्षण तथा आद्यसंरचनात्मक सहायता देने के लिए राज्य में एककों के एक नेटवर्क की स्थापना की है।

बेरोजगार युवाओं को ऋण

2703. श्री खेलन राम जांगडे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी राशि जमा कराई गई और इन बैंकों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं हेतु लघु/मंझोले उद्योगपतियों और बेरोजगार युवाओं को प्रदान किए गए योजना का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बैंकों ने चालू वर्ष के दौरान महिलाओं और युवा उद्यमियों के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन बैंकों के पास खादी ग्रामोद्योग की कई योजनाएं पिछले आठ महीने से लम्बित पड़ी हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). मार्च 1992, मार्च 1993 और मार्च 1994 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

को समाप्त वर्ष	जमाराशियां (करोड़ रुपये)
मार्च, 1992	4657.88
मार्च, 1993	5023.44
मार्च, 1994	5722.25

भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए छोटे/मझौले उद्योगपतियों और बेरोजगार युवकों को संवितरित किए गए ऋणों की राशि के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती।

अलबत्ता, भारत सरकार विभिन्न योजनाएं परिचालित कर रहा है, जिसमें उद्योगों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए बेरोजगार युवकों और अन्यों को ऋण मंजूर किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मंजूर किए गए कुल अग्रिमों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

योजना	वर्ष	मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	मंजूरियों की राशि (लाख रुपये में)
समन्वित ग्रामीण	1991-92	294810	6581.40*
विकास कार्यक्रम	1992-93	184083	5654.15*
(राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक)	1993-94	243673	7653.86*
शहरी व्यष्टि उद्यम	1991-92	13220	764.48
योजना (सरकारी	1992-93	13814	1005.48
क्षेत्र के सभी बैंक)	1993-94	17055	1516.37
शिक्षित बेरोजगार	1991-92	7229	1685.10
युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने	1992-93@	6173	1468.64
की योजना	1993-94@	5152	1308.73
प्रधान मंत्री की रोजगार योजना	1993-94@	2558	1810.47
विभेदी ब्याज दर योजना	1991-92	6756	233.48

@ आंकड़े अनन्तिम

* समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित आंकड़े संवितरित राशियों के संबंध में हैं।

(घ) से (च). ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन को दिए गए महत्व को देखते हुए और चूंकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1991 और मार्च, 1993 में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्डों और इसकी अन्य सहयोगी संस्थाओं तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में विलंब के कारण कठिनाई न हो। इसके अलावा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग क्षेत्र के लिए प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र को दिए गए सभी अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के रूप में माना जाएगा।

रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता

2704. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने रुग्ण उद्योग हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों को वर्षवार की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में रुग्ण एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस समय सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप से निपटा दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रम

2705. श्री शिव शरण वर्मा :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाल श्रम के उन्मूलन अथवा बाल श्रमिकों के प्रयोग से निर्मित माल का बहिष्कार करने के बारे में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बाल श्रम के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और अग्रणी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई इनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां। सरकार को "बाल श्रम और विश्व व्यापी प्रतिक्रिया" पर बाल श्रम कार्रवाई नैटवर्क (क्लेन) नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 12-14 नवम्बर, 1994 के बीच आयोजित सम्मेलन की जानकारी है। यह समझा जाता है कि बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

(ख) सम्मेलन में की गयी सिफारिशों, जो 16 दिसम्बर, 1994 को आयोजकों से प्राप्त हुई थीं, की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संविधान के अंतर्गत, सरकार बालकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। कारखाना अधिनियम, 1946, खान अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों में संरक्षात्मक उपबंध विहित हैं। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग (क) और (ख) में वे व्यवसाय और प्रक्रियाएं विहित हैं जिनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत गठित तकनीकी बाल श्रम सलाहकार समिति, अनुसूची में और व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को जोड़ने के प्रयोजन के लिए सरकार को सलाह देती है। इस समिति की सिफारिश पर, केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम की अनुसूची में और व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को जोड़ा है। अधिनियम की अनुसूची के भाग (क) और (ख), जिनमें और व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है, विवरण-II पर हैं। सरकार का दृष्टिकोण, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न कानूनों के बाल श्रम से संबंधित सभी प्रावधानों को तालमेल के साथ कार्यान्वित करने और शैक्षिणिक, विधायी तथा विकास संबंधी उपायों के संयोजन के माध्यम से बालकों को कार्य से हटाने के लिए कदम उठाने का है।

विवरण-I

12 से 14 नवम्बर, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क के चतुर्थ राष्ट्रीय परामर्श की सिफारिश का सार

अधिकांश सोसाइटियों में बालकों की बड़ी संख्या की अपूर्ण आवश्यकताओं की सीमा और गंभीरता के संबंध में,

इस बात को जानते हुए कि आज के बालकों की स्थिति कल के विश्व का रूप लेगी,

इस बात से आश्वस्त होते हुए कि बालकों की स्थिति में सुधार करने हेतु इस भावना से कोई भी प्रयास करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है,

इस बात का स्मरण करते हुए कि विकास संबंधी रणनीतियां, प्राथमिकताओं का निर्धारण और आवश्यक कार्रवाईयों का कार्यान्वयन कामकाजी बालकों की स्थिति में सतत् सुधार करने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन हैं,

बालकों की अपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सरकारों, अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और योजना बनाने तथा समुचित कार्रवाई कार्यान्वित करने में भारत सरकार की सहायता करने तथा इन अपूर्ण आवश्यकताओं और उपलब्ध समाधानों संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने का स्मरण करते हुए,

1. बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क अपने सदस्य सभी गैर-सरकारी संगठनों, अन्य गैर-सरकारी संगठनों और भारत सरकार से आग्रह करता है कि बालकों के लिए रणनीतियां बनाने और

कार्यान्वयन में निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखें :—

(क) विकास का उद्देश्य मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करके और मानवीय क्षमताओं का निर्माण करके संपूर्ण मानव जाति की भलाई है, इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रारंभिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करने के लिए 5–7 आयु समूह में बालकों को शामिल करके उपचारात्मक होना चाहिए कि वे श्रम बल में प्रवेश न करें।

(ख) इसके अलावा, जोखिमकारी उद्योगों में कार्यरत दस वर्ष से कम आयु के बालकों को रोजगार से दूर रखे जाने और क्रमिक रूप से बाल श्रम को समाप्त करने का प्रयास करना।

(ग) बालकों संबंधी रणनीतियां सामान्य विकास रणनीतियों को भीतर निहित होनी चाहिए और अन्य बातों के साथ-साथ इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, गरीबी उन्मूलन, व्यक्तियों विशेष रूप से योजना बनाने और कार्यान्वयन में महिलाओं को शक्तियां और भागीदारी प्रदान करना, निरंतरता और स्वास्थ्य वातावरण, और समन्वित तथा अन्तर-सैक्टर संबंधी नीतियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

2. अगले पांच वर्षों में जोखिमकारी व्यवसायों और बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क कार्यकलापों में कार्यरत दो मिलियन बालकों के शोषण को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का हाल ही में सरकार द्वारा गठन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यकलाप पर जोर दिया जाएगा। इसने गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिवर्ष कम से कम 30,000 बालकों के लिए आग्रह किया ताकि लक्ष्य हासिल किया जा सके।

3. बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क ने सभी बालकों के लिए बुनियादी शिक्षा और कम से कम 80 प्रतिशत तक प्राथमिक शिक्षा की मांग की,

(ख) शिक्षक संघों की सहायता से स्कूलों में बाल कर्मकारों को दाखिल करना,

(ग) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बालकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करना और स्थानीय प्राधिकारियों को उसकी सूचना देना,

(घ) बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क उन बाल कर्मकारों के लिए आजीवन शिक्षा की भी मांग करता है जो बाल कर्मकारों के भावी जीवन में प्रासंगिक है। यह योजना उन बाल कर्मकारों के लिए है जिन्हें कार्य बल से तत्काल नहीं निकाला जा सकता है।

4. बाल श्रम समस्या को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए, बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं वाले सभी दस क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन की मांग की और चुनौतियों का सामना करने के लिए गरीबों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अदायगी, सामाजिक सुरक्षा तंत्रों का विकास करने पर जोर दिया।

5. परामर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि बाल श्रम समाप्त करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक संगठन और पारिवारिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

6. प्रतिभागियों ने महसूस किया कि बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सरकारी प्राधिकरणों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग रणनीति को बढ़ावा दिया जाए।

7. बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क महसूस करता है कि पत्रकारों को सुग्राही बनाने और उन्हें सूचना उपलब्ध करवाए जाने के लिए बाल श्रम के मुद्दे पर देश में विभिन्न स्तरों पर पत्रकारों के ग्रुप बनाने के लिए मीडिया के साथ कार्य करना आवश्यक है।

(क) बाल अधिकार संबंधी समाचारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, इसमें मांग की गयी कि सरकार द्वारा बाल अधिकार फीचरों और समाचार पत्रों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

8. नीतिगत स्तर पर बाल श्रम कार्रवाई नेटवर्क निम्नलिखित की मांग करता है :—

(क) अनुसंधान और अनुसंधान क्षमता के विकास को बढ़ावा देना, उनका प्रयोग करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक सूचकों तथा अनुसंधान कार्य पद्धतियों का विकास, शीघ्र निर्धारण और अन्य प्रबोधन कार्य पद्धतियों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश,

(ख) गैर-सरकारी संगठनों और सरकार दोनों के साथ हिस्सेदारी का विकास, और प्रबोधन के लिए उनकी क्षमताओं का विकास,

(ग) सभी प्रकार के शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थानों (कानूनी, सामाजिक कार्य आदि) में सी आर सी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना,

(घ) बाल श्रम के क्षेत्र में सूचना प्रबंधन पद्धतियों, डाटाबेस और सांख्यिकीय संस्थानों के लिए सहायता,

(ङ) पुलिस, न्यायपालिका के सदस्यों, वकीलों आदि के लिए बाल-अधिकारों में तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण का प्रावधान,

(च) बालकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्रवाई संबंधी मुकद्मों के लिए सहायता,

(छ) जिला स्तर पर हाटलाइन/उत्पीड़न जैसे शिकायती तंत्रों की स्थापना।

विवरण-II

अनुसूची (धारा 3 देखें)

भाग-क

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबद्ध कोई व्यवसाय

(1) रेलवे द्वारा यात्रा माल अथवा डाक परिवहन,

(2) सिंडर उठाना, राख के गढ्ढे की सफाई अथवा रेल परिसरों में भवन निर्माण;

(3) रेलवे स्टेशन पर खान-पान प्रतिष्ठान में कार्य इसमें वेंडरों अथवा प्रतिष्ठानों के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म अथवा बाहर की गतिविधि शामिल है;

(4) रेलवे स्टेशन का निर्माण से संबंधित कार्य अथवा कोई अन्य कार्य जहां ऐसा कार्य रेलवे लाइन के अत्यधिक समीप अथवा रेलवे लाइनों के बीच किया जाता है;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के

(6) अस्थायी लाइसेंसों वाली दुकान आतिशबाजी की बिक्री से संबंधित कार्य;

(7) बूचड़खाने/पशुवध गृह

भाख-ख

प्रक्रियाएं

(1) बीड़ी बनाना

(2) कालीन-बुनाई

(3) सीमेन्ट विनिर्माण सीमेन्ट को बोरी में भरने सहित

(4) कपड़ा छपाई, रंगाई तथा बुनाई

(5) माचिस विनिर्माण विस्फोटक तथा आतिशबाजी

(6) अभ्रक कटाई तथा विखण्डन

(7) शालेक विनिर्माण

(8) साबुन-विनिर्माण

(9) चमड़ा शोधन

(10) ऊन की सफाई

(11) रेलवे द्वारा यात्री माल अथवा डाक परिवहन

(12) स्लेट पेंसिल विनिर्माण (पैकिंग सहित)

(13) गोमेद से उत्पाद विनिर्माण

(14) विषैली धातुओं तथा सीसा, पारा, मैंगनीज, क्रोमियम, केडेनियल, बेंजिन, कीटनाशक तथा एस्बेस्टास जैसे पदार्थ के प्रयोग से विनिर्माण प्रक्रियाएं

(15) जोखिमकारी प्रक्रियाएं जैसा कि धारा 2 (ग, ख) में परिभाषित किया गया है और खतरनाक कार्य जैसी कि कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 87 के अंतर्गत बने नियमों में अधिसूचित किया गया है।

#(16) छपाई, जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 (ट) (iv) में परिभाषित किया गया है।

#(17) काजू तथा केशूनट की छिलाई करना तथा प्रसंस्करण करना।

#(18) इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में मोल्डरिंग कार्य

निर्देश :— * भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 5 जून, 1989 की अधिसूचना संख्या (का.आ.) 404 (असा.) द्वारा

निर्देश :— # भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या का.आ. 263(असा.) द्वारा

रूई के गोदाम

2706.. **श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आग लगने के कारण निजी, सरकारी समितियों अथवा भारतीय कपास निगम के नष्ट हुए रूई के गोदामों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इससे कितनी हानि हुई?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख). सरकार द्वारा निजी तथा सरकारी कपास गोदामों के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखी जाती है। भारतीय कपास निगम के संबंध में, सी सी आई का कोई भी गोदाम आग लगने से नष्ट नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात

2707. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : **क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अधीन आयात की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं पर सीमाशुल्क में कमी की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित सभी देशों ने भारत तथा अन्य विकासशील देशों से आयात किये जाने वाले कपड़ों, प्रसंस्कृत फलों और फूलों सहित सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर 15 से 80 प्रतिशत सीमा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। सरकार ने उरूग्वे राउण्ड में टैरिफ तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार के अंतर्गत किए गए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप भारत में माल के आयातों पर सीमा शुल्क कम नहीं किया है।

(ख) यूरोपियन यूनियन भारतीय निर्यातों पर अपने सामान्य सीमा शुल्क टैरिफ (सर्वाधिक उपकृत देश टैरिफ) में कोई वृद्धि करने पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, पहली जनवरी, 95 से लागू होने वाली यूरोपीय समुदाय की नई जी.एस.पी. योजना के अंतर्गत संवेदनशील उत्पादों के रूप में सूचीबद्ध भारत से विनिर्मित उत्पादों के तरजीह प्राप्त आयात, अब शून्य टैरिफ पर समुदाय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात, जैसे कि इस समय प्रचलित है, ऐसे उत्पादों पर तरजीह प्राप्त निर्यातों की मात्राओं पर बिना किसी सीमा के तरजीह प्राप्त टैरिफ की समान दर लगाई जाएगी। उदाहरण के लिए, "बहुत संवेदनशील" श्रेणी के संबंध में, जिसमें टैक्सटाइल, वस्त्र और प्रबलित धातुएं शामिल हैं, सर्वाधिक उपकृत देश टैरिफ की 85 प्रतिशत की तरजीही शुल्क दर, "संवेदनशील" उत्पादों के संबंध में सर्वाधिक उपकृत देश टैरिफ की 70 प्रतिशत की दर और अर्ध-संवेदनशील उत्पादों के संबंध में सर्वाधिक उपकृत देश टैरिफ की 35 प्रतिशत दर लगाई जाएगी। गैर-संवेदनशील उत्पादों के संबंध में, तरजीह प्राप्त टैरिफ की दर बराबर शून्य बनी रहेगी। कटे हुए फूलों सहित कृषि उत्पादों के संबंध में, मौजूदा व्यवस्था वर्ष 1995 में भी जारी रहेगी। ये उपबंध यूरोपीय समुदाय की जी.एस.पी. योजना के अन्य विकासशील देश लाभानुभोगियों के लिए भी समान रूप से लागू है।

(ग) सरकार सीमा शुल्क की दरों को निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखती है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम

2708. श्री तारा सिंह :
श्री राज नारायण :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा इस समय निपटाये जा रहे निर्यात तथा अन्य मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य व्यापार निगम को 1 अप्रैल से 30 नवम्बर, 1994 के दौरान कितना लाभ/घाटा हुआ और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किये गये कार्य निष्पादन से इसकी क्या तुलना है;

(ग) क्या निर्यात/आयात सूची में वस्तुओं के नाम हटाये जाने के कारण हुए व्यावसायिक घाटे को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम ने अपने कारोबार में व्यापार के नये क्षेत्रों को शामिल करने के लिये कोई दीर्घावधि योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो आने वाले वर्षों में निर्यातोन्मुख उत्पादों के लिये निर्धारित किये गये संयुक्त उद्यमों तथा विदेशी सहयोग से चलने वाली योजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या राज्य व्यापार निगम व्यवसाय के जिन क्षेत्रों में प्रवेश करने का इच्छुक है वे क्षेत्र खनिज एवं धातु व्यापार निगम के व्यवसाय क्षेत्र में आते हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य व्यापार निगम जिन प्रमुख निर्यात मदों का काम देखता है उनमें शामिल हैं: निस्सारण, चावल, गेहूं, चाय, कॉफी, काजू, चीनी, रसायन तथा औषधियां, इंजीनियरी मदें, उपभोक्ता उत्पाद, निर्माण सामग्री, खेल का सामान, मसाले, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, परिधान, चमड़ा, फुटवियर चमड़े का सामान और परिधान।

आयात के क्षेत्र में यह जिन प्रमुख मदों का काम देखता है वे खाद्य तेल तथा चीनी हैं।

(ख) अप्रैल-सितम्बर 1994 की अवधि के लिए एस टी सी का कर-पूर्व लाभ 23 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह राशि 33 करोड़ रुपये थी।

(ग)से (ङ). अप्रैल-नवम्बर, 1994 की अवधि के दौरान एस टी सी का कुल कारोबार 1252 करोड़ रुपये रहा जो अप्रैल-नवम्बर 1993 के दौरान 584 करोड़ रु. के कुल कारोबार से दुगने से भी अधिक है। निगम ने अपने कारोबार में और वृद्धि करने के लिए विविध कार्य नीति भी बनायी है; यथा

- संयुक्त उद्यमों की स्थापना;
- विनिर्मित सामान के निर्यात पर विशेष जोर देना;
- विदेशों में भाण्डागारों की स्थापना; और
- विदेशी सहयोगियों आदि के साथ संपर्क।

निगम की यह योजना है कि निम्नलिखित क्षेत्र में निर्यात अभिमुख उत्पादों के लिए संयुक्त उद्यमों में प्रवेश किए जाएं : कृषि उत्पाद, उपभोक्ता मदें, इंजीनियरी सामान, लौह तथा अलौह धातु, पुष्पोत्पाद, रत्न तथा आभूषण, बागवानी, चमड़े का सामान, समुद्री उत्पाद, पत्तन अवस्थापना संबंधी सामान, संसाधित खाद्य आदि।

एस टी सी के विदेश स्थित कार्यालय इसके व्यापार प्रचालनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा एस टी सी अपने व्यापार प्रचालन को बढ़ाने के लिए विदेश स्थित इस नेटवर्क का बेहतर उपयोग करना चाहता है।

(ङ) और (च). एस टी सी तथा एम एम टी सी द्वारा अब तक जिन अनेक मदों का सरणीयन किया जाता था, उनका सरणीयन समाप्त हो जाने पर सरकार अब दोनों निगमों को उदार अर्थव्यवस्था तथा प्रतिस्पर्धा वातावरण के अनुरूप पुनर्अभिमुख करने की आवश्यकता की समीक्षा करा रही है। दोनों निगम स्वयं भी मौजूदा वातावरण के अनुरूप अपने को ढालने के लिए योजना और कार्यनीतियों का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु किए गए उपाय

2709. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर के लिए अच्छी सेवाएं प्रदान कर निर्यात वृद्धि को उच्च स्तर पर बनाए

रखने के लिये अपने विभिन्न निर्यात–आयात कदमों में उदार दृष्टिकोण अपनाने के संबंध में सरकार को भारतीय निर्यात संगठन संघ की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

लेटर आफ क्रेडिट के सम्बन्ध में घोटाला

2710. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने असम में साख–पत्र सम्बन्धी कई करोड़ के एक घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

व्यापार मेलों का आयोजन

2711. श्री मंजय लाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन के पास चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान व्यापार मेलों के आयोजन संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका स्थल–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन ने प्रस्तावित मेलों में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा भाग लिए जाने के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मेलों को आयोजित करने के लिए क्या–क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में इटपो ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 4 विभिन्न मेले तथा बंगलौर, बम्बई, मद्रास, और कलकत्ता में 4 अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेले आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त इटपो फरवरी, 1995 में यानगोन(म्यांमार) में भारतीय प्रदर्शनी भी आयोजित करेगा। इटपो ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड तथा हांगकांग जैसे देशों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/विशेषीकृत वस्तु मेलों में भाग लेने का भी निर्णय लिया है।

(ग) और (घ). जहां तक भारत में मेलों का संबंध है, 969 भारतीय कंपनियों तथा 73 विदेशी कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेने की सम्पुष्टि की है। जहां तक विदेशों में मेलों का संबंध है अब तक कुल मिलाकर 262 भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी भागीदारी की पुष्टि की जा चुकी है।

(ङ) भारत तथा विदेश में प्रदर्शनियां/मेलों का आयोजन देश के विशेष भागों के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रदर्शित वस्तुओं की निर्यात संभावना तथा घरेलू व्यापार को ध्यान में रखते हुए उद्योगों तथा प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों का संवर्धन करने के मूल उद्देश्य को पूरा करने के मापदंड के अनुसार किया जाता है। विदेश में प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने के कार्यक्रम को भारत सरकार की नीति, थ्रस्ट क्षेत्रों तथा निर्यात संवर्धन के प्रयोजनों के लिए अभिज्ञात की गई थ्रस्ट वस्तुओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष वाणिज्य मंत्रालय को प्रदर्शनी सलाहकार समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का दुर्विनियोजन

2712. श्री सुधीर सावंत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा पता लगाए गए विदेशी मुद्रा संबंधी किसी रैकेट के बारे में ब्यौरा प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). एक स्वयंसेवी संगठन से, मूल यात्रा कोटा स्कीम में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों (जिन्होंने कभी विदेश यात्रा नहीं की है) के पारपत्रों का दुरूपयोग और उसके उपयोजन के बारे में सूचना मिली थी। जांच की गई है और प्रगति पर है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले का निर्यात

2713. **श्री साइमन मरान्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कुल कितना कोयला निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार ने कोयले का निर्यात करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कोयले की मांग और आपूर्ति में कोई अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार कोयले के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). कोयले के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध दिनांक 1.4.93 से हटा लिए गए हैं।

(घ) और (ङ). न्यून ऐश कोकिंग कोयला और उच्च ग्रेड के गैर-कोकिंग कोयला के सिवाय, कोयले का स्वदेशी उत्पादन देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत द्वारा कोयले का देशवार निर्यात

मात्रा-टन

मूल्य-लाख रुपये में

देश	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बंगलादेश	76478	981.51	293433	4277.03	459240	5258.19
भूटान	248	2.31	667	7.10	2813	26.53
फ्रांस	-	-	-	-	8	0.14
नेपाल	58231	520.25	87501	717.48	82760	733.99
योग	134957	1504.08	381601	5001.62	544621	6018.85

स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता

[अनुवाद]

कीट से युक्त खेप का जब्त किया जाना

2714. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने अगस्त, 1994 में दिल्ली में हजारों कीट से युक्त खेप जब्त की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया था;

(घ) यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर उन दो जर्मन राष्ट्रिकों के असबाब की जांच करने पर कीट अभिगृहीत किये थे जो लुफथान्सा उड़ान संख्या एल.एच. 761 से 15.8.94 को भारत से प्रस्थान कर रहे थे। मामला वन्य जीव संरक्षण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया है। उन दोनों यात्रियों को, जिन्हें इस संबंध में रोका गया था, वन्य जीव संरक्षण विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के पश्चात देश से जाने की अनुमति दे दी गयी थी।

(ङ) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली सहित सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तस्करी रोधी अभियान को और तेज कर दिया गया है। तस्करी को रोकने के लिए किये गये उपायों में हवाई अड्डों के संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना, आसूचना और जांच संबंधी कार्य-कलापों को तेज करना, यात्रियों के असबाबों की जांच करना शामिल है।

असबाब एक्स-रे मशीनों तथा धातु खोजी यंत्रों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का प्रयोग किया जा रहा है। तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

विदेशी पूंजी बाजार

2715. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी बाजार से धन प्राप्त करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों के कार्य निष्पादन के बारे में अब तक किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संपत्तियों का पूर्व क्रयाधिकार

2716. श्री के.टी. वान्डायार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और मुम्बई में सम्पत्ति की खरीद के लिए पूर्व क्रयाधिकार आयकर सीमा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह निर्णय कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(घ) इस कदम से सरकार किस प्रकार से लाभान्वित होगी और इस योजना में कितना राजस्व अंतर्ग्रस्त है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली और बम्बई शहरों में अचल संपत्ति की खरीद के लिए पूर्व क्रय अधिकार उपबंधों को लागू करने हेतु प्रत्यक्ष निर्धारण की वर्तमान 10 लाख रु. की सीमा बढ़ाने के तर्क के साथ अनेक प्रत्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) चूंकि वर्तमान सीमा सांविधिक रूप से निर्धारित की गई है अतः इस सीमा को बढ़ाने के लिए कानून में एक संशोधन करना पड़ेगा। किस तारीख तक कानून का ऐसा संशोधन कर लिया जाएगा ऐसी कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

(घ) वर्तमान सीमा को बढ़ाने से उचित प्राधिकारी के कार्यभार में कमी होगी और इस बढ़ी हुई सीमा अचल संपत्ति का लेनदेन करने वाले व्यक्तियों को भी राहत मिलेगी। दिनांक 1.10.1986 से 30.9.1994 तक की अवधि में इस स्कीम के अंतर्गत खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय ऐसी खरीदों पर हुए व्यय से अधिक हो गई है।

[हिन्दी]

वेतन में अंतर होना

2717. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में अंतर के संबंध में श्री आर.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में गठित कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). समीकरण समिति की रिपोर्ट के साथ पठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एनआईटी) अवार्ड के कार्यान्वयन से उठे मुद्दों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में श्री आर.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सलाह पर सरकार द्वारा सामान्य रूप से कार्य दल की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं। मोटे रूप से इन सिफारिशों में वेतनमानों, कर्मचारी सेवा विनियमों और भर्ती तथा पदोन्नतियों में कर्मचारियों को निर्धारित करने जैसे मुद्दे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने दिनांक 20 मार्च, 1993 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों को कर्मचारियों को वेतनमानों में निर्धारित करने से संबंधित सिफारिशों के बारे में निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्रायोजक बैंकों के साथ परामर्श करके कर्मचारी सेवा विनियमों और भर्ती तथा पदोन्नति नीति का प्रारूप तैयार किया गया है और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके उन्हें अधिसूचित किया जाएगा।

[अनुवाद]

जनता कपड़ा

2718. श्री उद्धव बर्मन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1994-95 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य हेतु जनता कपड़े के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में कोई आंकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल दो राज्यों अर्थात असम और त्रिपुरा के लिए ही जनता कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान लक्ष्य वर्ष 1994-95 में त्रिपुरा के लिए 2.5 मिलियन वर्ग मीटर और असम के लिए 27.0 मिलियन वर्ग मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग). जी, हां। सितम्बर, 94 तक उपलब्धि का अनुमान लगाया गया है जो त्रिपुरा राज्य के लिए 0.146 मिलियन वर्ग मीटर और असम राज्य के लिए 12.25 मिलियन वर्ग मीटर है।

पोलीएस्टर कताई मिलें

2719. श्री उद्धव बर्मन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सार्वजनिक धन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ऋण सहायता से स्थापित की गयी अनेक पोलीएस्टर

कताई मिलों की सारी देयता सरकारी खाते में रखकर निजी हाथों में सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो असम की सरकार से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ऋणों को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु घोषित किये गये/घोषित किये जाने वाले दिशानिदेशों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है कि राज्य सरकार देयता तथा अतिरिक्त ब्याज के भार को जारी न रखें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हेरोइन की तस्करी

2720. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जकार्ता में हाल ही में एक भारतीय नागरिक को 'हेरोइन' की तस्करी के आरोप में मृत्युदंड दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तस्करी में संलिप्त भारतीय के विरूद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले से स्वापक द्रव्यों की तस्करी करने वाले एक ऐसे सुसंगठित गिरोह का पता चलता है जो भारत में अथवा भारत के माध्यम से सक्रिय है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के आधार पर एक भारतीय नागरिक तथा दो थाई नागरिकों को दिनांक 8 सितंबर, 1994 को हेरोइन की तस्करी के आरोप में मेडन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इण्डोनेशिया द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया था। अभियुक्त पर फरवरी, 1994 में इण्डोनेशिया में 12.19 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी का आरोप लगाया गया था।

(ग) और (घ). अभियुक्त के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विद्युतकरघों का आधुनिकीकरण

2721. **डा. साक्षीजी : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में विद्युतकरघों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख)और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी बैंकों को कार्यक्षम बनाना

2722. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कतिपय राज्यों में सहकारी बैंकों में कोई चुनाव नहीं कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सहकारी बैंकों में चुनाव कराने और उन्हें कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बहुत से राज्यों में पिछले दो वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों में चुनाव आयोजित नहीं किये जा सके। दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, 20 राज्य भूमि विकास बैंकों (एसएलडीबी) में से केवल 10 में शीर्ष स्तर पर चयनित बोर्ड हैं और शेष में शीर्ष स्तर पर चयनित बोर्ड नहीं हैं। इसी प्रकार, देश के 28 राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) में से, केवल 20 राज्य सहकारी बैंकों में चयनित बोर्ड हैं और 8 राज्य सहकारी बैंकों में अर्थात त्रिपुरा, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, बिहार, असम, मणिपुर और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी में चयनित बोर्ड नहीं है।

(ग) नाबार्ड राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों पर चुनाव आयोजित करने और इन बैंकों में प्रजातांत्रिक ढंग से चयनित बोर्ड गठित करने के लिये जोर देता रहा है। बोर्डों के प्रभावी कार्यकरण के लिए आवश्यक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए चुनाव करवाना बहुत आवश्यक है और इसलिए इसे राज्य सरकारों और संबंधित राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों के साथ नाबार्ड द्वारा किए जाने वाले समझौता ज्ञापन में कार्य बिन्दु के रूप में शामिल किया गया है। समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य सहकारी बैंकिंग प्रणाली की कमियों को दूर करना और प्रणाली को अर्थक्षम बनाना है।

स्वनियोजित निर्माता उद्योग

2723. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दरभंगा में एक दल भेजा है तथा मधुबनी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्वनियोजित निर्माता उद्योगों को धन उपलब्ध करायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राकृतिक रबर का निर्यात

2724. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री पाला के.एम. मैथ्यू :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबर के निर्यात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछली बार इसकी समीक्षा कब की गई थी?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). सरकार प्राकृतिक रबर की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुएं समय-समय पर प्राकृतिक रबर की बेंच मार्क कीमत में संशोधन करती रही है। पिछले [illegible] संशोधन की घोषणा वित्त मंत्रालय की लागत एवं लेखा शाखा की सिफारिश पर दिनांक 22.12.1994 को की गई थी। चूंकि पिछला संशोधन इसी वर्ष किया गया था, इसलिए इस मामले में अभी कोई निर्णय लेना संभव नहीं है।

किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली

2725. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए छोटे किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को रोकने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि केरल स्थित सहकारी बैंक (भूमि विकास बैंक सहित) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों से कृषि ऋणों के संबंध में चक्रवृद्धि ब्याज वसूल नहीं कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एयर टैक्सी सेवायें

2726. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम : क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एयर टैक्सियां चलाने हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु नये आवेदन पत्र देने के लिये कोई अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 24 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय

2727. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भोपाल स्थित उसका क्षेत्रीय कार्यालय 1972 से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम का ऊपरी खर्च

2728. श्री जार्च फर्नान्डीज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का ऊपरी खर्च अमरीका और इंग्लैंड की बीमा कंपनियों के खर्च की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) निगम के ऊपरी खर्च को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) 1993-94 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम का ऊपरी खर्च कितना हुआ और 1994-95 में अनुमानतः कितना खर्च होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या में बीमा कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटिड किंगडम में परिचालन में हैं और चूंकि लेखाकरण प्रक्रियाएं तथा कानूनी अपेक्षाएं पर्याप्त रूप से भिन्न हैं, इसलिए इन कंपनियों की तुलना में जीवन बीमा निगम के समग्र व्यय अनुपात के मामले में कोई यौक्तिक तुलना करना सम्भव नहीं होगा।

(ख) सतत बजटीय नियंत्रण और लगातार प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से, जीवन बीमा निगम कुल प्रीमियम आय में से प्रबन्धन व्यय के अनुपात को 1988-89 में 25.52 प्रतिशत से कम करके 1993-94 में 21.03 प्रतिशत तक ले आई है।

(ग) किया गया वास्तविक कुल प्रबन्धन व्यय

वर्ष	करोड़ रुपये में
1993-94	2124.85
अनुमानित कुल प्रबन्धन व्यय	
वर्ष	**करोड़ रुपये में**
1994-95	2506.23

[हिन्दी]

एयर टैक्सी आपरेटर

2729. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री राजेश कुमार :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक किन-किन एयर टैक्सी आपरेटरों ने वायु सेवाएं शुरू करने की अनुमति मांगी है;

(ख) इन आपरेटरों के विमान-बेड़ों का ब्यौरा क्या है और इनके पास किस किस्म के विमान हैं तथा उनका किन-किन क्षेत्रों में विमान सेवाएं शुरू करने का विचार है;

(ग) किन-किन एयर टैक्सी आपरेटरों को इसकी अनुमति दी गई है;

(घ) किन-किन आपरेटरों ने अपनी वायु सेवाएं शुरू कर दी हैं; और

(ङ) 1994 और 1995 के दौरान वायु सेवाएं शुरू करने वाले एयर टैक्सी आपरेटरों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). जिन हवाई टैक्सी प्रचालकों ने अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को आरंभ करने के लिए अनुमति मांगी थी उनके नाम और उनके विमान बेड़े के ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित/प्रचालित क्षेत्रों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ). वर्तमान हवाई टैक्सी प्रचालकों में से निम्नलिखित छः को देश के अंदर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है :—

(1) मैं. ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एंड ट्रैड लिंक्स लि. (2) मैं. जेट एयरवेज (प्रा.) लि. (सरकार द्वारा विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदन की शर्त के अधीन) (3) मै. दमानिया एयरवेज लि. (4) (मै. मोदी लुफ्त लि. (5) (मै. एन.ई.पी.सी. मिकान लि. (6) मै. अर्चना एयरवेज। मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स, मै. राज एअर और मै. जगसन एयरलाइन्स के अनुरोध को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें न्यूनतम प्रचालनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद अनुमति दी जाएगी। मैं इंडिया इंटरनेशनल की प्रार्थना को अभी स्वीकार नहीं किया गया है। उनके मामले में निर्णय गुण-अवगुण के आधार पर बाद में लिया जाएगा। इस दौरान, उन्हें 30+ सीट क्षमता वाले तीन विमान आयात करने की अनुमति दे दी गयी है। मोदीलुफ्त और दमानिया एयरवेज ने 1.12.1994 से प्रचालन आरंभ कर दिये हैं। ईस्ट वेस्ट तथा जैटे एयरवेज द्वारा निकट भविष्य में प्रचालन आरंभ किए जाने की आशा है।

विवरण-I

जिन हवाई टैक्सी प्रचालकों ने अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा प्रचालन की अनुमति मांगी थी उनके ब्यौरे

		विमान बेड़े में विमानों की संख्या	
1.	मैं. ईस्ट वेस्ट ट्रैवल एंड ट्रैड लिंक्स लि.	बी-737	7
		एफ-27	3
2.	मै. दमानिया एयरवेज लि.	बी-737	4
3.	मै. मोदीलुफ्त लि.	बी-737	4
4.	मै. एन.ई.पी.सी. मिकान लि.	एफ-27	4
		बोचकिंग सी 90	1
5.	मै. अर्चना एयरवेज	एल-410	3
6.	मै. जेट एयरवेज (प्रा.) लि.	बी"737	5
7.	मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	बी-737	3
8.	मै. राज एयर *	-	
9.	मै. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज प्रा. लि.	एचएस-125	1
		बेलजेट रैंजर 206 बी	2
10.	मै. जेगसन एयरलाइन्स	डीओ-228	3

* प्रचालक के पास एक एफ-27 विमान था जिसे पट्टाकार द्वारा वापस ले लिया गया है। अनुसूचित प्रचालकों के लिए उन्हें पात्र बनने के लिए, एयरलाइन्स को 3 डोर्नियर-328 विमान के आयात की अनुमति दी गयी है।

विवरण-II

निजी एयरलाइनों द्वारा प्रचालित/प्रस्तावित प्रचालन वाले स्टेशनों की सूची

मैं. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स

1. अहमदाबाद
2. औरंगाबाद
3. बंगलौर
4. बेलगाम
5. भावनगर
6. बंबई
7. कलकत्ता
8. कालीकट
9. कोचीन
10. कोयम्बतूर
11. दिल्ली
12. दियू
13. गोवा
14. हैदराबाद
15. जयपुर
16. जोधपुर
17. मद्रास
18. मदुरै
19. मंगलौर
20. नागपुर
21. पोरबंदर
22. पूना
23. राजकोट
24. त्रिवेन्द्रम
25. बडौदरा
26. विजाग
27. डिब्रूगढ़
28. गुवाहाटी
29. सिल्चर

मैं. मोदी लुफ्त

1. अहमदाबाद
2. अमृतसर
3. बंगलौर
4. बंबई
5. कलकत्ता
6. कोचीन
7. दिल्ली
8. गोवा
9. जयपुर
10. खजुराहो
11. पूना
12. उदयपुर
13. वाराणसी
14. जम्मू
15. श्रीनगर

मै. एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. बेलगाम
4. भावनगर
5. बंबई
6. कालीकट
7. कोचीन
8. अगत्ती
9. कोयम्बतूर
10. गोवा
11. हुबली
12. जामनगर
13. केशोड(जूनागढ़)
14. मद्रास
15. मदुरै
16. मंगलौर
17. पोरबंदर
18. पूना
19. त्रिचि
20. त्रिवेन्द्रम
21. बडोदरा
22. विजयवाड़ा
23. विजाग

मै. दमानिया एयरवेज

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. बंबई
4. कलकत्ता
5. कोयम्बतूर
6. दिल्ली
7. गोवा
8. इंदौर

9. मद्रास
10. डिब्रूगढ़
11. गुवाहाटी

मै. जेट एयरवेज

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. बंबई
4. कलकत्ता
5. कालीकट
6. कोचीन
7. कोयम्बतूर
8. दिल्ली
9. गोवा
10. हैदराबाद
11. मद्रास
12. मंगलौर
13. भोपाल
14. चण्डीगढ़
15. जबलपुर
16. कुल्लू
17. लुधियाना
18. रायपुर
19. शिमला
20. अगरतला
21. डिब्रूगढ़
22. गुवाहाटी

मै. अर्चना एयरवेज लि.

1. चण्डीगढ़
2. दिल्ली
3. कुल्लू
4. लुधियाना
5. शिमला

मै. राज एविएशन लि.

1. अहमदाबाद
2. अकोला
3. बंबई
4. चण्डीगढ़
5. कुल्लू
6. नागपुर

मै. इंडिया इंटरनेशनल लि.

1. आगरा
2. अमृतसर
3. भोपाल
4. चण्डीगढ़
5. देहरादून
6. दिल्ली
7. जम्मू
8. जयपुर
9. जबलपुर
10. कानपुर
11. कुल्लू
12. लखनऊ
13. लुधियाना
14. रायपुर
15. शिमला

मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स

1. आगरा
2. भोपाल
3. बागडोगरा
4. बंबई
5. बंगलौर
6. कोचीन
7. कालीकट
8. दिल्ली
9. गुवाहाटी
10. जोधपुर
11. जम्मू
12. कानपुर
13. लखनऊ
14. इंदौर
15. मद्रास
16. श्रीनगर
17. जयपुर

मै. जेगसन एयरलाइन्स

1. चण्डीगढ़
2. दिल्ली
3. देहरादून
4. कुल्लू
5. कानपुर
6. जबलपुर
7. जैसलमेर
8. शिमला

[हिन्दी]

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

2730. **श्री छेदी पासवान :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में अब तक वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल हुई; और

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे कि सभी राज्यों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण मिले और ऋण लेने वालों को अपने ऋण मंजूर कराने में कोई परेशानी न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी संस्थाओं के प्रत्येक राज्य में वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 की वार्षिक ऋण योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-I,II और III में दी गई हैं।

(ख) सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत वार्षिक ऋण योजनाएं गांव की रूपरेखा आदि पर आधारित गांव की योजनाओं के आधार पर सेवा क्षेत्र के उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद तैयार की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों का पालन करें और इसमें किसी भी कमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और ध्यान में आई कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं। इस मामले की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा राज्य सरकार द्वारा भी नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

विवरण-I

वार्षिक ऋण योजना 1991-92 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी संस्थानों का कार्य निष्पादन

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप		लघु उद्योग		सेवा	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	663.29	661.47	141.62	134.36	106.22	71.03
हिमाचल प्रदेश	49.56	38.16	18.12	17.98	36.19	39.91
जम्मू एवं कश्मीर	23.99	7.29	25.53	12.91	33.00	17.89
पंजाब	900.87	1001.74	171.80	236.59	120.12	89.20
राजस्थान	483.16	400.38	131.20	133.34	107.39	76.65
चंडीगढ़	0.36	0.30	0.17	0.14	0.69	0.70
दिल्ली	3.12	2.23	0.77	1.65	6.32	1.50
अरुणाचल प्रदेश	1.75	1.18	0.81	0.18	2.03	0.93
असम	550.25	25.33	20.82	15.83	35.99	23.31
मणिपुर	26.95	4.25	5.02	2.86	10.97	0.84
मेघालय	8.08	3.24	1.18	0.77	4.44	2.52
मिजोरम	2.98	1.20	0.77	0.39	2.29	1.20
नागालैंड	9.66	3.31	1.57	0.46	11.11	1.07
त्रिपुरा	13.13	6.07	3.39	1.16	10.91	3.39
बिहार	575.08	214.31	134.44	41.69	157.57	72.92
उड़ीसा	266.67	173.48	101.80	67.40	86.24	65.41
सिक्किम	2.93	1.37	0.69	0.39	0.91	0.56
पश्चिम बंगाल	408.14	268.85	218.76	156.80	186.32	138.39

1	2	3	4	5	6	7
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.51	0.90	0.80	0.30	2.43	1.11
मध्य प्रदेश	836.11	752.96	144.99	62.79	186.06	99.00
उत्तर प्रदेश	1585.58	1464.54	329.82	236.48	345.00	228.20
गोवा	8.92	6.91	23.69	30.80	25.07	32.67
गुजरात	878.24	766.88	146.28	176.72	113.94	85.61
महाराष्ट्र	1471.42	1247.95	230.38	262.32	267.76	271.46
दादर एवं नगर हवेली	0.75	0.49	2.00	0.73	0.54	0.29
दमन एवं दीव	0.40	0.18	0.94	1.88	0.89	0.83
आन्ध्र प्रदेश	1746.29	1361.18	276.49	190.02	232.81	151.71
कर्नाटक	741.25	571.93	196.07	238.17	248.70	170.90
केरल	695.70	611.86	159.36	173.73	411.60	342.03
तमिलनाडु	1429.34	1462.00	358.70	346.75	367.61	269.34
लक्षद्वीप	0.16	0.14	0.03	0.02	0.13	0.05
पांडिचेरी	19.79	20.25	15.67	12.72	9.36	9.12
सम्पूर्ण भारत	12915.43	11102.33	2858.60	2558.29	3127.52	2289.83

विवरण-II

वार्षिक ऋण योजना 1992-93 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी संस्थानों का कार्य निष्पादन

(रु. करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप		लघु उद्योग		सेवा	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	684.96	1028.28	142.62	213.62	92.37	82.85
हिमाचल प्रदेश	45.97	37.95	17.24	21.20	40.20	46.56
जम्मू व कश्मीर	21.91	9.58	21.06	9.51	40.56	12.75
पंजाब	1051.00	1131.60	298.00	347.94	143.00	97.97
राजस्थान	537.92	493.18	160.88	121.39	119.99	80.77
चंडीगढ़	0.44	0.43	0.16	0.40	0.52	0.59
दिल्ली	2.22	2.03	0.82	1.21	6.02	2.87
अरुणाचल प्रदेश	3.38	1.65	1.21	0.20	3.12	1.46
असम	60.61	22.66	50.15	9.23	44.09	161.65
मणिपुर	16.32	5.66	5.17	3.28	6.61	3.53
मेघालय	10.41	3.22	2.46	0.44	8.52	2.99
मिजोरम	3.47	2.41	0.36	0.38	0.60	0.93
नागालैंड	7.54	2.65	1.10	0.30	1.80	9.66
त्रिपुरा	11.31	2.90	3.31	0.56	7.59	1.57
बिहार	533.11	195.62	102.72	37.13	124.45	56.65
उड़ीसा	234.52	148.72	53.75	44.27	57.85	57.80

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	1.98	1.58	1.16	0.12	0.54	1.10
पश्चिम बंगाल	410.60	287.64	205.36	113.85	183.64	133.79
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.36	1.11	0.76	0.35	2.16	1.18
मध्य प्रदेश	871.83	102.46	121.18	67.41	146.56	104.50
उत्तर प्रदेश	1764.63	1621.07	365.67	304.53	322.70	216.39
गोवा	8.98	7.68	38.37	46.57	38.60	46.71
गुजरात	924.77	877.17	199.51	244.53	127.65	87.22
महाराष्ट्र	1282.72	1251.13	246.89	277.13	238.53	211.94
दादर व नगर हवेली	0.78	0.44	1.27	0.96	0.46	0.65
दमन व दीव	0.25	0.68	0.79	2.48	0.77	1.78
आंध्र प्रदेश	1831.33	1603.91	282.91	199.82	235.64	155.48
कर्नाटक	692.44	725.12	211.73	247.46	202.82	191.36
केरल	669.75	614.36	192.87	225.32	351.15	363.39
तमिलनाडु	1502.84	1573.32	457.40	471.90	375.40	273.39
लक्षद्वीप	0.20	0.16	0.03	0.01	0.11	0.09
पांडिचेरी	19.49	23.28	13.92	13.93	14.53	8.35
अखिल भारत	13210.44	12378.65	3110.83	2907.79	2933.60	2175.85

विवरण-III

वार्षिक ऋण योजना 1993-94 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी संस्थानों का कार्य निष्पादन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप		लघु उद्योग		सेवा	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	848.87	1064.08	230.23	315.01	99.69	122.69
हिमाचल प्रदेश	45.35	40.78	17.67	19.15	44.63	49.98
जम्मू एवं कश्मीर	32.39	16.87	21.54	19.33	47.61	26.58
पंजाब	1207.11	1325.13	356.67	364.24	136.61	113.59
राजस्थान	511.38	545.94	127.72	153.01	91.67	81.73
चंडीगढ़	0.39	0.43	0.43	0.48	0.48	0.48
दिल्ली	2.12	211.25	1.40	139.92	5.92	591.53
अरुणाचल प्रदेश	4.84	1.90	0.99	0.65	2.13	1.98
असम	47.77	1.48	21.11	0.94	35.20	3.84
मणिपुर	17.85	0.78	3.82	2.86	4.06	1.56
मेघालय	8.39	1.72	1.45	0.22	8.03	0.85
मिजोरम	2.62	1.33	1.28	0.64	2.56	1.08
नागालैंड		0.81		0.21		0.23
त्रिपुरा	9.48	5.47	2.88	1.59	6.58	4.00

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	473.72	310.69	88.99	73.18	108.01	86.80
उड़ीसा	250.16	229.72	77.03	52.68	94.00	100.76
सिक्किम	1.23	1.13	0.19	0.14	0.97	1.36
पश्चिम बंगाल	408.23	284.35	178.95	104.64	180.29	100.35
अडमान एवं निकोबार	4.33	1.31	0.83	0.37	3.51	1.47
मध्य प्रदेश	911.71	567.82	169.22	46.18	176.80	63.73
उत्तर प्रदेश	1916.82	1465.07	430.10	350.23	332.71	238.95
गोवा	8.37	13.01	36.22	46.96	40.21	63.60
गुजरात	1026.03	994.94	239.28	327.93	136.81	108.16
महाराष्ट्र	1422.67	1620.48	295.57	288.47	217.44	239.07
दादर एवं नगर हवेली	0.77	0.51	1.10	0.41	0.45	1.19
दमन एवं दीव	0.34	0.27	0.90	1.18	0.70	1.89
आन्ध्र प्रदेश	2127.70	1914.84	289.88	285.96	197.35	199.10
कर्नाटक	845.30	888.47	294.57	330.41	271.11	254.19
केरल	708.39	769.98	237.31	286.88	416.71	496.02
तमिलनाडु	1107.60	1870.92	428.94	709.80	246.85	307.20
लक्षद्वीप	0.25	0.21	0.03	0.02	0.11	0.11
पांडिचेरी	25.34	25.62	20.83	20.27	7.42	6.52
अखिल भारत	13973.75	13755.78	3563.55	3869.15	2904.08	3226.06

[अनुवाद]

श्रमिक स्तर

2731. श्री अंकुशराव टोपे :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रमिक स्तर को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के कन्वेशनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ जोड़ने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख). जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाये गये तथा भारत द्वारा अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्वीकार करना तथा उनका प्रवर्तन भारत सरकार की नीति है, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ श्रम मानकों के किसी संयोजन का भारत सरकार विरोध करती है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्यमियों को ऋण

2732. श्री रतिलाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किये गये और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को कितनी ऋणराशि दी गयी और ऐसे उद्यमियों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि वह उद्यमी-वार मंजूरियों और संवितरणों की तारीखें नहीं रखता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान आई डी बी

आई द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत मंजूर की गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	आवेदनों की संख्या	राशि (करोड़ रु.)
1991-92	956	4404.2
1992-93	1130	5844.5
1993-94	1132	7937.4

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई एफ सी आई) ने सूचित किया है कि वह भारत में निगमित कंपनियों और सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, न कि व्यक्तिगत उद्यमियों को। तथापि, पिछले तीन वर्ष के दौरान आई एफ सी आई द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :—

	परियोजनाओं की संख्या	राशि (करोड़ रु.)
1991-92	557	2445.8
1992-93	425	2372.7
1993-94	416	3915.3

निर्यात के लिए प्रोत्साहन

2733. **श्री पंकज चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ बनाने के लिए धन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारतीय कंपनियों द्वारा की गई सप्लाई के लिए रुपयों में प्राप्त भुगतान को भी अप्रत्यक्ष निर्यात माना जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य सरकारों को उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं की स्थापना तथा उनकी देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित "निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क" स्कीम तैयार की गयी है। आज तक राज्य सरकारों (पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात) के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सभी राज्यों में निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में राज्य सरकारों को वित्त उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग). देश के भीतर की गई आपूर्तियों के लिए भारतीय रुपए में भारतीय कंपनियों से प्राप्त भुगतान को अप्रत्यक्ष निर्यात अर्थात् "माने गए निर्यात" माना जाएगा बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियों मौजूदा एक्जिम नीति के अध्याय के अंतर्गत शामिल हो। तथापि, देश से बाहर किए गए वास्तविक निर्यातों को निर्यात ही माना जाएगा, भले ही भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त हुआ हो।

[अनुवाद]

अम्बारी-फालाकासा/पंगा हवाई अड्डे को फिर से खोला जाना

2734. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलपाईगुड़ी में स्थित अम्बारी-फालाकासा/पंगा हवाई अड्डे को फिर से खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). अम्बारी और पंगा की हवाई पट्टियां निजी पार्टियों की हैं। विमान कंपनियों की तरफ से मांग के अभाव में जलपाईगुड़ी में नए हवाई अड्डे का विकास करने की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता

2735. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता मांगने के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य से कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकार/रद्द किए गए; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा वर्ष 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश से प्राप्त, मंजूर और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1993-94
प्राप्त आवेदन	72
मंजूर आवेदन	52
अस्वीकृत/वापस लिये गये/ बंद कर दिये गये आवेदन	07

(ग) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान उसने अपनी प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश में उद्योगों को 616.2 करोड़ रु. मंजूर किए और 283.5 करोड़ रु. संवितरित किये हैं।

[अनुवाद]

ब्रिटेन के साथ समझौता

2736. डा. वसंत पवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी हाल ही में ब्रिटिश यात्रा के दौरान कुछ समझौते किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों के लिए निःशुल्क बस सेवा

2737. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल से घरेलू टर्मिनल और घरेलू टर्मिनल से अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल तक यात्रियों को लाने-ले जाने हेतु निःशुल्क बस सेवा दिल्ली और मुबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सुविधा मद्रास और त्रिवेन्द्रम विमानपत्तनों पर उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मद्रास और त्रिवेन्द्रम विमानपत्तनों पर निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मद्रास, कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय टर्मिनल एक दूसरे के काफी निकट हैं और पैदल दूरी पर स्थित हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय टर्मिनलों के मध्य यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन हवाई अड्डों पर कोचों की व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

प्लाईवुड और इसके उत्पादों का निर्यात

2738. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश-वार कुल कितनी मात्रा में प्लाईवुड और इसके उत्पादों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इन मदों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मदों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्लाईवुड तथा उसके उत्पादों का निर्यात मूल्य रूप में नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

1991-92	1992-93	1993-94
1743	2681	15909

प्रमुख देशवार निर्यात आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

(लाख रु. में)

	देश	वर्ष		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	बहरीन	28.00	213.00	1012.00
2.	बंगलादेश	1.00	127.00	120.00
3.	बैल्जियम	16.00	83.00	54.00
4.	जापान	314.00	82.00	531.00
5.	जोर्डन	-	10.00	125.00
6.	दक्षिण कोरिया	-	-	395.00
7.	हांगकांग	289.00	242.00	884.00
8.	नेपाल	5.00	185.00	74.00
9.	ओमान	-	28.00	49.00
10.	सऊदी अरब	187.00	226.00	2023.00
11.	सिंगापुर	1.00	80.00	1785.00
12.	श्रीलंका	170.00	118.00	870.00
13.	संयुक्त अरब अमीरात	130.00	389.00	4985.00
14.	यू.के.	13.00	154.00	36.00
15.	यू.एस.ए	86.00	277.00	157.00

स्रोतः रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता

(ख) और (ग). वर्ष 1994-95 के लिए रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता द्वारा निर्धारित निर्यात लक्ष्य 12;200 लाख रु. है।

(घ) सरकार तथा रसायन और सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निरंतर आधार पर प्लाईवुड तथा उसके उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें सरकार के आर्थिक उदारीकरण उपायों के अतिरिक्त विदेश में बिक्री सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना, प्रचार अभियान, विदेश में मेलों तथा प्रदर्शनियों में सहभागिता, बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा निपटाए गए दावे

2739. **श्री गुरुदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री राम नाईक :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त हुए और निपटाए गए झूठे दावों के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इनमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न होने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी (ओ.आई.सी.) द्वारा केवल उचित छानबीन के बाद ही दावों को निपटाया जाता है। यदि किन्हीं जाली मामलों के बारे में कंपनी को पता चलता है तो पर्याप्त जांच पड़ताल के बाद दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है। ओ.आई.सी. ने सूचित किया है कि 3.79 लाख रुपये राशि के 5 चिकित्सीय दावों और व्यक्तिगत दुर्घटना दावों में काल्पनिक व्यक्तियों का बीमा करवाया गया था और मिथ्या/ जाली चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर दावे प्रस्तुत किए गए। ये मामले जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं।

इंडियन कामर्शियल पायलट एसोसिएशन के दिशा-निर्देश

2740. **श्री शिवाजी पटनायक :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
डा. असीम बाला :
श्री अनिल बसु :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में इंडिया कामर्शियल पायलट एसोसिएशन द्वारा विमान परिचारक (फ्लाइट अटेंडेंटों) और इससे संबंधित कुछ अन्य मामलों के संबंध में जारी किए गये निर्देशों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विमानचालक की शिकायत पर इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने अपने सदस्य को एक विमान परिचारिका के विरूद्ध निदेश दिया है। इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधक वर्ग ने विमानचालक और विमान परिचारिका दोनों से स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला इंडियन कॉमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन तथा वायु निगम कर्मचारी संघ के साथ भी उठाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक को अमरीकी बांड बाजार में घाटा

2741. **श्री तरित वरण तोपदार :**
श्री सुधीर गिरि :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को अमरीकी बांड बाजार में काफी धन का घाटा हुआ है जैसाकि राजनीति और कारोबार के 22 सितम्बर, 1994 के ऑब्जर्वर में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जिम्मेवारी नियत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने यह संकेत किया है कि प्रश्न का विषय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में प्रतिभूति कीमतों में परिवर्तन से संबंधित है और इन परिवर्तनों को विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के निवेश पर हुई हानि के रूप में लिया जाना ठीक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार पर इसके अर्जन पूरी तरह सकारात्मक रहे हैं।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

बाल श्रम

2742. श्री सी.के. कुप्पुस्वामी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिवकाशी तथा तमिलनाडु में उत्तरी राज्य के उद्योगों में तथा तिरूप्पुर हाजरी एककों में बाल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों के पुनर्वास तथा इन एककों और उद्योगों में बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने से संबंधित कानून और दिशानिर्देशों के पालन हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक कर्मियों के साथ द्विपक्षी समझौता

2743. श्री हरिन पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंक संगठन ने बैंक कर्मचारी संघों के साथ छठा द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बैंक अधिकारियों के संगठनों के साथ वेतन संशोधन के बारे में समझौता करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). भारतीय बैंक संघ ने बैंकिंग उद्योग की प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ वेतन संशोधन के बारे में 8.10.94 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अवार्ड स्टाफ के कर्मचारियों के वेतन बिल में समग्र रूप से 10.5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है जिसमें बैंकिंग उद्योग को प्रति वर्ष 388 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। भारतीय बैंक संघ ने आगे सूचित किया है कि उक्त समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ कार्यपद्धति पर बातचीत की जा रही है। इसी प्रकार की बातचीत अधिकारियों की एसोसिशनों के साथ चल रही है।

सिंडिकेट बैंक में पदोन्नतियों में आरक्षण

2744. श्री राम विलास पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सिंडिकेट बैंक में अधिकारी संवर्ग में पदोन्नतियों में आरक्षण को वैध ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ द्वारा भारत संघ और अन्यों के विरूद्ध दर्ज 847/87 की रिट याचिका में दिनांक 10 अगस्त, 1990 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सिंडिकेट बैंक अपने अधिकारी संवर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है।

पहली नवम्बर, 1990 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आशय के निर्देश के पश्चात कि समूह "क" के पदों के अंतर्गत चयन पर आधारित पद्धति में पदोन्नतियों में आरक्षण नहीं है, सिंडिकेट बैंक ने अपने अधिकारी संवर्गों के अंतर्गत पदोन्नतियों में आरक्षण देना बंद कर दिया। बैंक के अधिकारियों ने और अन्यों के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में सिंडिकेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ द्वारा दर्ज याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा 19 जुलाई, 1993 को खारिज कर दी गई थी।

चाय उद्योग के श्रमिक

2745. डा. जयन्त रंगपी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चाय उद्योगों में राज्यवार कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) असम में चाय श्रमिकों के विचार हेतु लम्बित मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

2746. श्री राज नारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किन-किन देशों से ऋण लिया और प्रत्येक देश से लिए गये ऋण का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी ब्याज दी गई;

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं कि इस धनराशि का उपयोग लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु उद्यमियों को दिए जा रहे दीर्घकालीन ऋणों के लिए किया जाए;

(ग) क्या ऋण देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु कोई दिशा निर्देश दिए गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या महिला उद्यमियों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया गया है ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर और उन्हें ब्याज दरों में रियायत देकर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान अन्य देशों से ली गई सहायता का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है :—

देश का नाम	ऋण की राशि	वर्ष	ब्याज (वार्षिक %)
जापान	20 बीलियन जापानी येन (जे वाई)	1992-93	8%
जापान	30 बीलियन जापानी येन (जे वाई)	1993-94	8%
जर्मनी	35 मीलियन ड्यूश मार्क (डी एम)	1993-94	13.5%

(ख) से (घ). सिडबी का मुख्य कार्य उन प्राथमिक उधारकर्ताओं को पुनर्वित्त देना है जिन्होंने लघु उद्यमियों को सहायता प्रदान की है। संवितरण से पहले अंतिम उपयोग सुनिश्चित करते हुए सिडबी द्वारा प्राथमिक उधारकर्ताओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के बाद ही ओवरसीज इकोनामिक कोआपरेशन फण्ड (ओ ई सी एफ) जापान द्वारा प्रदान ऋणों को प्रतिपूर्ति के रूप में संवितरित किया जाता है। के एफ डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदान किये गये ऋण सिडबी द्वारा लघु उद्योग एककों को प्रदान की गई प्रत्यक्ष सहायता योजना के माध्यम से दिये जाते हैं। सिडबी द्वारा आवश्यक संवितरण किये जाने के पश्चात और इस प्रकार संवितरण से पूर्व निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करके ही के एफ डब्ल्यू उसे ऋण संवितरित करता है।

(ङ) और (च). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपने प्रारंभ से ही एकल खिड़की योजना परिचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को अचल परिसंपत्तियों के लिए संमिश्र सहायता और कार्यशील पूंजी एक ही एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है। इस समय, एकल खिड़की योजना के अंतर्गत, कुल 50 लाख रुपए तक के परियोजना परिव्यय वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एकक शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्र के नए एककों के अलावा, वर्तमान में अच्छी हालत वाले एककों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन और संभावित रूप से अर्थक्षम रुग्ण एककों के पुनरूद्धार के लिए भी सहायता प्रदान की जा सकती है।

औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित रोजगार पैदा करने के लिए महिला विकास निधि (एम वी एन) के अंतर्गत सिडबी स्वैच्छिक एजेंसियों के लिये योजनाएं भी चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में या ऋण के रूप में दी जाती है। सिडबी एक विशेष योजना है, अर्थात् महिला उद्यमी योजना (डब्ल्यू ई एस) के अंतर्गत भी सहायता प्रदान करता है जिसके अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दीर्घावधि ऋण

2747. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का 16 कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य मध्य प्रदेश राज्य में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (सीसीबी) का उल्लेख कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को दीर्घावधि ऋण देने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

मंत्रियों के दौरे

2748. **श्री सुब्रत मुखर्जी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्री महोदय देश और विदेश में कितने-कितने दिनों तक दौरे पर रहे;

(ख) इन दौरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे पर कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के बजट से वहन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धनराशि का स्रोत क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्र राज्य मंत्री ने लगभग 126 दिनों (जिनमें यात्रा की अवधि भी शामिल है) में आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, प. बंगाल, राजस्थान,

मणिपुर तथा जम्मू व कश्मीर का दौरा किया। मंत्री ने वर्ष के दौरान केवल एक बार विदेश का दौरा किया। इस दौरे में 15 दिनों (जिसमें यात्रा की अवधि शामिल है) ब्रिटेन, यू.एस.ए., मैक्सिको और ब्राजील शामिल है।

घरेलू दौरों तथा विदेशी दौरों का अनुमानित खर्च क्रमशः 2.88 लाख रु. तथा 2.61 लाख रु. था।

(घ) जी, हां।

(ङ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

2749. **श्री हरिन पाठक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पेंशन योजना हेतु प्रमुख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के संघ के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते और पेंशन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक कर्मचारियों ने इस योजना में बहुत कम रूचि ली है और इस योजना का विकल्प चुनने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक बहुत कम प्रतिशत लोगों ने इस योजना के पक्ष में अपना विकल्प चुना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ बैंक कर्मचारी संघों द्वारा इस योजना से पीछे हटने को देखते हुए निकट भविष्य में इस योजना के शुरू होने की थोड़ी ही सम्भावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस मामले में आगे और पहल करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते में उन बैंक कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि की तुलना में द्वितीय सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के रूप में पेंशन के विकल्प का प्रावधान है, जो 1.11.1993 की स्थिति के अनुसार सेवा में थे। पहली नवम्बर, 1993 को या उसके बाद बैंक सेवा में आने वाले कर्मचारी केवल पेंशन के पात्र होंगे और अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं होगी। उन भूतपूर्व कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ दिया गया है जो पहली जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए हों बशर्ते कि, वे कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर प्राप्त हुए ब्याज सहित उस राशि को और आहरण की तारीख से धन वापसी की तारीख तक उस पर 6 प्रतिशत के और ब्याज सहित उसे वापस कर दें। उन्हें पहली नवम्बर, 1993 से पेंशन देय होगी।

बैंक कर्मचारियों की पेंशन योजना सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू पेंशन योजना के अनुसार है।

(ग) से (ज). करार/समझौते के अनुसार बैंकों के वर्तमान कर्मचारियों से विकल्प मांगा था और 30.11.94 तक इसका प्रयोग किया जाना था। बैंकों ने अभी तक इस सूचना का समेकन पूरा नहीं किया है। इसलिए कर्मचारियों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

सहकारी मिलों के लिए दीर्घावधि ऋण

2750. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में स्थापित की जाने वाली सहकारी-मिलों के लिए दीर्घावधि ऋणों की मंजूरी हेतु केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों का कोई अनुरोध भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में स्थापित की जाने वाली सहकारी कपड़ा मिलों के लिए दीर्घावधि ऋणों की मंजूरी हेतु गुजरात राज्य से वित्तीय संस्थाओं को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). ये सवाल ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्लेग के कारण आर्थिक हानि

2751. **श्री काशीराम राणा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री शंकरसिंह वाघेला :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्लेग के फैलने के कारण हुई आर्थिक/वित्तीय हानि का कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विचार अत्यधिक प्रभावित राज्यों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). प्लेग का प्रकोप महाराष्ट्र में बीड जिले तथा गुजरात में सूरत शहर के कुछ इलाकों तक ही सीमित था। मृतकों की कुल संख्या 54 थी। इस घटना के कारण हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नुकसानों का आंकलन करना कुछ मुश्किल-सा है। तथापि, कई कारणों से प्लेग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्लेग रोकने एवं इसके उपचार हेतु सरकार ने सहायता प्रदान की, जिसमें सर्वेक्षण हेतु तकनीकी सहायता, नमूनों का विश्लेषण, दवाइयों की आपूर्ति, कीटनाशी दवाइयां, आयुर्वैदिक औषधियां, धूमन पैकेट तथा प्रचार सामग्री भी शामिल है।

एहतियाती एवं निरोधी उपायों की गहन चौकसी तथा कार्यान्वयन का काम जारी है। सामग्रियों की खरीद एवं आपूर्ति तथा अन्य उपायों पर आए खर्च को पूरा करने हेतु 20 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भण्डार

2752. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी बाण्डों में कुल कितने विदेशी मुद्रा भण्डार का निवेश किया गया और इन बाण्डों पर कितने प्रतिशत ब्याज मिला तथा डालर में मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वास्तविक रूप से कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया जा रहा है;

(ख) भारत में मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक वास्तव में कितना शुद्ध लाभ अर्जित कर रहे हैं; और

(ग) विदेशी पूंजी निवेश के सभी पहलुओं के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक को कितनी हानि उठानी पड़ रही है और इस स्थिति से किस प्रकार से निपटा जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार का निवेश निश्चित परिसम्पत्तियों में शुरू किया जाता है। केन्द्रीय बैंक सामान्यतया उनके विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार की संघटक अथवा परिपक्व संरचना को प्रकट नहीं करते हैं।

(ख) भारतीय पूंजीगत बाजार में निवेश करते हुए विदेशी निवेशकों द्वारा अर्जित निवल लाभ का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह निवेशों की समय व्यवस्था, निवेश की परिपक्वता, बाजार का कार्यनिष्पादन और वे विशेष व्यावसायिक भागीदारी, जिनमें वे निवेश करते हैं, जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(ग) रिजर्व बैंक को अपने निवेशों पर समग्र रूप में सकारात्मक आय हुई है।

ब्रिटेन स्थित भारतीय बैंकों में धोखाधड़ी

2753. श्री विजय कुमार यादव :
श्री लोकनाथ चौधरी :
श्रीमती गिरिजा देवी :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं में भारी पैमाने पर धोखाधड़ी की जांच के लिए ब्रिटेन से एक विशेष जांच दल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल बैंकों तथा की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कैंट पुलिस स्क्वाड ने यू.के. के सीरियस फ्राड आफिस के निदेशानुसार एलाईटीएपी समूह की उन कंपनियों की जांच कर रही है, जिन्होंने भारतीय बैंकों को धोखा दिया था। इनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं। यू.के. से कार्य कर रहे एलाईटीएपी समूह द्वारा यह धोखाधड़ी की गई और 1992 में यह परि-समापन में चली गई। दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, भारतीय बैंकों के प्रति समूह की देनदारी अनुमानतः 15.80 मिलियन अमरीकी डालर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि उसके द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर चर्चा करने के लिए सीरियस फ्राड आफिस के अधिकारी सितम्बर, 1994 में भारत आए थे।

[हिन्दी]

शहरी सहकारी बैंक

2754. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरादे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व संबंधी वर्तमान कानून में हाल ही में कोई संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संशोधन को पूरे देश में कार्यान्वित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम

2755. श्री राम निहोर राय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धारक कंपनी के रूप में साधारण बीमा निगम के वर्तमान दर्जे में परिवर्तन कर इसे पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर एक विशिष्ट निगम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर्मचारी समूह का अधिकतम उपयोग करने और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहनवर्द्धक सेवा शर्तें लागू करने का भी प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (घ). कार्य संस्कृति में सुधार करने तथा उत्पादकता का इष्टतम उपयोग करने के प्रयास के रूप में, भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया था कि इस बात को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया जा चुका है कि साधारण बीमा उद्योग में कार्यालयों को भलीभांति व्यवस्थित रूप में रखा जाए; स्टाफ के विभिन्न सदस्यों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को उचित प्रकार से नियत किया जाए, कार्य की भलीभांति तथा समय पर प्रगति को मॉनीटर करने के लिए कार्यालय प्रमुखों और उनकी टीम के बीच नियमित बैठक सम्पादित की जाए। भारतीय साधारण बीमा निगम ने यह भी सूचित किया है कि उसने उत्पादकता में सुधार करने तथा सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने का सुनिश्चिय करने के लिए सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी सहित पूरे पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण के कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है। इस समय केवल विकास सम्बन्धी स्टाफ पर ही लाभ/वृद्धि संयोजन प्रोत्साहन योजना लागू होती है।

[हिन्दी]

यूको बैंक, कलकत्ता में बंद हुई महिला

2756. श्री आनन्द अहिरवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के यूको बैंक के एक लाकर में एक महिला तीन दिनों तक बंद रही;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) सम्बंधित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

(घ) यूको बैंक ने अपनी शाखाओं से कहा है कि वे ईमानदारी से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और शाखा बन्द करते समय लाकर वोल्ट और शाखा के परिसर की अच्छी तरह जांच कर लें।

कृषकों को ऋण

2757. श्री राम कृपाल यादव :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री छेदी पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषको को समय पर पर्याप्त कृषि संबंधी ऋण उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कृषकों को लघु अवधि, मध्य अवधि तथा दीर्घावधि ऋणों के प्रावधान से संबंधित नीति में कोई संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में किसानों को अवधि-वार कितने ऋण प्रदान किये गये;

(ङ) क्या कृषकों को कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना में से ऋण प्रदान करने हेतु भी कोई प्रावधान किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). किसानों को कृषि संबंधी ऋण यथासमय उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरलीकृत और उदारीकृत ऋणदात्री प्रक्रिया और सरलीकृत आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। बैंकों को कहा गया है कि 25000/- रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25000/- रुपये से अधिक वाले आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए। कमजोर वर्गों से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए शाखा प्रबंधकों को विवेकाधिकार दिया गया है कि वे उच्चतर प्राधिकारियों को भेजे बिना प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करें। कृषि ऋणों के लिए निर्धारित मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड उदार हैं और 10,000/- रुपए तक के फसल ऋण और 10,000/- रुपए तक के मीयादी ऋण के लिए कोई मार्जिन लेने की अपेक्षा बैंकों से नहीं की जाती है। 10,000/- रुपए से अधिक ऋण राशि के लिए, ऋण के उद्देश्य और प्रमात्रा के आधार पर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत का

मार्जिन लिया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 26.10.1994 के परिपत्र द्वारा बैंकों को ऋण संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए ऋण सुविधा की लचीली शृंखला देने के लिए कहा है। अच्छे ट्रेक रिकार्ड रखने वाले किसानों को यह सुविधा दी जाएगी।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च). सरकार द्वारा तैयार की गई कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण के बोझ से राहत प्रदान करना था। 10,000/- रु. प्रति व्यक्ति की अधिकतम सीमा तक ऋण माफ करने का वह एक बारगी किया गया उपाय था। योजना के अन्तर्गत, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

इलायची का उत्पादन

2758. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतान्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मुद्दे को निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक सुरक्षा तंत्र

2759. **श्री परसराम भारद्वाज :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इंकानामिक रिसर्च ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काउन्सिल ने अपनी रिपोर्ट में जवाहर रोजगार योजना, समेकित बाल विकास सेवा और ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में कुछ खामियां बतायी हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सितम्बर, 1993 में "एफिसेन्सी एण्ड फण्ड ऑफ सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स" नाम से किए गए एनसीएईआर अध्ययन में मूल रूप से इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त रूप से निधि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करना और बेहतर समन्वय तथा दोहराव से बचने के जरिए उद्देश्य और सेवाओं की तरफ उन्मुख होते हुए अपनी कार्यक्षमता में सुधार करना है।

(ग) जी, हां।

(घ) एनसीएईआर रिपोर्ट में विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कुछ कमियों और उन पर की गई कार्रवाई का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है :—

जवाहर रोजगार योजना

(1) कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब; (2) अपर्याप्त प्रशिक्षण; (3) अपर्याप्त मॉनीटरिंग।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (जिसमें डी डब्ल्यू सी आर ए और ट्राइसेम शामिल हैं)

(1) लाभभोगियों का गलत चयन; (2) शिथिल अनुवर्ती कार्रवाई; (3) गतिविधियों का गलत चयन; (4) सम्पर्कों का अभाव; (5) डी डब्ल्यू सी आर ए के मामले में वित्त तथा सम्पर्कों की समस्या; (6) आई आर डी पी के साथ ट्राइसेम के एकीकरण का अभाव।

आई.सी.डी.एस.

(1) रिक्तियों की अधिक संख्या (2) प्रशिक्षण का आधारभूत ढांचा कमजोर (3) खराब मॉनीटरिंग तथा समीक्षा (4) पोषण संघटक हेतु अल्प निधि की व्यवस्था।

ग्रामीण जल आपूर्ति तथा सफाई

(1) जल स्रोतों का असन्तोषजनक नियोजन तथा अनुरक्षण;

(2) सामुदायिक अनुरक्षण का अभाव।

एन सी ए ई आर अध्ययन की स्थाई सामाजिक क्षेत्र समन्वय समिति द्वारा विस्तार से जांच की गई, जिसमें सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिव शामिल थे। इस समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्शों के आधार पर, योजना आयोग ने सामाजिक सुरक्षा नेट कार्यक्रम की दक्षता में सुधार करने के लिए सम्बद्ध मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 1994 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए, इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में मूल रूप से संरचनात्मक/प्रक्रियात्मक परिवर्तनों, सामुदायिक सहभागिता, निर्णय लेने की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था और सूक्ष्म स्तर पर नियोजन के जरिए अन्तर्सम्बन्धित सेवाओं की समन्वित

सुपुर्दगी का सुनिश्चित करना है ताकि देश के सर्वाधिक अलाभ प्राप्त क्षेत्रों और सर्वाधिक वंचित समूहों तक इसके विस्तार को सुनिश्चित किया जा सके।

11.14 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.00 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी.सी. चाको **पीठासीन हुए**)

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्र लेंगे।

2.½ म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का वर्ष 1993-94 का और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबन्स कौर) : महोदय, श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1)(एक) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6921/94]

(2)(एक) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 24 की उपधारा (4) और धारा 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6922/94]

(4)(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6923/94]

ओवरसीज कंस्ट्रक्सन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटं स्वामी) : महोदय, श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) ओवरसीज कंस्ट्रक्सन काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ओवरसीज कंस्ट्रक्सन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6924/94]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 आदि के अंतर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, श्री पी.ए. संगमा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्मचारी परिवार पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 1994, जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (तीसरा संशोधन) योजना, 1994, जो 10 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1994, जो 23 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 718 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.6925/94]

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (चौथा संशोधन) विनियम, 1994, जो 3 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-12/13 !1/94-पी एण्ड डी में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6926/94]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री जगदीश टाइटलर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 446(अ), जो 10 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) दूसरा संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 554(अ), जो 29 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज राजसहायता) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 596(अ), जो 27 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (छुट्टी यात्रा रियायत) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 601(अ), जो 1 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) पहला संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 606(अ), जो 4 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (विभागाध्यक्ष की भर्ती) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 691(अ), जो 16 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी गृह ऋण संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6927/94]

(2) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 1993 जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईडब्ल्यूआई/एफआईएन/पीजी/4325/92 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1993 जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईडब्ल्यूआई/एफआईएन/पीएफ/4325/92 में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6928/94]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6929/94]

(5)(एक) कांडला गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6930/94]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-संदर्शिका

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-संदर्शिका की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6931/94]

परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण तथा संशोधन नियम, 1994, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, श्री कमल नाथ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात (संशोधन) नियम, 1994, जो 22 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2882 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6932/94]

(2)(एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6933/94]

(3)(एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6934/94]

मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत का वर्ष 1993-94 और सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6935/94]

(2)(एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6936/94]

(3)(एक) सिंथेटिक्स एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक्स एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6937/94]

(4)(एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6938/94]

(5)(एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6939/94]

(6)(एक) आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6940/94]

(7)(एक) शिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6941/94]

(8)(एक) हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद् मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6942/94]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6943/94]

(ख) (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6944/94]

(ग) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) की मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6945/94]

(11)(एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6946/94]

नारियल विकास बोर्ड (हिन्दी अधिकारी) भर्ती विनियम, 1993, कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1990-91, 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड (हिन्दी

अधिकारी) भर्ती विनियम, 1993, जो 1ख नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 706(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय मे रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6947/94]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[गंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6948/94]

(ख) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[गंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6949/94]

(ग) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[गंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6950/94]

(घ) (एक) कर्नाटक डेयरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक डेयरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6951/94]

(5) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6952/94]

आधारभूत ढांचे के विकास हेतु विशेषज्ञों के पैनल के बारे में 21 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2206 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती कृष्णा शाही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आधारभूत ढांचे के विकास हेतु विशेषज्ञों का पैनल के बारे में श्री शरत पटनायक संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 2206 के 21 दिसम्बर, 1994 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6953/94]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम.अरुणाचलम) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6954/94]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन (तीसरा संशोधन) विनियम, 1994, जो 5 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 434(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) यात्री सामान (संशोधन) नियम, 1994, जो 15 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 514(अ), जो 15 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 136/90-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 647(अ) जो 18 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी मृत व्यक्ति की उपयोग की गई वास्तविक निजी और घरेलू वस्तुओं को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उदग्रहणीय समस्त और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 669(अ), जो 2 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 45/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 733(अ), जो 30 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा तथा जो स्वर्ण को जब उसका भारत में किसी उपयुक्त यात्री द्वारा आयात किया जाये, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उस पर उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 734(अ), जो 30 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चांदी को, जब उसका भारत में किसी उपयुक्त यात्री द्वारा आयात किया जाये, उस पर उदग्रहणीय आधारभूत और समस्त अतिरिक्त सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) यात्रियों द्वारा स्वर्ण और चांदी का आयात (प्रवेश पत्र का प्ररूप) विनियम, 1994, जो 30 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 735(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 823(अ), जो 21 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 182/92 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 841(अ), जो 6 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 फरवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या 13/81-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 842(अ), जो 6 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 133/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 843(अ), जो 6 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 844(अ), जो 6 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 मार्च, 1993 की अधिसूचना संख्या 95/93-सी.शु. और 96/93-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 856(अ), जो 8 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एक्वाकल्चर एककों द्वारा आयात की शर्तों के संबंध में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं तथा शुल्क मुक्त आयात के लिए अनुमत मदों की सूची का विस्तार किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 518(अ) तथा सा.का.नि. 519(अ), जो 20 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पैट्रोलियम परिचालन के संबंध में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उन पर उदग्रहणीय समस्त और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 562(अ), जो 6 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 32/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 565(अ) तथा सा.का.नि. 566(अ), जो 8 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बैंकाक करार के अनुसमर्थन के कारण

विनिर्दिष्ट वस्तुओं, जब उनका बंगलादेश, कोरिया गणराज्य या श्रीलंका से भारत में आयात किया जाये; पर मूल सीमा-शुल्क की अधिमानी दर में कमी करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 590(अ), जो 20 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 599(अ), जो 28 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 26/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 661(अ), जो 31 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 98/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 672(अ), जो 5 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 अक्तूबर, 1990 की अधिसूचना संख्या 252/90-सी.शु. के कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 682(अ), जो 7 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस शर्त के अध्यधीन कि आयातकर्ता परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा जारी वैध पंजीकरण तथा सदस्यता प्रमाणपत्र पेश करता है, 17 मदों पर 45 प्रतिशत की सीमा-शुल्क की रियायती दर को बहाल किया जाये तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 725(अ), जो 27 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो प्लेग के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधि के निर्माण के लिए औषधि तथा "बल्क औषध" को सीमा-शुल्क और प्रतिशुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 739(अ), जो 6 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 148/94-सी.शु. के कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 753(अ), जो 18 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अनगढ़े एल्युमीनियम और एल्युमीनियम अपशिष्ट और स्क्रैप पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 761(अ), जो 20 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 सितम्बर, 1988 की अधिसूचना संख्या 243/88-सी.शु. का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा.का.नि. 762(अ), जो 20 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 88/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) सा.का.नि. 786(अ), जो 28 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 170/94-सी.शु. का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नतीस) सा.का.नि. 770(अ), जो 21 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 1988 की अधिसूचना संख्या 3-सी.शु./88 में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 771(अ), जो 21 अक्तूबर 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा रत्न और आभूषण एककों संबंधी अधिसूचनायें जिसमें पांच विभिन्न निर्यात प्रसंस्करण जोनों को एक में समेकित कर दिया गया है और अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी; देखिए संख्या एल.टी. 6955/94]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का.आ. 3239, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया", को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 3240, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत

"भारतीय विद्या भवन, मुम्बई", को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3241, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज पर्सोनल बेनीवोलेंट फण्ड, मद्रास", को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 3242, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "भारत सेवा संस्था, लखनऊ", को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 3243, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडिया इंटरनेशनल रूरल कल्चर सेन्टर, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 3244, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 3245, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "श्री गड़गे महराज मिशन, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3246, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, महाराष्ट्र, मुम्बई", को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3247, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मेडिकल रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 3248, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "डिफेन्स सिविलियन्स वेलफेयर (टी.बी.; कैंसर एण्ड लेपरोसी) फंड, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3249, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि गांधीग्राम ट्रस्ट, मदुरै" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3250, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3251, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फोरम ऑफ फाईनेंनशियल राईट्स, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3252, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "रॉयल कामनवेल्थ सोसायटी फार द ब्लाइंड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 3253, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर

अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "मुस्लिम एजुकेशन सोसायटी (रजि.), कालीकट" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 3254, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि इंडियन पीपुल्स नेचुरल केलेमिटीज ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3255, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "जयप्रकाश इंस्टिट्यूट आफ सोशल चेन्ज, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 3256, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "डिवाइन लाईट ट्रस्ट फार दि ब्लाइंड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 3257, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "सेन्टर फार एडवांस्ड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 3258, जो 19 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "कैथेड्रल रिलीफ़ सर्विसेज, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर-निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1994, जो 12 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 589(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1994, जो 30 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 626(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 1994, जो 1 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 786(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) आय-कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1994, जो 23 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 837(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 1994, जो 29 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 856(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6956/94]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1994, जो 11 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 619(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 30 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1994, जो 22 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699(अ) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1994, जो 7 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 830(अ), जो 30 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता (अपील), बंगलौर में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता (अपील) हैदराबाद द्वारा प्रयोक्तव्य, शक्तियां निहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 831(अ), जो 30 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क समाहर्ता (अपील), गाजियाबाद में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता (अपील) इलाहाबाद द्वारा प्रयोक्तव्य, शक्तियां निहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1994 जो 13 सितम्बर, 1994 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 783(अ), जो 27 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तांबे की बिना कटी शीटों या सर्कलों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कतिपय शर्तों के अध्यधीन, 2000/- रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से परिकलित राशि से अधिक राशि पर छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 784(अ), जो 27 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 806(अ), जो 14 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 7/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 814(अ), जो 15 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 819(अ), जो 21 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 नवम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 297/79-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 607(अ), जो 5 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 26/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 609(अ), जो 8 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अगस्त, 1994 की अधिसूचना संख्या 82/92-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 620(अ), जो 11 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी उत्पादनकर्ता के उत्पादन कारखाने या किसी अन्य कारखाने में प्रयोग में आने वाले विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती सामान को, 'मोडवैट' योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप उस पर लगने वाले सम्पूर्ण आधारभूत एवं अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 640(अ), जो 16 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 75/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 660(अ), जो 31 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 16/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 662(अ), जो 31 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं का विखण्डन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 663(अ), जो 31 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 673(अ), जो 5 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 15/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 683(अ), जो 7 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 26/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 698(अ), जो 21 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मैसर्स न्यूक्लीयर फ्यूल कम्प्लेक्स, हैदराबाद द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों तथा सामग्री को उस पर लगने वाले सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 726(अ), जो 28 सितम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 15/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6957/94]

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सिक्का निर्माण (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919-1994) की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निर्मित किये जाने वाले 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल तथा 5 प्रतिशत जिंक वाले 100 रुपये के तथा 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले 5 रुपये तथा 50 रुपये के स्मारक सिक्कों का मानक वजन तथा गुणों के अंतर की सीमा नियम, 1994, जो 28 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 547(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष-1994) के लिये निर्मित 82 प्रतिशत लोहा तथा 18 प्रतिशत क्रोमियम वाले एक रुपये के फैरीटिक स्टेनलैस स्टील के स्मारक सिक्कों का मानक वजन तथा गुणों के अंतर की सीमा नियम, 1994 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 789(अ) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) सिक्का निर्माण "जीवन हेतु जल" के छापे वाले 75 प्रतिशत तांबे तथा 25 प्रतिशत निकल वाले ग्यारह कोणीय दो रुपये के सिक्कों का मानक वजन तथा गुणों के अंतर की सीमा नियम, 1994, जो 11 अक्तूबर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 747(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6958/94]

(5) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1994 जो 5 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 543 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6959/94]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6960/94]

(ख) (एक) यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6961/94]

(ग) (एक) ओरियेंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओरियेंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6962/94]

(घ) (एक) न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यू इंडिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6963/94]

(7) (एक) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6964/94]

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6965/94]

(दो) आन्ध्र बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6966/94]

(तीन) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6967/94]

(चार) केनरा बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6968/94]

(पांच) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6969/94]

(छह) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6970/94]

(सात) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6971/94]

(आठ) सिन्डीकेट बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6972/94]

(नौ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6973/94]

(दस) यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6974/94]

(ग्यारह) विजय बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6975/94]

(बारह) इंडियन बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6976/94]

(तेरह) यूको बैंक के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों पर प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6977/94]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6978/94]

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल) (1994 का संख्यांक 12) के 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष (लोक ऋण संबंधी) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6979/94]

राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : महोदय, श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6980/94]

(2)(एक) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6981/94]

(3)(एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6982/94]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6983/94]

(2) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6984/94]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेन्सी कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6985/94]

राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6986/94]

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6987/94]

(5) (एक) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर संस्थान, मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6988/94]

(6) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6989/94]

(7) (एक) कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6990/94]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : महोदय, कुमारी शैलजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) योजना बोर्ड की बैठकों के लिए विनियम, जो 23 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 197 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) विद्या परिषद की बैठकों के लिए विनियम, जो 23 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 198 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) सा.का.नि. 431, जो 20 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मुख्यालय में दीक्षांत समारोह के विनियम के खंड 13 और 14 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) सा.का.नि. 136, जो 12 मार्च 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा "प्रबंध बोर्ड की बैठकों के लिए विनियम" के खंड 1, 6, 12 और नये खंड 13 में कतिपय संशोधन/परिवर्धन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6991/94]

(2) विश्व भारती शांति निकेतन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6992/94]

(3) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6993/94]

(4)(एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6994/94]

(6) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं (खंड 1 और 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6995/94]

(8) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6996/94]

(10) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6997/94]

(12)(एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6998/94]

(14)(एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6999/94]

(15) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7000/94]

(17)(एक) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7001/94]

2.02 म.प.

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

सभापति महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष को कर्नाटक के हसन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एच.डी. देवगौड़ा का 22 दिसंबर, 1994 का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र उनकी अपनी लिखावट में है। अध्यक्ष ने 22 दिसंबर, 1994 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

2.02 ½ म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

डा. विश्वनाथ कैनिथी (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के

दौरान हुई 36वीं और 37वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.03 म.प.

लोक लेखा समिति

(एक) अस्सीवां और इक्यासीवां प्रतिवेदन

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) संघ उत्पाद शुल्क-न्यायालय के स्थगन आदेशों को निष्प्रभावी न किया जाने से संबंधित 53वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी अस्सीवां प्रतिवेदन।

(2) विदेशी सहायता का उपयोग से संबंधित 47वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की-गई-कार्यवाही संबंधी इक्यासीवां प्रतिवेदन।

2.03 ½ म.प.

(दो) विवरण

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अंशदान की अनियमित छूट संबंधी 33वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(2) संग्रहरण लागत संबंधी 38वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-माचिस फैक्ट्रियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्पों की कपटपूर्ण अधिप्राप्ति संबंधी 179वां प्रतिवेदन (8वीं लोक सभा)।

(4) निधियों का अवरुद्ध होना—निष्क्रिय उपस्कर संबंधी 14वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

(5) सीमा शुल्क प्राप्ति—स्थगन आदेश के रद्द होने पर सीमाशुल्क की वसूली में अनियमित प्रक्रिया का अपनाया जाना—किश्तों में शुल्क के भुगतान से ब्याज के कारण हुई राजस्व की हानि संबंधी 33वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)।

2.04 म.प.

याचिका समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.04 ¼ म.प.

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

2.04 ½ म.प.

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : महोदय, मैं नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय—वार्षिक प्रतिवेदन (1992-93) के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति, और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (दसवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठक के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.05 ½ म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवदेन और कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी. भोंसले (सतारा) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता विषय पर शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

2.06 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

'मलेरिया महामारी' के बारे में दिनांक 19.12.1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर में शुद्धि करने के बारे में

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिलवेरा) : महोदय, मैं 'मलेरिया महामारी' के बारे में डा. असीम बाला और श्री उद्धव बर्मन के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के 19 दिसम्बर, 1994 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

मैं 19 दिसम्बर, 1994 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस तारांकित प्रश्न के उत्तर में विवरण में टाइप की गलती से कुछ आंकड़े गलत टाइप हो गए हैं। सही आंकड़ों की स्थिति देने वाला एक संशोधित अनुबंध संलग्न है।

असुविधा के लिए खेद है।

संशोधित अनुबंध

वर्ष 1991, 92, 93 और 1994 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान मलेरिया के रोगियों ओर मौतों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991		1992		1993		1994 (अप्रैल. से सितम्बर.)		अक्तूबर 1994	
	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	82292	2	80305	—	86253	7	38812	1	70940	5
अरुणाचल प्रदेश	18729	—	19113	—	29666	—	6820	—	8949	—
आसाम	107572	36	95168	20	115000	48	49885	45	66386	58
बिहार	60332	14	65362	21	75845	2	19685	—	23358	—
गोवा	2879	—	848	—	2227	—	2282	—	2784	—
गुजरात	404735	37	348532	28	304109	25	120320	—	144426	2
हरियाणा	34011	—	16662	1	22032	—	20542	—	21205	—
हिमाचल प्रदेश	20115	—	7251	—	4062	—	2170	—	2228	—
जम्मू व कश्मीर	4656	—	1244	—	784	—	1705	—	1733	—
कर्नाटक	44565	8	81057	—	196466	—	64559	—	128527	—
केरल	6758	—	8255	2	9277	—	3881	—	4231	—
मध्य प्रदेश	282681	28	269930	39	283600	9	95478	7	137195	14
महाराष्ट्र	145310	15	203812	2	327137	2	144155	—	172431	—
मणिपुर	640	—	2219	9	1896	9	2062	2	2297	45
मेघालय	11155	—	11283	—	10045	0	4893	4	6224	34
मिजोरम	12486	12	20592	36	13166	33	8530	33	10769	37
नागालैंड	2422	—	2218	—	1584	—	1508	—	2098	253
उड़ीसा	414550	233	362390	155	323576	118	135591	—	204531	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	36649	—	23225	—	15944	—	11849	—	12174	—
सिक्किम	46	—	208	1	68	—	19	—	23	—
राजस्थान	77573	10	121499	55	107797	19	35824	—	163599	385
तमिलनाडु	144762	4	151633	2	148057	—	61040	—	68178	—
त्रिपुरा	6992	7	9350	6	9206	19	6062	11	8066	16
उत्तर प्रदेश	112118	—	135242	—	114017	—	29244	—	41266	—
पश्चिम बंगाल	40452	13	49130	43	46138	37	30066	24	32626	35
पांडिचेरी	563	—	1034	—	914	—	278	—	462	—
अन्डमान निकोबार	1765	2	1688	1	1598	1	703	—	1052	—
चन्डीगढ़	26046	—	17559	—	9735	—	6017	—	6599	—
दादरा व नगर हवेली	5101	—	6676	—	8121	—	2394	—	2930	—
दमन और दीव	1010	—	1199	—	1565	—	818	—	988	—
दिल्ली	8491	—	112241	1	4919	—	5901	—	6063	—
लक्षद्वीप	4	—	1	—	5	—	—		—	—

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 3.30 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.07 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 3.30 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.31 म.प.

लोक सभा 3.31 म.प. पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी अभी तक पहुंचे नहीं हैं और न ही सरकार ने इस्तीफा दिया है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समाचारपत्रों से प्राप्त जानकारी के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। हमने पढ़ा है कि तीन मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने आपको सूचित किया है, क्या उनके द्वारा कोई वक्तव्य दिए जाने की संभावना है क्योंकि उनमें यहां उपस्थित होकर वक्तव्य देने का साहस होना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, समाचारपत्रों में एक और रिपोर्ट भी है कि श्री अर्जुन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बात सही है या नहीं।... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको इसकी सूचना दी गई है। सरकार का आपके प्रति इतना दायित्व तो है। उन्हें आपको तथा इस सभा को भी सूचित करना चाहिए। जब तक प्रधान मंत्री इस सभा को सही ढंग से जानकारी नहीं दे देते, हम इस प्रकार कार्य करना जारी नहीं रखेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए हम लोगों को खबर मिली है कि अर्जुन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, यह सही है या गलत है। इतना तो सदन को मालुम होना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, सरकार हम लोगों को तो विश्वास में नहीं लेती है, कम से कम आप तो बताइए।... (व्यवधान)*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्य वाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मुझे त्यागपत्र या किसी ऐसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : प्रधान मंत्री को शिष्टाचार के नाते भी आना चाहिए जिस तरह नए मंत्रियों, जब उन्हें शपथ दिलाई जाती है, का सदन से परिचय कराया जाता है, उसी प्रकार क्या इसके बारे में सभा को औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया जाना चाहिए था?

अध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में यह ज्ञात नहीं है कि इस संबंध में सही स्थिति क्या है। लेकिन मान लिया जाए कि कुछ विषय ऐसे मंत्रियों के नाम में है, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्हें पीठासीन अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था कि कोई अन्य मंत्री इसे देखेगा या कुछ अन्य व्यवस्था की जाएगी। परन्तु मैं इस संदर्भ के आश्वस्त नहीं हूं।

दूसरे, रूस के प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री यहां आ चुके हैं और प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। वे यहां केवल एक दिन के लिए हैं और इसलिए वे कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर और अन्य मंत्री सभी चीजें करने जा रहे हैं।

ठीक है, जहां तक सभा के कार्य का संबंध है।...

श्री राम नाईक : महोदय, यहां "वंदे मातरम" होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, मुकुल वासनिक जी, अब एक सुझाव है कि हम अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, आप निर्णय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

---

* कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

3.35 म. प.

विदाई संबंधी उल्लेख

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूरे सत्र के दौरान अनेक अभूतपूर्व स्थितियां सभा के समक्ष आई थीं... (व्यवधान)... लेकिन सरकार की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से हम आपके प्रति पूरी कृतज्ञता, व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत दृढ़तापूर्वक सभा के समक्ष समय-समय पर आयी जटिलताओं को सुलझाते रहने की कोशिश की है। हम चाहेंगे कि हमारी कृतज्ञता सराहना और आपके प्रति धन्यवाद को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते है चाहे इस सदन में इस सत्र में या पूर्व के सत्र में कैसी भी स्थितियां पैदा हुई हों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अपने सदन की कार्यवाही सबसे अधिक सुचारू रूप से चले इसके लिए बहुत मूल्यवान योगदान किया।...(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं अपना और अपने दल की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने समय-समय पर इस सदन के सामने जब भी कोई विकट स्थिति आई तो आपने इस सदन की मर्यादा भी कायम रहे और सदन का काम भी सुचारू रूप से चले, इतना ही नहीं बल्कि सदन उन मुद्दों पर भी चर्चा कर सके जो देश की आम जनता की जिन्दगी से संबंधित है उस पर भी इसमें चर्चा हो, उस पर भी आपने पूरी तरह से इसमें कोशिश की कि सदन उन चीजों को भी ले। हम अपनी तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि जो भी इस सदन में हुआ उससे सरकार भी आगे के लिए नसीहत लेगी। ...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपके सचिवालय का भी हम आभार व्यक्त करते हैं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का अंतिम दिन है और जिस तरह से यह सत्र कई मायनो से ऐतिहासिक रहा और हमने जनता के कई सवालों को बहुत सफलतापूर्वक दूर तक ले जाने का काम किया।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर ये उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, इनकी उत्तेजना का रहस्य क्या है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस सत्र में और लगातार पिछले सभी सत्रों में अनुशासन के साथ समन्वय करके इस सदन को चलाने का प्रयास किया।... (व्यवधान) मैं ट्रेजरी बैंचिज के मित्रों की तकलीफ को भी समझता हूं, यानी जिन कामों में वे लगे थे उस काम में हमने बहुत दूर तक रूकावट डालने का काम किया है। देश की संपत्ति और सम्पदा को

बचाने में एक फासला हमने तय किया है।...**(व्यवधान)** आप अगर छेड़ते नहीं तो मैं यह बात नहीं कहता, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्रवोक हैं। हमने जो फर्ज अदा किया है वह देश की खातिर किया है।. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में भ्रष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण मसला रहा है उसमें एक दूरी तक हमने फासला तय किया है।

इस सत्र की यह उपलब्धि है। हम सब लोग यहां पर एक मकसद के लिए लड़ते रहे हैं और इस सारी कार्यवाही में आपको कोई बात खली हो, जिससे आपको तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह (जालौर) : महोदय, पूरा सदन आपके प्रति कृतज्ञ है कि आपने सदन की कार्यवाही को बहुत ही साहसी ढंग से चलाया। यदि आपने इस सदन की पिछले एक सप्ताह की कार्यवाही को दूरदर्शन पर प्रसारित करने की अनुमति दी होती तो, देश के लोग महसूस कर सकते कि विपक्ष द्वारा किस प्रकार संसद का उपहास किया गया था। महोदय, जनहित के मामलों को उठाना एक बात है...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : बूटा सिंह जी, यदि यह उपहास है तो, आप और प्रधान मंत्री जी जिम्मेदार हैं...**(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को वह सभी कुछ स्मरण कराना नहीं चाहता जो पिछले एक सप्ताह से इस सदन में होता रहा है, परन्तु कोई भी कार्रवाही नहीं चलने दी गई थी और जो आपूर्तिजनक नारे लगाए गए थे वे अभूतपूर्व थे।

महोदय, इस सभा के कार्यवाही संचालन में नारे लगाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए लज्जित हूं कि दूसरी तरफ से वरिष्ठ नेतागण नारे लगाते रहे हैं। मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप देख लें कि क्या वे नारे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिए गए हैं, और उन्हें इस देश के संसदीय लोकतंत्र के हित में कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे माननीय प्रधान मंत्री को भी इससे दृढ़तापूर्वक निबटने के लिए बधाई देना चाहिए कि उन्होंने विपक्ष को मात दे दी है और वह इस देश में सबसे अच्छे लोकतांत्रिक प्रधान मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आपकी भूमिका की सराहना करता हूं और आपके प्रति अन्य सदस्यों द्वार व्यक्त सराहना को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। सभी उत्तेजनाओं के बावजूद आप शांत रहे और आपने भारतीय संसद की उच्च परंपराओं को बनाए रखा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अपनी तेलगू देशम पार्टी की ओर से हम आपको इस सदन की कार्यवाही को कठिनाई के दौर में भी समन्वित ढंग से चलाने के लिए धन्यवाद देते हैं। चुनावों के कारण, सदन के कार्यवाही दिवसों की संख्या को पहले ही कम कर दिया गया है। हमें उम्मीदें थीं कि यह सभा महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे नीतिगत मामलों से जुड़े मुद्दे जैसे कृषि संबंधी नीति और आर्थिक नीति आदि पर चर्चा सम्पन्न कर सकेगी।

महोदय, संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने इस सभा में कार्यवाहियों का उल्लेख किया है। यदि सत्ता पक्ष और सरकार ने वही निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता दिखाई होती जो उन्होंने अंतिम समय में लिया है, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती और कार्यवाही कहीं बेहतर ढंग से होती तथा कार्य बहुत ही सही ढंग से आगे बढ़ता जो कि लोक सभा सत्र की तैयार की गई समय-सारिणी के अनुसार होता।

महोदय, हम कम से कम उम्मीद करते हैं कि यद्यपि विलम्ब से सही-न होने से तो देर से होना अधिक अच्छा है। और अंततः सरकार समझ चुकी है कि सभी व्यक्तियों को*....हमेशा के लिए और यही कारण है कि उन्होंने निर्णय लिया है।

महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब कभी हमने आपसे अनुमति मांगी। आपने हमें अपना मत व्यक्त करने का मौका दिया।

श्री आर. अन्बाराजू (मद्रास मध्य) : महोदय, इस असंसदीय शब्द पर... हमें घोर आपत्ति है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्या मैं अपने अन्य सहकर्मियों के साथ आपके द्वारा इस सदन की गरिमा और शालीनता को बनाए रखने में सभी प्रकार का सहयोग देने के लिए अपना आभार प्रकट कर सकता हूं? हमने भी इस सभा की कार्यवाही को सामान्य रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आपको पूर्णतया हर संभव सहयोग देने का प्रयास किया है।

महोदय, सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं। जैसाकि हमें सिखाया गया है कि विपक्ष की भी एक प्रभावशाली भूमिका होती है तो स्वाभाविक है कि हम विपक्ष के लोग यह महसूस करते हैं कि सरकार को सक्रिय और सचेत बनाए रखने, सरकार की आलोचना करने और सरकार द्वारा की गई गलतियों का उपचार ढूंढने का भी हमारा उत्तरदायित्व है। इस संसदीय कर्तव्य को पूरा करने में हमने सभा की शालीनता और गरिमा को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया है। आपकी अपनी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी है और अधिक नहीं तो कम से कम दोनों की समान जिम्मेदारी है। महोदय, बड़े खेद के साथ, मैं यह कहूंगा कि सत्ता पक्ष ने अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाई है। इस अवस्था में भी हमने

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया है।

अपने विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी निभाई है। अपने देश के लोगों को यह संदेश भेजने की जिम्मेदारी निभाई है कि ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर नीति और प्रशासनिक कारणों की दृष्टि से सभा मे चर्चा और निर्णय की आवश्यकता होती है।

अंतिम चरण में, मैं सत्ता पक्ष से भी अपील करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और अतीत से सबक सीखें और बाहरी लोगों से सम्पर्क बनाए रखें तथा जहां तक उनके द्वारा की गई गलतियों का प्रश्न है, उस बारे में अपने आचरण को स्पष्ट करें।

मेरे विचार से उन मुख्य मुद्दों पर जिनसे आप भलीभांति अवगत हैं, हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जानी चाहिए और की-गई-कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर भी जिस पर अभी तक पूरी तरह विचार शुरू नहीं किया गया है। यह पता लगाने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिए कि चीनी घोटाले की जांच भी रचनात्मक ढंग से की जाए ताकि देश में जो कुछ हुआ है लोग उसे समझ सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपको बहुत-बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं अपनी पार्टी सीपीआई की ओर से और अपनी ओर से आपको इस गर्म वातावरण में भी शांति बनाए रखने के लिए बधाई देती हूं, जिसे वास्तव में बनाए रखना भी बहुत ही मुश्किल कार्य था। निस्संदेह, आपकी कोशिशों ने हमारी सहायता की-मेरा मतलब हमसे ही नहीं, बल्कि हम सभी से है जिन्होंने कि कम से कम हमारी स्वयं की भूमिका दर्शाने का यह प्रयास किया है कि वह है क्या।

इस संदर्भ में, मैं केवल और दो शब्द ही कहना चाहूंगी। हम कुछ हद तक प्रसन्न भी हैं कि हम अपनी उपस्थिति को महसूस कराने में सफल रहे हैं और लोगों के समक्ष यहां अपने अस्तित्व की सार्थकता साबित करने में सफल रहे हैं। मैं विपक्ष के उन मित्रों को भी बधाई देती हूं, जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। मैं सभा पटल के उन मित्रों को भी बधाई देती हूं यद्यपि वे यहां अपनी बात नहीं कह सके, परन्तु कम से कम अपनी पार्टी में उन्होंने दबाव बनाए रखा है।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा में यद्यपि कई अधिवेशन हुए हैं और इस साल नौवीं लोक सभा में भी मुझे कई अधिवेशनों में बैठने का मौका मिला, लेकिन जिस तरह से इस बार हंगामी सत्र रहा, ऐसा सत्र हमें पहले देखने को नहीं मिला। पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जिसमें आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आपने जिस नम्रता से और सहनशीलता से सत्र को निभाने की कोशिश की, यह अपने आपमें वाकई में प्रशंसनीय है।

अध्यक्ष जी, मैं आपकी सराहना करता हूं और अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम.आर. जनार्दनन कादम्बूर (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी अखिल भारतीय-अन्नाद्रमुक की ओर से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। यह संसद कभी गर्मी के कभी ठंडे वातावरण से गुजरा। फिर भी, आपने अपनी गहन सहनशीलता से इसे लोगों की संसद बना दिया। यद्यपि अपने विपक्ष की सरगर्मी के प्रति समपर्ण किया, परन्तु फिर भी आपने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखा है। इस देश के लोगों ने ऐसी संसद देखी जिसे उन्होंने अब तक नहीं देखा था।

जैसा कि नव वर्ष बहुत ही नजदीक है, मैं आप सभी के नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं करता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, अपनी पार्टी की ओर से, मैं आपको इस सदन की लगभग संकट ग्रस्त स्थिति से क्षमतापूर्वक निबटने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सत्ताधारी पार्टी से अपील करना चाहूंगी कि वे अपने कार्यकरण का सिंहावलोकन भी करें। वे इस संसद के अधिकांश समय को बचा सकते थे, यदि वे शुरूआत में ही सही ढंग से कार्य करते। वास्तव में, संकटमय स्थिति सत्ताधारी पार्टी द्वारा लाई गई थी और प्रधान मंत्री महोदय इसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : प्रधान मंत्री महोदय, इस सबके लिए कैसे जिम्मेदार हैं...**(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : इस अवसर का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं कीजिए।...**(व्यवधान)** आप अध्यक्ष को आसन के नीचे जाकर सदन को स्थगित करा लेते हैं।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुशील गोपालन : मैं जो कुछ कहना चाहती हूं वही कह रही हूं और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हूं। **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : यदि आप चाहते हैं कि यह शुभ अवसर साबित हो, तो इसे शुभ अवसर बनाइए। लेकिन ऐसा न कीजिए।...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुशीला गोपालन : आपके साथ यही समस्या है। आप किसी को सुनने को तैयार नहीं है। मामलों के प्रति आपकी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन अधिकांश जनता संसद के समय को बर्बाद करने के लिए वास्तव में कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। मैं समझती हूं कि कम से कम आप अपनी गलतियों को दूर करेंगे और उस जिम्मेदारी को निभायेंगे जिसे जनता ने आपको सौंपी है।

मैं अध्यक्ष महोदय आपको सरकार के इस रवैये के बावजूद इस सदन को सही ढंग से चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, व्यक्तियों, संस्थाओं और राष्ट्रों के जीवन में कठिनाईयां आती हैं। वे उनका सामना बुद्धिमानी और सूझबूझ से करते हैं। हम सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह

हम सभी के साथ, हमारे देश, और हमारी संस्थाओं के साथ होगा। हम आने वाले प्रत्येक दिन से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई खामियां होंगी तो, उन खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ कर्तव्य किये हैं और हम आने वाले समय में अपना कर्तव्य और बेहतर ढंग से करेंगे।

माननीय सदस्यों नेताओं और सचिवालयों के विद्वान अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

3.54 म. प.

राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

3.56 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.–48/37/13/94 (एन.)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और **डाटा प्वांईट**, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।